विशेष डिजिटल अंक

सच को समर्पित समाचार पत्रिका

01 जून 2020, मूल्य ₹ 25

आउटलुक

www.outlookhindi.com

बेगानेपन की लाचारी और दर्द

महामारी से अधिक रोजी-रोटी छिन गई तो भूख से महफूज होने घर की ओर पैदल चले प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक दास्तान

केंद्रीय पैकेज:
20 लाख करोड़ की हकीकत

RNI NO. DELHIN/2009/26981 facebook.com/outlookhindi twitter.com/outlookhindi

23

भूख, भय, मौत का सफर

महामारी और लॉकडाउन में छिन गई आजीविका से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी भी सरकारी अव्यवस्था से हुई दूभर

30 अरुणा रॉय: कानूनी कवच भी हटाया

32 कनिका शर्मा: बेमौत मरने की मजबूरी

33 स्वान: आश्रय और भोजन को मोहताज

34 अरबिंद सिंह: बड़ी राहत की दरकार

36 कैमरे की नजर में दर्दनाक सफर

14 इंटरव्यू: मनोहर लाल खट्टर

06 जम्मू-कश्मीर: नए आतंकी मोर्चे

08 बीएसएनएल: ढलान हुई तीखी

10 केंद्रीय पैकेज: अभी तो सिर्फ झुनझुना

12 श्रम कानून: अधिकारों पर चोट

18 कोविड-19: संक्रमण हुआ तेज

20 इंटरव्यू: स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन

43 शिक्षा: पढ़ाई के गंभीर सवाल

47 बजट स्कूल: अस्तित्व खतरे में

55 प्रो. राजीवलोचन: ई-लर्निंग बेमानी

56 उत्तराखंड: रसूखदारों पर मेहरबानी

50 इंटरव्यू: मानव संसाधन मंत्री निशंक

कवर फोटो: **अपूर्व सलकड़े**

आउटलुक

संपादक: हरवीर सिंह
डिप्टी एडिटर: सुनील कुमार सिंह
एसोसिएट संपादक: प्रशांत श्रीवास्तव
वरिष्ठ सहायक संपादक: हरीश मानव
सहायक संपादक: के. के. कुलश्रेष्ठ, आकांक्षा पारे काशिव
वरिष्ठ कॉपी संपादक: सत्येन्द्र प्रकाश
विशेष संवाददाता: रवि भोई, कुमार भवेश चंद्र
संवाददाता: प्रतीक वर्मा
वेब टीम: आर.एस. राणा, शशिकांत वत्स, उपासना पांडेय, अक्षय दुबे
एडिटोरियल कंसल्टेंट: हरिमोहन मिश्र
डिजाइन: विमल सरकार (सीनियर आर्ट डायरेक्टर) रोहित कुमार राय (डिजाइनर), रंजीत सिंह (विजुअलाइजर)
फोटो सेक्शन: जितेंद्र गुप्ता (फोटो एडिटर), त्रिभुवन तिवारी (चीफ फोटोग्राफर), संदीपन चटर्जी, अपूर्व सलकड़े (सीनियर फोटोग्राफर) सुरेश कुमार पांडे (स्टाफ फोटोग्राफर) एस. रक्षित (चीफ फोटो कोऑर्डिनेटर), जे.एस. अधिकारी (सीनियर फोटो रिसर्चर)
संदर्भ: अलका गुप्ता

बिजनेस कार्यालय:
चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर: इंद्रनील रॉय
प्रकाशक: संदीप कुमार घोष
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट: मीनाक्षी आकाश
सीनियर जनरल मैनेजर: देवबाणी टैगोर, शैलेन्द्र वोहरा
डिजिटल टीम: अमित मिश्रा
मार्केटिंग:
वाइस प्रेसिडेंट: श्रुतिका दीवान
सर्कुलेशन एंड सब्सक्रिप्शन: अनिंद्य बैनर्जी, गगन कोहली, जी. रमेश (साउथ), विनोद कुमार (नार्थ), अरुण कुमार झा (ईस्ट), शेखर सुवर्राना

प्रोडक्शन:
जनरल मैनेजर: शशांक दीक्षित
मैनेजर: सुधा शर्मा, गणेश साह (डिप्टी मैनेजर), गौरव श्रीवास (एसोसिएट मैनेजर)
अकाउंट:
वाइस प्रेसिडेंट: दीवान सिंह बिष्ट
कंपनी सेक्रेटरी एवं लॉ ऑफिसर: अंकित मंगल
प्रधान कार्यालय: ए.बी.-10 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
संपादकीय कार्यालय: ए.बी.-5 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
टेलीफोन: 011-71280400, फैक्स: 26191420

संपादकीय ईमेल
edithindi@outlookindia.com
ग्राहकी के लिए संपर्क: 011-71280433, 71280462, 71280307
yourhelpline@outlookindia.com
अन्य कार्यालय:
मुंबई: 022-50990990
कोलकाता: 46004506, **फैक्स:** 46004506
चेन्नई: 42615224, 42615225 **फैक्स:** 42615095
बेंगलूरू: 43715021
संपादक हरवीर सिंह
आउटलुक पब्लिशिंग (इंडिया) प्रा.लि. की तरफ से इंद्रनील रॉय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित। ए.बी.-10 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली से प्रकाशित।

कुल पृष्ठ संख्या 62 कवर सहित

किसानों का धन्यवाद

आउटलुक के 18 मई के अंक में लॉकडाउन के दौरान भी आम जनता तक सब्जी, फल, दूध पहुंचाने वाले किसानों के बारे में पढ़ कर अच्छा लगा। खेती-किसानी पर निर्भर रहने वाले किसानों पर बात कम ही होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से सैंडर्स के पीछे हटने के कारणों पर भी अच्छी जानकारी दी गई है। देखते हैं कि आने वाले नवंबर में इसके क्या परिणाम होंगे। डॉ. रणदीप गुलेरिया, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इंटरव्यू अच्छे लगे।

देवेश त्रिपाठी | संत कबीर नगर, उप्र

सहयोग की भावना

कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। लेकिन कई राज्यों में लोग सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। जनता को सोचना चाहिए कि यह उन्हीं के भले के लिए है। कुछ लोगों की मजबूरी है कि उन्हें अपनी रोजी-रोटी के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है।

रमेश नारायण वेदक | मुंबई, महाराष्ट्र

राहत पैकेज जरूरी

आउटलुक का विशेष डिजिटल अंक भी बहुत अच्छी सामग्री परोस रहा है। 'पैकेज देने में कोताही घातक' लेख भारत की तसवीर बखूबी उजागर करता है। सरकार को एक आर्थिक पैकेज छोटे उद्योगों को भी देना चाहिए। इस वैश्विक महामारी से उठ कर खड़ा होने के लिए राहत पैकेज बहुत जरूरी है। इसके बिना बेरोजगारी में बढ़ोतरी होगी। यदि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं होगा तो बाजार कैसे उठेगा?

निर्मल सिंह | जोधपुर, राजस्थान

घर वापसी

प्रवासी श्रमिकों का पलायन दर्शाता है कि शहरों ने इन्हें कभी अपना नहीं समझा। सरकार ने भी इन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। *आउटलुक* ने इन सभी पहलुओं पर बहुत ही अच्छे से विचार रखे हैं। कामगारों और प्रवासी श्रमिकों की जिस तरह दुर्दशा हो रही है, लगता नहीं कि ये लोग फिर महानगरों का रुख करेंगे। सरकार को इस तबके के लिए सोचना ही चाहिए।

अमित कुमार | दिल्ली

पुरस्कृत पत्र

किसान हैं तो कल है

आउटलुक हिंदी के 4 मई के अंक में कवर स्टोरी पूर्णता को समेटे हुई लगी। 'कोरोना के असली योद्धा लाचार' बहुती सटीक और मार्मिक है। समय कैसा ही रहा हो लेकिन किसान हर वर्ष लगातार हाशिए पर ही धकेला गया। इस लेख में परत दर परत उधेड़ कर उनकी भावनाओं का मर्म पेश किया गया है। उपेक्षा, नुकसान, बजट, राजनीति सब का सटीक समावेश है इस अंक में। अभी पूरा देश घर में सिमटा है, ऐसे समय में यह ठीक वक्त है दोबारा हर बात पर गौर करने के लिए। सभी को मिलकर सोचना चाहिए कि हम और हमारी सरकारें किस तरफ जा रही हैं। आउटलुक का धन्यवाद कि उसने किसानों की पीड़ा शीर्ष पर रख कर हमें आईना दिखाने का प्रयास किया। आशा है, पत्रिका ऐसी सामग्री देकर लोगों को झकझोरती रहेगी।

देवेन्द्र कुमार पाटीदार | शाजापुर, मप्र

अब आप अपने पत्र इस मेल पर भी भेज सकते हैं:
hindioutlook@outlookindia.com

श्रेष्ठ पत्र को उपहार स्वरूप 1000 रुपये मूल्य की पुस्तकें

सामयिक प्रकाशन
दरियागंज, नई दिल्ली-110002
samayikprakashan@gmail.com
www.samayikprakashan.com

तकनीकी विकास ने पत्र लेखन की विधा को हाशिए पर जरूर धकेला है, लेकिन यह विधा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पत्र लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए आउटलुक हिंदी पत्रिका अपने पाठकों के लिए एक योजना ला रही है। किसी भी पत्रिका के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप मिलने वाले पाठकों के पत्र महत्वपूर्ण होते हैं। आउटलुक हिंदी पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर 150 शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया भेजें और पाएं हिंदी के प्रतिष्ठित सामयिक प्रकाशन की ओर से एक हजार रुपये मूल्य की पुस्तकें। हर अंक में छपने वाले पत्रों में से एक सर्वश्रेष्ठ पत्र चुना जाएगा।

ध्यान रखें कि पत्र साफ लिखे गए हों और लंबे न हों। संबंधित लेख का उल्लेख जरूर करें और अपनी टिप्पणी सटीक रखें। चुने गए पत्र पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। अपना नाम एवं पिन कोड सहित पूरा पता जरूर लिखें। संपादकीय निर्णय सर्वोपरि होगा।

आउटलुक पत्रिका प्राप्त करने के स्थान

दक्षिण: **हैदराबाद** यादगिरी बुक स्टॉल, 040-66764498, **सिकंदराबाद** उस्मान बुक स्टॉल, 9912850566

उत्तर: **दिल्ली** - आईबीएच बुक्स एंड मैग्जीन डिस्ट्रिब्यूटर्स, 011-43717798,011-43717799, **लखनऊ** - सुभाष पुस्तक भंडार प्रा. लिमिटेड, 9839022871, **चंडीगढ़** - पुरी न्यूज एजेंसी, 9888057364, **देहरादून**- आदित्य न्यूज एजेंसी, 9412349259, **भोपाल**- इंडियन न्यूज एजेंसी, 9826313349, **रायपुर**- मुकुंद पारेख न्यूज एजेंसी, 9827145302, **जयपुर**-नवरत्न बुक सेलर, 9829373912, **जम्मू**- प्रीमियर न्यूज एजेंसी, 9419109550, **श्रीनगर**- जेपी न्यूज एजेंसी, 9419066192, **दुर्ग (छत्तीसगढ़)** - खेमका न्यूज एजेंसी, 9329023923

पूर्व: **पटना**- ईस्टर्न न्यूज एजेंसी, 9334115121, **बरौनी** -ज्योति कुमार दत्ता न्यूजपेपर एजेंट, 9431211440, **मुजफ्फरपुर**-अन्नू मैग्जीन सेंटर, 9386012097, **मोतीहारी**- अंकित मैग्जीन सेंटर, 9572423057, **कोलकाता**- विशाल बुक सेंटर, 22523709/22523564, **रांची**- मॉडर्न न्यूज एजेंसी, 9835329939, रवि कुमार सोनी, 9431564687, **जमशेदपुर**-प्रसाद मैग्जीन सेंटर, 2420086, **बोकारो**-त्रिलोकी सिंह, 9334911785,**भुवनेश्वर**-ए. के. नायक, 9861046179, **गुवाहाटी**- दुर्गा न्यूज एजेंसीज, 9435049511

पश्चिम: **नागपुर**-नेशनल बुक सेंटर, 8007290786, पाठक ब्रदर्स, 9823125806, **नासिक**- पाठक ब्रदर्स, 0253-2506898, **पुणे**- संदेश एन एस एजेंसी, 020-66021340,**अहमदाबाद**-के वी अजमेरा एंड संस, 079-25510360/25503836, **मुंबई**- दंगत न्यूज एजेंसी, 22017494

आपदा, अवसर और स्वावलंबन

हरवीर सिंह

महामारी कोविड-19 से पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है और हमारा देश भी अब चौथे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा लॉकडाउन 17 मई को समाप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने संबोधन में साफ संकेत दिया कि लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कुछ ज्यादा छूट मिल सकती है। इसके लिए उन्होंने नए 'रंग-रूप' शब्द का इस्तेमाल किया। हो सकता है कि यहां रंग से मलतब जिंदगी के कुछ रंग लौटाने से हो, क्योंकि लगातार करीब दो माह तक घरों में कैद रहे लोगों में बाहर निकलने की छटपटाहट और मजबूरी दोनों है। यह काफी अव्यावहारिक भी होती जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोविड को हराने के लिए सबसे पहले 24 मार्च की शाम आठ बजे लोगों से 21 दिन मांगे थे। उन्होंने यह भी कहा था कि महाराभारत 18 दिन में समाप्त हुआ और हम इस लड़ाई को 21 दिन में जीतेंगे।

इस बीच देश के लोगों ने तमाम दुख और तकलीफें सही हैं। उन्होंने अनुशासन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के मूलमंत्र को कोरोनावायरस के संक्रमण से बचने का उपाय मानकर जीवन जिया है। लेकिन अब उन्हें घुटने टेकने पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसका एहसास सरकार को भी है। असल में शुरू में सब कुछ जहां का तहां रुक गया था और बाद में सरकारों की बंदइंतजामी, लापरवाही और संवेदनहीनताएं भी सामने आने लगीं, तो लॉकडाउन का लंबा सिलसिला कई तरह की अनिश्चितताओं का सबब बन गया। सबसे पहले धैर्य उन मजदूरों का टूटा जो किसी क्वारंटीन सेंटर, राहत शिविर या खुद के छोटे दड़बों में थे, लेकिन जब अनिश्चितता बढ़ी तो उन्होंने पैदल ही अपने घरों का रुख कर लिया। उसमें सैकड़ों भूख या दुर्घटनाओं में मारे गए और आने वाले दिनों में लाखों के जीवन में कई तरह के कष्ट बढ़ेंगे।

दूसरी ओर, सरकार बड़ा पैकेज तैयार करने में मशगूल रही। मामला बिगड़ता देख राज्यों पर मजदूरों को उनके घर भेजने का दबाव बढ़ गया। उसी मजबूरी के चलते श्रमिक ट्रेनें चलाई गईं। इसमें एक पेच यह भी रहा कि कई राज्यों ने राजस्थान के कोटा के कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले मध्य वर्ग के परिवारों के बच्चों को बसों में मंगवाया था, जिससे मजदूरों और गरीबों के प्रति असंवेदनशील चेहरा सामने आ गया। उसी को ढंकने के लिए मजदूरों को लाने की कवायद शुरू हुई। लेकिन उनसे किराया वसूलने का मामला भी उठा और केंद्र सरकार ने खुद को उनकी मदद से बाहर कर लिया। श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं और मजदूर सड़क पर भी चल रहे हैं, सैकड़ों, हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों के लिए। ऐसे में एक बार फिर हमारे देश की कमजोरी खुल गई और करोड़ों लोगों की बदहाल तसवीरों ने हमें अफ्रीकी देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया।

इस बीच संक्रमित लोगों और मौतों की संख्या बढ़ती गई। लोगों के जीवन को पटरी पर लाने के लिए बढ़ते दबाव के चलते कई तरह की गतिविधियों की छूट दी गई, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों के बीच सीमाएं ऐसे सील हैं जैसे दो देशों के बीच होती हैं। अर्थव्यवस्था की बदहाली से बेरोजगार हो रहे लोगों के भयावह आंकड़े आ रहे हैं। यह सिलसिला असंगठित क्षेत्र और छोटी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बड़े कॉरपोरेट भी छंटनी कर रहे हैं। उधर, केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल के अभाव में भारी विवाद भी सामने आ रहे हैं, जो देश के संघीय ढांचे के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

इस सबके बीच एक बार फिर 12 मई को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। इससे कैसे जिंदगी और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी, उसकी जानकारी की पहली किस्त 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेकर आईं, जिसमें बहुत प्रभावी कदम नहीं दिखे। हालांकि यह सिलसिला अगले कई दिनों तक जारी रहेगा। इस बीच सबसे अहम संकट को अवसर में बदलने, देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प सामने आया। उन्होंने इसके लिए पांच स्तंभों इकोनॉमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड और चार मंत्रों लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ में सुधारों की बात की। इससे स्वदेशी का एजेंडा आगे बढ़ेगा। लेकिन कई सवाल अनुत्तरित हैं कि क्या हम इस संकट के बाद अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना मजबूत करेंगे कि देश के लोगों के जीवन को बचाने की स्थिति बेहतर हो जाए? क्या हम अपने जीवन की जरूरतों और रक्षा जरूरतों को भी देश में बनने वाले उत्पादों से पूरा कर सकेंगे? वैसे जब हमारे तमाम राज्य विदेशी निवेश के लिए अलग डेस्क बना रहे हैं तो वैश्वीकरण के इस माहौल में आत्मनिर्भर होने की बात करना क्या मृग-मरीचिका जैसा नहीं है।

इसे मेक इन इंडिया को मजबूत करने और आर्थिक सुधारों के लिए मौका बताने वालों को यह भी बताना चाहिए कि जब देश और दुनिया में स्थितियां सामान्य थीं, तो स्वावलंबन को मजबूत करने से किसने रोका था और जब नीतियां बेहतर थीं, तो करोड़ों गरीब मजदूरों को पैदल चलकर अपने गांव क्यों लौटना पड़ा। इस घर वापसी की वजहों को हल किए बिना स्वावलंबन की बात ख्यालीपुलाव जैसी लगती है।

@harvirpanwar

जब देश और दुनिया में स्थितियां सामान्य थीं, तो स्वावलंबन को मजबूत करने से किसने रोका था और जब नीतियां बेहतर थीं तो करोड़ों गरीब मजदूरों को पैदल चलकर अपने गांव क्यों लौटना पड़ा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस राहत पैकेज की घोषणा की है, उससे लाखों गरीब और भूखे प्रवासी मजदूरों को कुछ नहीं मिला है। यह उन लोगों के लिए करारा झटका है जो रोजाना कड़ी मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते हैं।

पी. चिदंबरम, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री

साहब की गुड बुक में

यूं तो बड़े साहब की गुड बुक में सभी रहना चाहते हैं, लेकिन साहब की नजरे-इनायत बड़ी मुश्किल से होती है। यूपी के एक अफसर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। इन दिनों वे बैठकों में नमूदार होने लगे हैं और खुद को मिल रहे महत्व से इतरा भी रहे हैं। उनका इतराना सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय है। कोरोना से जुड़े किसी विभाग से नाता न होने के बावजूद इन महोदय को मिल रही तवज्जो के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई कहता है कि किसी और को औकात बताने के लिए उनको महत्व मिल रहा है, कोई कहता है शनि के वक्री होते ही कोई दूसरा उनकी जगह ले लेगा।

भाजपा नेता की पीड़ा

बिहार के एक वरिष्ठ भाजपा नेता पार्टी में साइडलाइन किए जाने से खासे परेशान हैं। अब उनकी पीड़ा प्रवासियों के दर्द के रूप में सामने आ रही है। हाल ही में एक गुफ्तगू में नेता जी का कहना था कि लॉकडाउन में प्रवासियों के साथ जो हो रहा है, वह बहुत तकलीफदेह है। लेकिन हम चाहकर भी बहुत नहीं कर सकते क्योंकि, हम सत्ता में हैं। ऐसे में खुलकर विरोध भी नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर ही जो बन पा रहा है, वही बिहार के लोगों के लिए कर रहे हैं। मंत्री जी ने इस बहाने मीडिया पर भी तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में कुछ पत्रकार अपना पत्रकारिता धर्म भूल गए हैं, वे केवल टीआरपी के पीछे पड़े हुए हैं। नेता जी की बातें तो वाकई बेहद अच्छी हैं लेकिन उनकी यह पीड़ा बहुत देर बाद सामने आई है। अब इन नेता जी को कौन समझाए, राजनीति में भावनाओं की कीमत बहुत कम होती है, आज के दौर में सब कुछ तोल-मोल से ही होता है।

भाई के लिए सब जायज

केंद्र में मध्य प्रदेश के कोटे से एक मंत्री हैं। वे अपने भाई को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए जोर लगा रहे हैं। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाने की मांग पर उन्होंने कहा था कि भाजपा में लॉबिंग नहीं चलती, लेकिन भाई के लिए लॉबिंग से उन्हें गुरेज नहीं है। लॉकडाउन के बीच भोपाल आकर उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात भी की। उनके भाई पहले मंत्री रह चुके हैं, पर इस बार स्थिति अलग है। एक सवाल है कि जब बड़ा भाई केंद्र में मंत्री है, तो छोटा भाई राज्य में मंत्री कैसे हो सकता है। दूसरे, भाजपा पुराने की जगह नए चेहरे पर दांव लगाने की सोच रही है। देखते हैं, मंत्री जी की लॉबिंग क्या रंग लाती है।

ड्यूटी बना झमेला

लॉकडाउन 2.0 के समय से ही उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तर सचिव स्तर के अफसरों से आबाद हैं। इन्हें अधिकार दिए गए हैं कि वे विशेष सचिव से निचले अफसरों और कर्मचारियों के आने-जाने पर फैसला करें। रोस्टर बनते ही असंतोष बढ़ने लगा है। इस पर फैसला बड़े अफसरों को करना है। ऐसे में मनपसंद ड्यूटी लगवाने या न लगवाने के लिए जोड़-तोड़ हो रही है। कुछ साहब को खुश कर मनमाफिक ड्यूटी पाने में लगे हैं। जिनका काम नहीं हो रहा वे साहब की शिकायत विरोधियों तक पहुंचा रहे हैं।

समय बदलते देर नहीं लगती

बाजी कब पलट जाए, नहीं पता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने तक नेता जी की बड़ी पूछ थी। सरकार बनी तो नेता जी मंत्री बने, पर वैसा रुतबा नहीं रहा। इस दुख में मंत्री जी उलट बयान भी दे देते हैं। ऐसे ही बयान पर कैबिनेट में साथी मंत्रियों ने उन्हें आड़े हाथों लिया। एक बार तो मुख्यमंत्री ने मंत्री जी के सामने ही उनके विभाग के अफसरों को डांट दिया। उनके मातहत अफसरों ने उन्हें बताए बगैर व्यापारी पर छापा भी मारा। मंत्री जी करें तो क्या करें।

अपनी-अपनी गोटी

पंजाब के कुछ मंत्रियों और एक बड़े अफसर की तकरार चर्चा में है। अफसर का कार्यकाल साढ़े तीन महीने बचा है, पर नाराज मंत्री उनकी तुरंत छुट्टी कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कई वरिष्ठों को किनारे कर उन्हें पदोन्नति दी थी, अब वही अफसर उन्हें पटखनी देने में लगे हैं। वैसे, सीएम ने आबकारी विभाग छीनकर इनके पर कतरे हैं, इससे मंत्रियों का गुस्सा कुछ हद तक तो ठंडा हो ही गया है। अब शायद वे रिटायरमेंट तक रह ही जाएं।

घाटी में आतंक का नया चेहरा

उत्तरी कश्मीर में भारी नुकसान के बाद सुरक्षा बलों को नायकू के मारे जाने से कामयाबी की उम्मीद, पर टीआरएफ की शक्ल में नई मुसीबत

नसीर गनई

कश्मीर में सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि छह मई को हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशन कमांडर रियाज नायकू के मुठभेड़ में मारे जाने से दक्षिण कश्मीर क्षेत्र में आतंकियों की भर्ती थमेगी। दक्षिण कश्मीर के इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाने के बाद से आतंकियों की भर्ती और वारदातों में तेजी देखी गई है। उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान के दो दिनों के बाद नायकू मारा गया। इससे बलों को बढ़त मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। 3 मई को आतंकियों के साथ सबसे भयंकर मुठभेड़ों में एक मुठभेड़ में सेना का एक कर्नल और एक मेजर सहित पांच जवान शहीद हो गए। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा के एक गांव में हुई इस मुठभेड़ में दो आतंकी भी मारे गए। मरने वालों में सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सब-इंस्पेक्टर शकील काजी शामिल थे। इस वारदात के बाद 5 मई को आतंकियों ने हंदवाड़ा के वंगम गांव में सीआरपीएफ पर घात लगाकर हमला किया।

नई चुनौती: उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल

इसमें तीन जवान शहीद हो गए। इसमें दोनों ओर की फायरिंग में फंसे एक दिव्यांग लड़के की भी मौत हो गई। आतंकियों को न्यूनतम नुकसान वाले इन दोनों हमलों के बाद भारी उथल-पुथल की आशंका थी। इससे यह साफ हो गया कि दक्षिणी कश्मीर के विपरीत उत्तरी कश्मीर में आतंकी ज्यादा प्रशिक्षित और असले से लैश हैं। बकौल पुलिस, दक्षिण कश्मीर के आतंकी इस मामले में कमजोर और कच्चे हैं।

गणित का शिक्षक रहा रियाज नायकू ए ट्रिपल प्लस ग्रेड का आतंकी माना जाता था। उस पर 12 लाख रुपये का इनाम था। वह 2012 से सक्रिय था और इस तरह सबसे लंबे समय तक सक्रिय आतंकियों में शुमार था। नायकू अगस्त 2017 में शोपियां में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में यासीन इटलू के मारे जाने के बाद हिजबुल कमांडर बना था। हालांकि उसके उभार से आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वालों को हैरानी हुई क्योंकि 2012 से वह लो-प्रोफाइल ही रहा था। दरअसल नायकू को हिजबुल की कमान तब मिली, जब कमांडर जाकिर मूसा अंसार-उल-गजवात-उल-हिंद में शामिल हो गया।

मूसा 8 जून, 2016 को 22 वर्षीय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन का चेहरा बन गया था। वानी के मारे जाने और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद आतंकियों की भर्ती तेज हो गई थी। जानकारों का मानना है कि नायकू अंसार-उल-

गजवात में मूसा के साथ औरों को जाने से रोकने में कामयाब रहा, जो अल कायदा से जुड़ा है।

सितंबर, 2018 में नायकू की अगुआई में हिजबुल आतंकियों ने पुलिसवालों के 11 परिजनों का अपहरण कर लिया और पुलिस को रियाज नायकू के पिता असदुल्लाह नायकू को रिहा करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल, श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर शोपियां में आतंकियों ने चार पुलिसवालों की हत्या कर दी थी, तो अगले दिन पुलिस ने असदुल्लाह को अवंतीपुरा के घर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके जवाब में आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां जिलों के गांवों से पुलिसवालों के 11 परिजनों को अगवा कर लिया। इसके कुछ घंटों के बाद ही पुलिस ने नायकू के पिता को रिहा कर दिया। हालांकि पुलिस ने कहा कि असदुल्लाह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद में रिहा कर दिया गया। नायकू ने ऑडियो संदेश देकर पुलिस को चेतावनी दी थी कि नहीं छोड़ा गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

उससे पहले ऐसा 1999 में हुआ था, जब इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट आइसी 814 के अपहरण के बाद मौलाना मसूद अजहर और मुस्ताक अहमद जरगर सहित तीन आतंकियों को छोड़ा गया था।

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह कहते हैं, "हर बार हम उसके करीब पहुंचते थे, लेकिन उसे घेर नहीं पाते थे। उसके छिपने के कई ठिकाने थे, खासकर वह अपने इलाके में एक गांव से दूसरे गांव में छिप जाता था।"

पुलिस के अनुसार, वह पिछले 15 दिनों से नायकू के पीछे लगी थी। कश्मीर के पुलिस आइजी विजय कुमार के मुताबिक, नायकू का मारा जाना कश्मीर में आतंकियों के लिए बड़ा झटका है। उनके मुताबिक, नायकू लगभग हर महीने युवाओं को लुभाने के लिए वीडियो जारी करता था और आतंकियों को लोगों और पुलिसवालों की हत्या के लिए निर्देश जारी करता था।

पिछले 5 अप्रैल को उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के निकट केरन सेक्टर में घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ में पांच जवानों की मौत हो गई थी। पांचों जवान प्रतिष्ठित 4 पैरा यूनिट के थे, जिसने 2016 में एलओसी पार पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस कार्रवाई में पांच आतंकी भी मारे गए थे। इस मुठभेड़ को इस साल एलओसी के पास घुसपैठियों के खिलाफ बड़े अभियान के तौर पर देखा गया था। दक्षिण कश्मीर के दो परिवारों ने कुपवाड़ा में पुलिस के पास पहुंचकर दावा किया कि केरन मुठभेड़ में मारे गए आतंकी उनके परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने

दक्षिण कश्मीर में हिजबुल कमांडर रियाज नायकू के मारे जाने से उत्तर कश्मीर में भी तेज होती आतंकी वारदातों में कमी की उम्मीद

उनकी पहचान शोपियां के आदिल वानी और मुश्ताक अहमद हुर्रा के तौर पर की। इस मुठभेड़ को हाल के वर्षों में एलओसी और अंदरूनी इलाकों में ऐसी प्रमुख वारदातों के रूप में देखा गया जिसमें सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। केरन की इस मुठभेड़ के बाद से एलओसी पर दोनों ओर से भारी गोलाबारी जारी है।

इस मुठभेड़ के बाद एक अनजान संगठन द रजिस्टेंस फोर्स (टीआरएफ) ने केरन सेक्टर में मारे गए आतंकियों को अपने संगठन से जुड़ा बताया। सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित एक ऑडियो संदेश में टीआरएफ ने कहा कि भारत ने पांच अगस्त 2019 के बाद से ऐसी स्थिति पैदा कर दी, जिसके कारण कश्मीरियों को भारी प्रताड़ना और दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उसने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने किसी को भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि अपने वफादार (मुख्यधारा के) नेताओं को भी नहीं। टीआरएफ ने डोमिसाइल कानून सहित 5 अगस्त के बाद की स्थितियों पर अपनी बात रखी। टीआरएफ ने हंदवाड़ा हमलों की भी जिम्मेदारी ली है।

टीआरएफ पहली बार 23 मार्च को तब चर्चाओं में आया, जब पुलिस ने कहा कि उसने टीआरएफ का पहला मॉड्यूल तोड़ दिया है। पुलिस ने उनसे हथियारों की बड़ी खेप बरामद की जिसे कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर से इस ग्रुप के लिए भेजा गया था। पुलिस ने इसे लश्कर-ए-तैयबा का लोकल फ्रंट बताया है, जिसे पाकिस्तान ने पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के तुरंत बाद लांच किया। पुलिस के मुताबिक, "इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य हथियार और गोला-बारूद जुटाना और नेताओं और पुलिसवालों को निशाना बनाना है।"

बीते 5 अगस्त, 2019 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को समाप्त किए जाने के बाद संचार माध्यमों और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंधों के कारण घाटी में लंबे समय तक आतंकी घटनाएं और उनके खिलाफ अभियान काफी कम हो गए थे। अगस्त में सिर्फ एक आतंकी और एक पुलिसवाले की मौत हुई थी। लेकिन उसके बाद से जम्मू-कश्मीर में 22 मुठभेड़ें हुईं, जिसमें 44 आतंकी मारे गए। पिछले साल जनवरी से जुलाई तक 154 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 2018 में सुरक्षा बलों ने 260 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया था।

जानकारों के मुताबिक, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से उत्तरी कश्मीर में मुठभेड़े हो रही हैं और नए संगठन बनाए जा रहे हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि आतंकी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। एक अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहा, "केरन मुठभेड़ से पता चलता है कि आतंकी ज्यादा तैयारी से हमले की योजना बना रहे हैं क्योंकि पिछले मुठभेडों के मुकाबले उनका नुकसान काफी कम हुआ है।" उन अधिकारी के मुताबिक, अनुच्छेद 370 के समाप्त होने से जुड़ा नया ग्रुप आतंकवाद को स्थानीय जुड़ाव दे रहा है, जो इस क्षेत्र में आबादी का स्वरूप बदलने के भय जैसी स्थानीय चिंताओं से पैदा हुआ है। लंबे अरसे तक कश्मीर के आतंकवादी परिदृश्य में मुख्य तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा छाए रहे हैं।

पुलिस सूत्र कहते हैं कि पहले भी घाटी में कई तरह के आतंकी संगठन बनाए गए लेकिन वे जल्दी ही खत्म हो गए। उन्हें सीमा पार से हथियार और अन्य सहायता नहीं मिल पाई। सुरक्षा एजेंसियां नजर रखे हुए हैं कि टीआरएफ का उदय घाटी में क्या असर डालता है। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह कहते हैं कि टीआरएफ लश्कर का छद्म संगठन है। उनके अनुसार पिछले साल 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान भारी दबाव में था और टीआरएफ उसके बाद ही बनाया गया।

नेटवर्क गायब होने की ढलान

स्टाफ में भारी कटौती से सेवाएं प्रभावित, वेतन और वेंडर पेमेंट में देरी

प्रशांत श्रीवास्तव

सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। उम्मीद थी कि रिवाइवल पैकेज के बाद कंपनी की दिक्कतें कम होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कंपनी कई स्तरों पर दिक्कतों का सामना कर रही है। एक तरफ जहां वह अपने ग्राहकों को सुचारु रूप से सेवाएं नहीं दे पा रही है, वहीं कंपनी के वेंडर्स का भी भुगतान अटक गया है। इन समस्याओं के बीच कर्मचारियों को वेतन भी देरी से मिल पा रहा है। परेशानी का आलम यह है कि केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारतनेट भी तय समय से एक साल लेट हो गया है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि इन गंभीर मुद्दों को लेकर टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद भी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा कर चुके हैं।

करीब 20 साल पहले 2000 में बनी बीएसएनएल के पास एक समय 37 हजार करोड़ रुपये का कैश रिजर्व हुआ करता था। लेकिन 2009-10 में कंपनी की बर्बादी की कहानी शुरू हुई। बीएसएनएल को उस साल 1840.7 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। उसके बाद से यह सिलसिला कभी नहीं रुका और 2018-19 में कंपनी घाटा 14 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया। हालत यह हो गई कि पहली बार जून 2019 में कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, उस समय

से शुरू हुआ यह सिलसिला अभी तक सुधर नहीं पाया है। 50 फीसदी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले चुके हैं, फिर भी बचे कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कर्मचारियों को अप्रैल के अंत तक मार्च का वेतन नहीं मिल पाया था।

सेवाएं देने में दिक्कत

बीएसएनएल में रिवाइवल पैकेज के तहत करीब 80 हजार कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है। इसकी वजह से अब 80 हजार कर्मचारी रह गए हैं। इससे कंपनी का मासिक सेलरी बिल 900 करोड़ रुपये से घटकर 450 करोड़ रुपये रह गया है। लेकिन स्टाफ कम होने से दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कंपनी इस समय कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रही है। इसकी वजह से ग्राउंड लेवल स्टॉफ की ज्यादा किल्लत हो गई है। इसका प्रतिकूल असर यह हुआ है कि कंपनी को अपनी सेवाएं सामान्य रूप से देने में दिक्कत आ रही है। अधिकारी के अनुसार, एक समय कंपनी के 335 सेंकेंड्री स्विचिंग एरिया (एसएसए) हुआ करते थे, उनकी संख्या घटकर अब केवल 200 रह गई है। इसी तरह कंपनी के कुल 22 हजार एक्सचेंज हैं। लेकिन उनको चलाने के लिए पर्याप्त स्टॉफ नहीं है। इसके कारण उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।

बढ़ती दिक्कतों का आलम यह है कि कंपनी के वेंडर्स को महीनों से भुगतान नहीं मिल पाया है। बढ़ते बकाए को देखते हुए पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स की टेलीकॉम कमेटी ने भी टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद को अप्रैल में एक पत्र लिखा। इसके अनुसार, बीएसएनएल के ऊपर वेंडर का करीब 20 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इसी तरह टॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (टीएआइपीए) ने भी बढ़ते बकाए को देखते हुए बीएसएनएल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) प्रवीन कुमार पुरवार को एक पत्र लिखा है। अप्रैल में लिखे पत्र की पुष्टि बीएसएनएल के एक अधिकारी ने *आउटलुक* से की है। एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल टी.आर.दुआ के पत्र के अनुसार, बीएसएनएल के ऊपर 1500 करोड़ रुपये का बकाया है। इसकी वजह से वेंडर्स को बीएसएनएल के टॉवर जिन इमारतों पर लगे हुए हैं, उनके मालिकों को किराया देने में दिक्कत आ रही है। इसी तरह बिजली बिल के भुगतान में भी देरी हो रही है। साथ ही बैटरी और डीजल खरीद भी प्रभावित हो रही है। इन सबका असर सेवाओं पर सीधे तौर पर पड़ रहा है।

कंपनी जिन इमारतों में अपने एक्सचेंज चला रही है, उनके भी किराए के भुगतान में दिक्कतें बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भीरा कस्बे के रहने वाले अजीत सिंह बताते हैं, "उनकी बिल्डिंग में करीब 25 साल से बीएसएनएल का एक्सचेंज चल रहा है, लेकिन पिछले दो साल से कंपनी समय पर किराया नहीं दे रही है। बड़ी मुश्किल से कुछ दिन पहले पुराना भुगतान मिला है। किराया भी नहीं बढ़ रहा है। कंपनी को बिल्डिंग छोड़ने को कहते हैं तो उसके लिए भी वह तैयार नहीं है।"

ऐसा नहीं है, इन दिक्कतों का सामना केवल कंपनी के कर्मचारी और वेंडर ही कर रहे हैं, अब

बीएसएनएल पर कर्मचारियों का बोझ शुरू से था, नए दौर में उसे प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा तभी वह प्राइवेट सेक्टर से मुकाबला कर पाएगी

आर. के. उपाध्याय
पूर्व सीएमडी, बीएसएनएल

इसकी आंच भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारतनेट-2 पर भी आ रही है। प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, मार्च 2020 तक इसे पूरा किया जाना था, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट 2021 में ही पूरा हो पाएगा। इसकी एक बड़ी वजह प्रोजेक्ट में शामिल कंपनियां और राज्य सरकारें हैं, जो अपने लक्ष्य के अनुसार काम नहीं कर रही हैं। बीएसएनएल के पास भी प्रोजेक्ट के तहत कई राज्यों के काम हैं। लेकिन अधिकतर राज्यों में काम डेडलाइन से काफी पीछे चल रहा है। बीबीएनएल की एक आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, बीएसएनएल के पास सीपीएसयू मॉडल (इसमें बीएसएनएल, रेलटेल और पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं) के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, जम्मू और कश्मीर की 25,157 ग्राम पंचायतों का काम है। लेकिन अभी तक 524 ग्राम पंचायतें ही जुड़ पाई हैं। अधिकारी के अनुसार, प्रोजेक्ट में देरी की एक बड़ी वजह बीएसएनएल की खराब वित्तीय स्थिति है।

4जी टेंडर पर भी सवाल

इन समस्याओं के बीच कंपनी के सामने एक और परेशानी है। असल में 70 हजार करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया था कि बीएसएनएल 4जी सेवाएं शुरू करेगी। इसके लिए कंपनी ने 11 हजार करोड़ रुपये का टेंडर निकाला है। टेंडर 9 मई 2020 को खुलने वाला था। लेकिन उसके पहले टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने टेंडर पर सवाल खड़े कर दिए। सूत्रों के अनुसार, कॉमर्स मिनिस्ट्री को लिखे गए पत्र में कहा गया कि बीएसएनएल ने टेंडर जारी करते समय मेक इन इंडिया के नियमों की अनदेखी की है। शिकायत की पुष्टि *आउटलुक* से बीएसएनएल के एक अधिकारी ने भी की है। ऐसी आशंका है कि लॉकडाउन खुलने के बाद टेंडर में देरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इसका भी असर कंपनी के भविष्य की योजनाओं पर पड़ेगा। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की शुरू से यह शिकायत रही है कि सरकार की देरी के कारण वह प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पा रही है। इसके कारण ही उसके ग्राहकों की संख्या घटती जा रही है। जब कंपनियां 5जी लाने की तैयारी कर रही हैं, उस समय बीएसएनएल 2जी और 3जी सेवाएं ही अपने ग्राहकों को दे रही है। तकनीक में पिछड़ने का असर कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में साफतौर पर दिखता है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार, मोबाइल सेवा में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी मार्च 2005 में 17 फीसदी से घटकर अब 10 फीसदी पर आ गई है, जो न्यूनतम हिस्सेदारियों में एक है। तकरीबन 90 फीसदी बाजार पर निजी क्षेत्र की कंपनियों का कब्जा हो चुका है।

जाहिर है, रिवाइवल पैकेज मिलने के बाद भी कभी टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज खिलाड़ी रही इस कंपनी की वित्तीय स्थिति सुधर नहीं रही है। ऐसे में अगर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जैसा कि कंपनी के एक पूर्व सीएमडी आशंका जताते हैं कि पहले से ही प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले में काफी पिछड़ चुकी बीएसएनएल कहीं उन्हीं के हवाले न हो जाए। अब यह तो सरकार और कंपनी के प्रबंधन को ही तय करना है।

पहली किस्त तो नाकाफी

प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री के छह लाख करोड़ के पैकेज में मजदूर वर्ग को राहत नहीं

एस.के. सिंह

आखिरकार जिसका इंतजार था, वह समय आ ही गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को राष्ट्र को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत का एक रोडमैप पेश कर दिया, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का फार्मूला भी है। मोदी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ बताए। ये स्तंभ हैं इकोनॉमी जो मात्रात्मक के बजाय गुणात्मक वृद्धि की क्षमता रखती है, आधुनिक भारत की पहचान बन चुका इन्फ्रास्ट्रक्चर, 21वीं सदी के सपनों को पूरा करने वाला तकनीकी आधारित सिस्टम, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली डेमोग्राफी और मांग और आपूर्ति का चक्र। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ को केंद्र में रखते हुए पैकेज तैयार किया गया जिसका आकार बीस लाख करोड़ रुपये है। उन्होंने बीस लाख करोड़ रुपये के पैकेज को 2020 के साथ जोड़ते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जानकारी वित्त मंत्री देंगी।

जाहिर सी बात है कि इसका इंतजार सभी को था और 13 मई की दोपहर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पैकेज के छह लाख करोड़ रुपये के पहले चरण की जानकारी देश के सामने रखी, जिसमें लिक्विडिटी को फोकस किया गया। हालांकि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 13 मई को वित्त मंत्री ने सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए जारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

कितना कारगर: पैकेज की घोषणा करतीं निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर

लिक्विडिटी बढ़ाने और कर्ज पर स्थगन जैसे कदमों को भी इस पैकेज का ही हिस्सा माना है। जहां तक पूरे 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की विस्तृत जानकारी की बात है, तो *आउटलुक* के प्रेस में जाने तक केवल लिक्विडिटी वाले पक्ष की ताजा जानकारी मिल सकी थी, और जैसा वित्त मंत्री ने कहा, आने वाले दिनों में पैकेज की जानकारी का यह चरण जारी रहेगा। इस पैकेज में लघु, छोटे और मझोले यानी एमएसएमई सेक्टर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के जरिए लागू प्रावधान, बिजली वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, कांट्रैक्टर्स और प्रत्यक्ष कर से जुड़े प्रावधानों में रियायतें शामिल हैं। हालांकि ईपीएफओ के तहत छोटी कंपनियों में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के स्थान पर अंशदान को सरकार द्वारा देने के प्रावधान को तीन माह और बढ़ाए जाने वाले कदम को प्रत्यक्ष वित्तीय मदद माना जा सकता है। बाकी प्रावधानों में कर्ज देने की शर्तों को लचीला बनाने, रिफंड देने, कर्ज देने के लिए क्षमता बढ़ाने समेत कई नियामक प्रावधानों में छूट ही मुख्य हैं।

पैकेज के तहत एमएसएमई कंपनियों के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के कोलैटरल-फ्री लोन की घोषणा की गई है। उद्यमी चार साल के लिए यह कर्ज ले सकते हैं। इस पर उन्हें एक साल का मोरेटोरियम मिलेगा, यानी उद्यमी चाहें तो 12 महीने बाद कर्ज लौटाना शुरू कर सकते हैं। शर्त यह है कि 29 फरवरी 2020 को उन पर जितना कर्ज बकाया होगा, उसके 20 फीसदी तक ही कर्ज मिलेगा। उनका बकाया कर्ज 25 करोड़ और सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। इस स्कीम के तहत

उद्यमी 31 अक्टूबर 2020 तक कर्ज ले सकते हैं। कर्ज देने वाले बैंकों और एनबीएफसी को सरकार 100 फीसदी गारंटी देगी। सरकार का दावा है कि इससे 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा।

एमएसएमई को इक्विटी के रूप में भी 20,000 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। ऐसी इकाइयां जिनके खाते एनपीए घोषित नहीं हुए हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इस स्कीम के तहत बैंक प्रमोटर को कर्ज देंगे, प्रमोटर इस रकम को इक्विटी के रूप में निवेश करेगा। इस कर्ज पर भी सरकार गारंटी देगी। इस स्कीम से उन इकाइयों को मदद मिलेगी जिन्होंने कर्ज लौटाने में डिफॉल्ट किया है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स भी बनाया जाएगा। इस फंड के तहत कई छोटे फंड होंगे, जिनके जरिए उद्यमों को इक्विटी फंडिंग की जाएगी। इस फंड से विकास की संभावना वाली इकाइयों को मदद मिलेगी।

एमएसएमई की परिभाषा भी बदली गई है। अभी तक 25 लाख रुपये तक निवेश वाली मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां लघु, पांच करोड़ रुपये तक निवेश वाली छोटी और 10 करोड़ रुपये तक निवेश वाली इकाइयां मझोली कहलाती थीं। सर्विस सेक्टर की इकाइयों के लिए यह सीमा क्रमश: 10 लाख, दो करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये थी। नई परिभाषा में निवेश सीमा बढ़ाने के साथ सालाना टर्नओवर को भी जोड़ा गया है। एक करोड़ रुपये तक निवेश और पांच करोड़ रुपये टर्नओवर वाली इकाइयां लघु, 10 करोड़ तक निवेश और 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली छोटी और 20 करोड़ रुपये तक निवेश और 100 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियां मझोली कहलाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, दोनों के लिए यही मानदंड होगा।

एमएसएमई की मदद के लिए एक और निर्णय यह लिया गया है कि 200 करोड़ रुपये तक के सरकारी खरीद के टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे। इनमें सिर्फ घरेलू कंपनियां भाग ले सकेंगी। सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर एमएसएमई का जो भी बकाया है, वह अगले 45 दिनों में भुगतान कर दिया जाएगा। यह बकाया करीब एक लाख करोड़ रुपये का है।

सरकार ने मार्च में घोषणा की थी कि जिन इकाइयों में कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और 90 फीसदी कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये तक है, उनके लिए मार्च, अप्रैल और मई का कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों का 12-12 फीसदी पीएफ योगदान सरकार देगी। इसे अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ 3.67 लाख इकाइयों में काम करने वाले 72.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। इस मद में सरकार के 2,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ईपीएफओ में जितनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उनमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए पीएफ में अंशदान की सीमा तीन महीने के लिए 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी की गई है। हालांकि यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए नहीं होगा। ईपीएफओ में इस समय करीब 6.5 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इनमें 4.3 करोड़ कर्मचारी हैं। इस निर्णय से कंपनियों और कर्मचारियों के हाथ में खर्च करने के लिए 6,750 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे।

लक्ष्य कौन: प्रधानमंत्री ने 12 मई को 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था

कथित आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबन के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के पांच स्तंभों और चार मंत्रों में एक लिक्विडिटी के लिए पहली किस्त में ऐलान हुआ

नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष लिक्विडिटी स्कीम की घोषणा की गई है। स्कीम के तहत इनके बांड में निवेश किया जाएगा। कम क्रेडिट रेटिंग वाली एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम घोषित की गई है। इसमें सरकार 20 फीसदी कर्ज की गारंटी लेगी।

बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों पर राज्यों के डिस्कॉम की देनदारी अभी 94,000 करोड़ रुपये है। पीएफसी और आरईसी डिस्कॉम को 90,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी उपलब्ध कराएंगी। इस रकम का इस्तेमाल बिजली उत्पादन कंपनियों के कर्ज चुकाने में ही किया जाएगा। रेलवे, सड़क परिवहन और सीपीडब्लूडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के लिए काम करने वॉले कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा करने के लिए छह महीने अतिरिक्त मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्टर ने जितना काम पूरा किया है, उस अनुपात में केंद्रीय एजेंसियां बैंक गारंटी भी रिलीज करेंगी, इससे कॉन्ट्रैक्टर की नकदी की समस्या कुछ हद तक दूर होगी।

मिडिल क्लास को बड़ी राहत नहीं

वित्त मंत्री से राहत पैकेज में मिडिल क्लास को टैक्स छूट से लेकर कई बड़े ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन पहली कड़ी में उसे निराशा ही हाथ लगी है। राहत के नाम पर करदाताओं को अब इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 की जगह 30 नवंबर 2020 तक भरनी होगी। इसी तरह टैक्स ऑडिट की तिथि भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25 फीसदी कटौती की गई है। वित्त मंत्री का दावा है कि इस कदम से 50 हजार करोड़ रुपये की नकदी बढ़ेगी। चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और को-ऑपरेटिव आदि के लंबित रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे।

रियल एस्टेट के लिए राहत

रेरा के तहत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को छह महीने की राहत सरकार ने दी है। इसके तहत 25 मार्च 2020 तक पूरे होने और रजिस्टर्ड होने वाले प्रोजेक्ट के लिए छह महीने की मोहलत मिल गई है। इसके लिए डेवलपर्स को कोई आवेदन नहीं करना होगा। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर नियामक इस मोहलत में तीन महीने का इजाफा भी कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने रेरा के तहत कोविड-19 संकट को फोर्स मेज्योर कैटेगरी में डाल दिया है। इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जहां समय मिल गया है, वहीं प्रोजेक्ट में हो रही देरी की वजह से लगने वाली पेनल्टी से भी राहत मिल गई है।

पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इस पैकेज पर टिप्पणी की, "एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का पैकेज तो ठीक है, लेकिन बाकी 16.4 लाख करोड़ रुपये कहां हैं। इस पैकेज में उन लाखों गरीबों और भूखे प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं है जो अपने घर लौट रहे हैं। सरकार को सबसे निचले तबके के 13 करोड़ परिवारों में प्रत्येक को पांच हजार रुपये देने चाहिए। इस पर सरकार के सिर्फ 65,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।"

लाचार मजदूरों पर हथौड़ा

उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ने आर्थिक सुधार के नाम पर श्रम कानूनों को किया कमजोर, केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल

प्रशांत श्रीवास्तव और **रवि भोई**

कहां तो कोविड-19 के बाद बुनियादी मानवाधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर जोर बढ़ने और विकास की धारा मुड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन लगभग डेढ़ सौ वर्षों के दुनिया भर में चले संघर्षों और विचार-मंथनों के बाद हासिल श्रमिक अधिकार ही छीन लिए गए, वह भी नामुराद अध्यादेशों के जरिए। यह भी याद रखिए कि यह तब हुआ जब मजदूरों की दुर्दशा समूचे देश की सड़कों पर बिखरी पड़ी है। हालांकि यह केंद्र ने नहीं, कुछ राज्यों ने किया। समवर्ती सूची में होने से ये अध्यादेश केंद्र के पास भेजे गए हैं और केंद्र के सत्ता गलियारों और उद्योगपतियों की ओर से भी इसे महान श्रम सुधार बताया जाने लगा है। आखिर नव-उदारवादी पैरोकारों की जो मुराद उदारीकरण के तकरीबन तीन दशकों और नरेंद्र मोदी सरकार के छह साल में पूरी नहीं हो पाई, उसका मौका कोविड महामारी ने दे दिया। कई राजनैतिक पार्टियां और लगभग सभी ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं लेकिन आइए देखें इसकी पहल आगे बढ़ी कैसे।

सबसे पहले महज तीन को छोड़कर समस्त श्रम कानूनों को मुल्तवी करने का अध्यादेश उत्तर प्रदेश से आया। फिर मध्य प्रदेश और गुजरात भी उसी रास्ते पर चले। फिर एकाध कानूनों पर कैची पंजाब, राजस्थान ने भी चला दी। यह सब कोविड-19 संकट से ठप हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के नाम पर किया गया।

अब जरा यह भी जान लीजिए वह कौन से अधिकार हैं, जिन्हें छीनकर अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। अब कारोबारियों को वेतन देने में कई मामलों में न्यूनतम वेतन कानून का पालन करने की जरूरत नहीं होगी। सैलरी उसकी मर्जी से तय होगी। इसी तरह कार्यस्थल पर पानी-शौचालय, खाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी बिजनेसमैन पर नहीं रह जाएगी। किसी भी विवाद के समय श्रम न्यायालय के

कानूनी सुरक्षा भी संदिग्ध: लॉकडाउन में बेकार मजदूरों के बुनियादी अधिकारों पर संकट

पास दरवाजा खटखटाने की बाध्यता भी नहीं रहेगी। यानी फैक्टरी मालिक पर कानून का डर खत्म होगा।

खैर, राज्य सरकारों के इस फैसले के खिलाफ देश के मजदूर संगठन खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगी मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ भी इन फैसलों के खिलाफ हो गया है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजी नारायण ने इसे जंगल-राज जैसा बताया और इन शोषणकारी फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प दोहराया है। दूसरे संगठन तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकारें इस फैसले को वापस नहीं लेती हैं, तो मजदूर 150 साल पहले वाले दौर में पहुंच जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा, "कोविड-19 की लड़ाई मजदूरों के शोषण और उनकी आवाज को दबाने का बहाना नहीं हो सकती।" मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में सात राजनैतिक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है।

क्या हैं राज्यों के नए फरमान

उत्तर प्रदेश सरकार 6 मई को "उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश, 2020" ले आई। इसके तहत राज्य में काम कर रहे सभी कारखानों और उत्पादन इकाइयों को तीन साल के लिए सभी श्रम कानूनों से छूट दी गई है। इससे बाहर सिर्फ बंधुआ श्रम प्रथा अधिनियम 1976, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, बिल्डिंग ऐंड अदर्स कंस्ट्रक्शन एक्ट 1996, पेमेंट ऑफ वेजेज सेटलमेंट एक्ट 1936 की धारा- 5 और बच्चों और महिलाओं से संबंधित कानूनों को रखा गया।

इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने 7 मई को बड़े पैमाने श्रम कानूनों में ढील दे दी। इसके तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन के बाद संस्थान अपनी सुविधानुसार श्रमिकों को नौकरी पर रख सकेगा। उद्योगों पर श्रम विभाग एवं श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप बंद हो जाएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद 100 श्रमिक वाले कारखानों को अधिनियम के प्रावधानों से छूट मिल जाएगी। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में संशोधन से मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल को प्रतिवर्ष प्रति श्रमिक 80 रुपये के अंशदान और वार्षिक रिटर्न से भी छूट मिल जाएगी। ठेका श्रमिक अधिनियम 1970 में संशोधन के बाद 50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले ठेकेदार बिना रजिस्ट्रेशन के काम करा सकेंगे। पहले अगर कोई न्यूनतम मजदूरी न दे तो लेबर इंस्पेक्टर को मुकदमा करने अधिकार था, जिसमें 6 महीने की जेल या मजदूरी के सात गुना जुर्माने का भी प्रावधान था। इसे बदल दिया गया है।

गुजरात सरकार ने भी नई औद्योगिक इकाइयों को श्रम कानूनों के पालन में 1,200 दिन की छूट दे दी है। इन इकाइयों को केवल न्यूनतम वेतन कानून, औद्योगिक सुरक्षा और कर्मचारी मुआवजा कानून का ही पालन करना होगा। साथ ही हफ्ते में काम करने की अवधि 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी गई है। इसी तरह राजस्थान ने भी काम करने की अवधि 72 घंटे कर दी है, औद्योगिक विवाद कानून में बदलाव कर दिया है। पहले यह 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी पर लागू होता था। अब 300 से ज्यादा कर्माचारियों वाली कंपनियों पर लागू होगा। ऐसे में, कर्मचारियों में नौकरी की असुरक्षा बढ़ेगी।

उत्तर प्रदेश

केवल बंधुआ श्रम प्रथा अधिनियम, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, बिल्डिंग ऐंड अदर्स कंस्ट्रक्शन एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज सेटलमेंट एक्ट की धारा-5 और बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित कानून लागू रहेंगे।

मध्य प्रदेश

उद्योगों पर श्रम विभाग एवं श्रम न्यायालय का हस्तक्षेप बहुत कम रह जाएगा। 100 श्रमिक तक वाले कारखानों को कई नियमों में छूट, 50 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों को बिना रजिस्ट्रेशन के कर्मचारी रखने की अनुमति होगी।

गुजरात

नई औद्योगिक इकाइयों को 1,200 दिन तक श्रम कानूनों से छूट। केवल न्यूनतम वेतन, औद्योगिक सुरक्षा और कर्मचारी मुआवजा कानून का ही पालन करना होगा।

राजस्थान

औद्योगिक विवाद कानून अब 300 और उससे ज्यादा के कर्मचारी वाली कंपनियों पर ही लागू होगा। कर्मचारी के काम करने के घंटे एक हफ्ते में बढ़ाकर 72 घंटे किया।

इन बदलावों से क्या है खतरा

भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजी नारायण का कहना है, "नए प्रावधानों से श्रमिकों का शोषण बढ़ जाएगा। यह समझना बेहद जरूरी है कि औद्योगिक विकास में श्रम कानून कभी बाधा नहीं होते हैं। अगर सरकार विकास चाहती है तो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म की जरूरत है। सरकारें प्रवासी मजदूर कानून को भी कमजोर करना चाहती हैं, जिससे शोषण बढ़ेगा।" कांग्रेस के श्रमिक संगठन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट डॉ. जी. संजीव रेड्डी ने कहा, "यह अंतरराष्ट्रीय श्रम कानूनों का भी उल्लंघन करता है। हम इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन से शिकायत करेंगे। यह हमें गुलामी के दौर में ले जाएंगे।" वाम दलों के संगठन द सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के महासचिव तपन सेन ने कहा, "इसका हम पूरी सख्ती के साथ विरोध करते हैं। हम सभी लोगों से अपील करते हैं वे इन निर्दयी कानून के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हों।"

मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़ीं अरुणा रॉय कहती हैं, "दुनिया भर में दशकों के संघर्ष से ये कानून निकले थे। यह संवैधानिक ढांचे पर भी आघात है। आज अगर अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार कानून का ठीक से पालना किया गया होता तो हर सरकार के पास यह आंकड़ा होता कि उनके राज्य में कितने प्रवासी मजदूर किस-किस जगह से हैं। न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई कोई नई नहीं है। इस कानून को खत्म करने का मतलब है बंधुआ मजदूरी, क्योंकि अब काम के अभाव और भूखमरी का फायदा उठाकर कोई भी न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करवाएगा।"

बढ़ते विरोध का दबाव केंद्र सरकार पर भी दिखने लगा है। सूत्रों के अनुसार 6 मई को श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ श्रम मंत्री संतोष गंगवार की बैठक हुई, जिसमें सरकार की तरफ से श्रमिक संगठनों को आश्वासन दिया गया है कि वह श्रम कानूनों को कमजोर करने वाला अध्यादेश नहीं लाएगी। अब देखना है कि महामारी में पहले से असहाय हो चुके मजदूरों के हितों की रक्षा कैसे होती है।

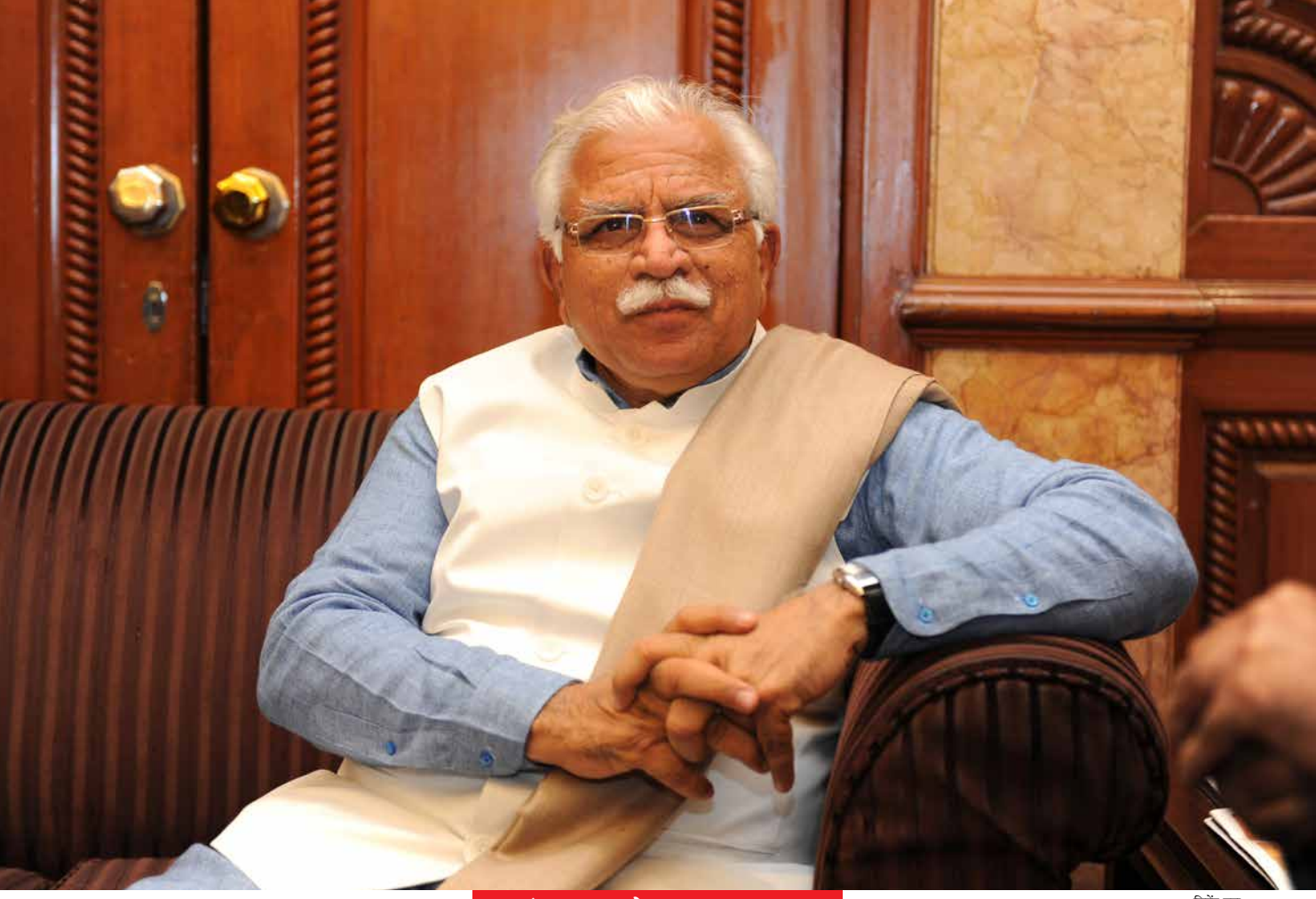

जितेंद्र गुप्ता

इंटरव्यू/मनोहर लाल खट्टर

"कोरोना को रोकने के लिए जो भी सख्ती करनी पड़ेगी, करेंगे"

हरियाणा के 22 जिलों में दो ग्रीन, 18 ऑरेंज जोन में हैं। सो, राज्य में आम जनजीवन, स्कूल-कॉलेज और औद्योगिक गतिविधियां सामान्य नहीं हैं। मार्च-अप्रैल में राज्य को 12 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रवासी मजदूरों की समस्याएं अलग हैं। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, इस पर **संपादक हरवीर सिंह** *ने मुख्यमंत्री* **मनोहर लाल खट्टर** *से बात की। प्रमुख अंश:*

कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए 25 मार्च से लगातार तीन बार लॉकडाउन लगाना पड़ा। इससे पैदा हुए हालात से निपटने के लिए आपकी क्या रणनीति रही?

हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। हरियाणा में इसकी शुरुआत 4 मार्च से हुई। उस समय 14 कोरोना संक्रमित इतालवी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आए। उस समय हमारा बजट सत्र चल रहा था। हमें कोरोना की तो कल्पना भी नहीं थी। अचानक इस महामारी से निपटने के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन स्थापित किए गए। सभी संबंधित विभागों को सक्रिय किया गया। शुरुआत में हमारे यहां स्थिति नियंत्रण में थी, पर 140 कोरोना संक्रमित तबलीगी लोगों के यहां आने से संकट बढ़ा। दूसरी चुनौती घरों के लिए निकले प्रवासी श्रमिकों के अचानक सड़कों पर आने से

जितेंद्र गुप्ता

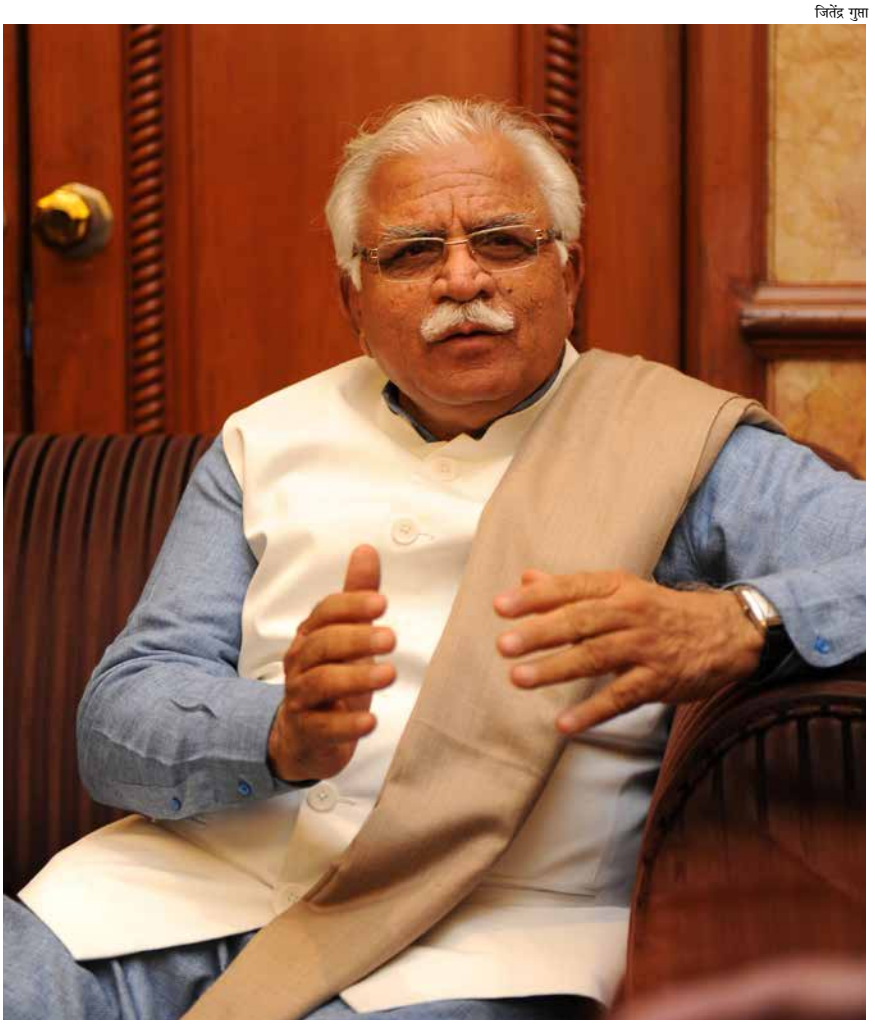

तरह की व्यवस्था की?

हमने क्वारंटीन के लिए करीब 14,000 बेड की इमरजेंसी व्यवस्था की। विदेशों से आने वाले करीब 30,000 लोगों को हमने सर्विलांस में रखा। स्थानीय लोगों से कोरोना संक्रमण नहीं फैला। तबलीगी जमात से संक्रमण पर भी पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। दिल्ली एक चुनौती है। एक नई चुनौती नांदेड़ गुरुद्वारा से आने वाले श्रद्धालु हो सकते हैं, जिनमें 15 संक्रमित हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और रोहतक जैसे औद्योगिक हब में आर्थिक गतिविधियां आंशिक रूप से शुरू हुई हैं। कुछ शर्तों के चलते यहां की गतिविधियां अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटी हैं। क्या उद्यमियों में काम का माहौल बहाल करने के प्रति विश्वास पैदा नहीं हो पाया है?

ऐसा नहीं है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की स्वत:

हरियाणा में इसकी शुरुआत 4 मार्च से हुई। 14 कोरोना संक्रमित इतालवी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आए। उस समय हमारा बजट सत्र चल रहा था। हमें कोरोना की तो कल्पना भी नहीं थी।

पैदा हुई। उन्हें राहत शिविरों में लेकर गए। 600 से ज्यादा संक्रमितों में बड़ी संख्या तबलीगी जमात के लोगों की है। दिल्ली का भी हरियाणा में बहुत असर पड़ा है। एनसीआर के चार जिलों सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही 350 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।

दिल्ली के तीन तरफ से लगती हरियाणा की सभी सीमाएं पूरी तरह सील की गई हैं, जबकि बड़ी तादाद में हरियाणा के लोगों को जरूरी सेवाओं के लिए रोज दिल्ली जाना होता है। इनके लिए दिल्ली में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति कैसे सुधरेगी?

दिल्ली से कोरोना को रोकना हमारे लिए बड़ी चुनौती है। हरियाणा से रोज दिल्ली जाने वालों के लिए यह रोकथाम हमें इसलिए करनी पड़ी कि कहीं कोरोना वॉरियर ही कोरोना कैरियर न बन जाएं। दिल्ली से कोरोना संक्रमित लोग हरियाणा में न आएं, इसके लिए हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को हरसंभव मदद की पेशकश की। रोज दिल्ली जाने वालों को भी अनुमति नहीं देंगे, चाहे वे पुलिसवाले हों या स्वास्थ्यकर्मी। यहां से सब्जियां लेकर जाने वाले किसान हैं, दूध आपूर्ति करने वाले हैं। कई सब्जी व्यापारियों में कोरोना का संक्रमण मिला, तब हमें रोज आने-जाने वालों को रोकना पड़ा। हमने साप्ताहिक पास जारी किए, ताकि लोग एक सप्ताह दिल्ली में रहने के बाद यहां आकर एकांतवास करें। बहुत जरूरी सेवाओं- प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह, रक्षा विभागों और स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत लोगों के लिए हमने छूट भी दी है। अन्य सेवाएं देने वालों पर हमने सख्ती की है। कोरोना रोकने के लिए जो भी सख्ती हमें करनी पड़ेगी, वह करेंगे।

हरियाणा के दो जिले ग्रीन जोन में, 18 ऑरेंज और दो रेड जोन में हैं। कोरोना ऐसी बीमारी है जिसमें पता नहीं चलता कि कौन कोरोना संक्रमित दूसरों में संक्रमण फैला दे। ऐसे में, लोगों को क्वारंटीन करने के लिए किस अनुमति मिल रही है। उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग की सावधनियां बरतने के बाद उत्पादन शुरू कर रहे हैं। 20,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां शुरू हो गई हैं, इनमें 12 लाख से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। रोजाना दो से तीन हजार इकाइयां शुरू हो रही हैं, जिनमें एक से डेढ़ लाख श्रमिक काम पर लौट रहे हैं। रेड जोन में जरूर सख्ती बरती जा रही है। ऑरेंज जोन में सावधानी की जरूरत है। जिला उपायुक्तों की अगुआई में बनी जिला स्तरीय कमेटियों की मदद से उद्योगों को खोलने की अनुमति दी जा रही है। रेड जोन में 33, ऑरेंज में 50 और ग्रीन जोन में 75 फीसदी लोगों के साथ काम करने की अनुमति है।

प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल राज्यों में भेजना बड़ी चुनौती है। हरियाणा में बाहर से बहुत से श्रमिक कृषि क्षेत्र और उद्योगों में काम करने के लिए आते हैं। अपने राज्य लौटने के लिए कितने श्रमिकों ने आवेदन किया है?

कृषि क्षेत्र में काम करने वाले करीब 65,000

श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन्हें पहले चरण में भेजा जा रहा है। उद्योगों में काम करने वाले करीब सवा दो लाख श्रमिकों ने ऐप पर आवेदन किया है। करीब 100 ट्रेनों में 1.20 लाख लोगों को भेजा जाएगा। मैंने लोगों से यह अपील भी की है कि यहां उद्योग-धंधे खुल रहे हैं, इसलिए लोगों को नहीं जाना चाहिए। जिन राज्यों में वे जाना चाहते हैं, वहां हालात हरियाणा से अच्छे नहीं हैं। मेरी अपील का असर यह हुआ कि उद्योगों के खुलने के साथ ही बहुत से श्रमिकों ने अपने मूल राज्य लौटने से इनकार कर दिया। तीन लाख में से करीब डेढ़ लाख लोग ही अपने राज्य जाना चाहते हैं। जाने वाले भी 15-20 दिन बाद वापस लौट सकते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है।

यहां निवेश करना चाहती हैं।

संकट की घड़ी में व्यक्तिगत आर्थिक सेहत और राज्य की आर्थिक सेहत पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। लॉकडाउन के दो महीने में गतिविधियां बंद रहने से राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। इसके आकलन और नुकसान से उबरने के उपाय तलाशने के लिए क्या किसी टास्क फोर्स का गठन किया गया है?

यह बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। जैसे परिवारों पर संकट आया है वैसे ही सरकारों पर भी संकट है। गरीब परिवारों की मदद के लिए हमने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत सूचीबद्ध 12.50 लाख में से 9.50 लाख लोगों में हरेक को चार हजार रुपये महीना दिया है। भवन निर्माण से जुड़े सवा तीन लाख

गैटी इमेजेज

हमने शराब के ठेके खोले हैं, उससे करीब 700 करोड़ रुपये महीना आएगा। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री खुलने से हर महीने करीब 150 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पेट्रोल पर 1.15 रुपये और डीजल पर एक रुपया लीटर वैट बढ़ाने से राजस्व के मोर्चे पर कुछ राहत मिलेगी। व्यापार शुरू होने से जीएसटी मिलेगा। ठप पड़े विकास कार्यों को पटरी पर लाने में कुछ महीने और लगेंगे। केंद्र से राहत पैकेज मिलने के बाद गतिविधियां बढ़ेंगी।

आर्थिक संकट से उबरने के दो उपाय होते हैं- खर्चे घटाएं और राजस्व के नए स्रोत तलाशे जाएं। आपकी सरकार ने नौकरियों में भर्ती पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। कुछ कर बढ़ाए हैं, कुछ खर्चे घटाए हैं, पर करों का बोझ बढ़ाने से महंगाई भी बढ़ जाती है। खर्च घटाने और आय के नए संसाधन जुटाने के क्या उपाय किए जा रहे हैं?

टैक्स हमने कोई ज्यादा नहीं बढ़ाया है। पेट्रोल पर 1.15 रुपये और डीजल पर एक रुपया लीटर वैट बढ़ाया है। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों ने सात रुपये लीटर तक वैट बढ़ाया है। फल तथा सब्जी पर मंडी फीस से हमें सालाना 40

कृषि क्षेत्र के करीब 65,000 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन्हें पहले चरण में भेजा जा रहा है। उद्योगों के करीब सवा दो लाख श्रमिकों ने आवेदन किया है। करीब 100 ट्रेनों में 1.20 लाख लोगों को भेजा जाएगा

श्रमिकों को भेजने का खर्च आपकी सरकार उठा रही है?

कोरोना रिलीफ फंड में जनता ने 225 करोड़ रुपये का योगदान किया है। श्रमिकों को भेजने के लिए आठ से दस करोड़ रुपये का खर्च इस फंड में से किया जाएगा।

ऐसी चर्चा है कि चीन में कार्यरत कई बड़ी विदेशी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं। ऐसे में, हरियाणा को कोई संभावना दिख रही है? क्या किन्हीं कंपनियों से संपर्क हुआ है?

हमने अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जो सभी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। टीम ने कई निवेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की हैं। दिल्ली के निकट होने के कारण जापान की कई कंपनियां

पंजीकृत श्रमिकों को पांच हजार रुपये महीना और पांच लाख बीपीएल तथा असंगठित श्रेत्र के श्रमिकों को भी सहायता दी गई है। 20 लाख से अधिक गरीबों को भी नकद सहायता राशि दी गई है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसके लिए राज्य में सवा दो करोड़ भोजन के पैकेट के अलावा बड़े पैमाने पर राशन भी वितरित किया गया है।

आर्थिक गतिविधियां बंद रहने से राज्य की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। मार्च और अप्रैल में जीएसटी, वैट, स्टांप ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी का 12 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद हमने हर महीने 4,500 करोड़ रुपये का खर्च वहन किया है। इसके लिए अप्रैल में 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था, मई में भी 2,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा।

करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसे मंडियों के विकास पर ही खर्च किया जाएगा। बसों का किराया 1.05 रुपये प्रति किलोमीटर किया है जो पड़ोस के राज्यों की तुलना में कम है। कर इतने नहीं बढ़ाए हैं कि जनता पर महंगाई का कोई बड़ा बोझ पड़े। मंत्रिमंडल के खर्च घटाए हैं, उनके विशेष कोटे का 51 करोड़ रुपये का फंड खत्म कर दिया है, दिसंबर तक किसी बोर्ड और कॉरपोरेशन में नया चेयरमैन नियुक्त नहीं किया जाएगा, नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी। शराब पर कोरोना सेस लगाया गया है, जिससे 300 करोड़ रुपये मिलेंगे। इन उपायों के बावजूद काम पूरा होने वाला नहीं है। केंद्र से बड़ा राहत पैकेज जरूरी है।

कृषि क्षेत्र में हरियाणा का बड़ा योगदान है। केंद्रीय पूल में पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर गेहूं

का योगदान करने वाले हरियाणा में महामारी के बीच गेहूं की कटाई और मंडियों में खरीद भी एक बड़ी चुनौती रही है। खरीदारी सामान्य बनाए रखने के मोर्चे पर सरकार की क्या तैयारी रही?

इस संकट में आइटी को छोड़कर हर क्षेत्र की सेवाएं करीब-करीब ठप रही हैं, पर कृषि क्षेत्र पर कोरोना का कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है। गेहूं की खरीदारी से 16,000 करोड़ रुपये और सरसों की खरीद से 6,000 करोड़ रुपये मार्केट में आएंगे। गन्ने के 2,000 करोड़ रुपये भी आएंगे। साल भर में कृषि क्षेत्र से 45,000 करोड़ रुपये बाजार में आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंडियां 500 से बढ़ाकर 1,800 की गई हैं। श्रमिकों की किल्लत से दो-चार होना पड़ा, फिर भी खरीदारी नहीं रुकने दी। 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर रजिस्टर्ड राज्य के

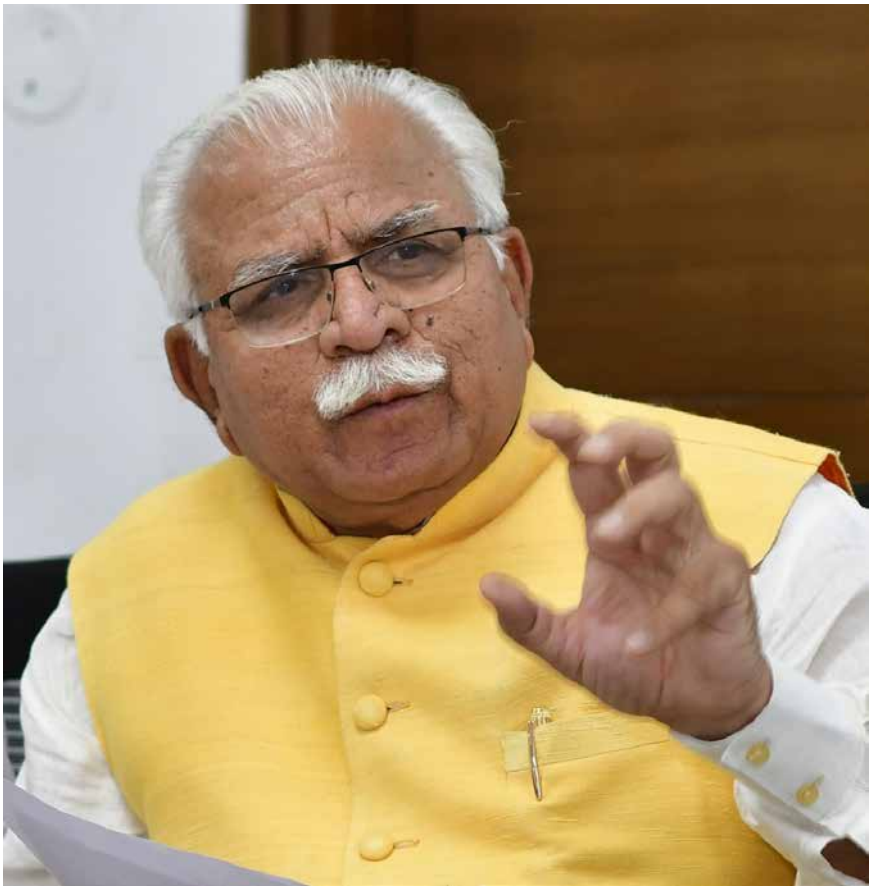

लॉकडाउन के दो महीने में हमारे आइटी प्रोजेक्ट तेजी से बढ़े हैं। ई-गवर्नेंस के माध्यम से आखिरी छोर के गरीब आदमी को सरकारी स्कीमों का सीधा लाभ मिला है। हमारी पारदर्शी सरकार है

किसानों से 65-70 लाख टन गेहूं खरीद होने की उम्मीद है। पांच लाख टन सरसों खरीदी जा चुकी है। आसपास के राज्यों के किसानों से गेहूं की खरीद रोकी गई, पर हरियाणा से गेहूं खरीदारी पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। दूसरे राज्य के किसानों की सरसों हरियाणा में नहीं खरीदी जाएगी।

फल-सब्जी उत्पादक किसानों को राहत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सब्जी उत्पादक किसानों के लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। सब्जी के भाव गिरने पर किसानों को लागत मूल्य की भरपाई की जाती है। एक साल हमने करीब 10 करोड़ रुपये दिए थे, पर दूसरे साल हमें भरपाई नहीं करनी पड़ी। इस बार दिल्ली के आसपास के सब्जी उत्पादक किसान प्रभावित हुए हैं, उन्हें योजना के तहत राहत दी जाएगी।

संकट के समय में शिक्षा पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ा है। बड़ी तादाद में वे छात्र जो स्कूली शिक्षा पूरी करके अगली कक्षाओं में जाने वाले थे, उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दाखिलों की प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है। ऐसे क्या उपाय किए जा रहे हैं कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र बर्बाद न हो?

शिक्षा विभाग की पूरी व्यवस्था तेजी से बदल रही है। ऑनलाइन शिक्षा के कुछ प्रावधान किए गए हैं, कुछ जारी हैं। एजुसेट को चैनल्स के साथ जोड़ा गया है। कॉलेज के छात्रों के लिए 4,000 से अधिक लेक्चर ऑनलाइन अपलोड किए गए हैं। राज्य उच्च शिक्षा परिषद से रिपोर्ट मांगी गई है कि किस तरह शिक्षा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाया जाए। किसी भी विद्यार्थी का शैक्षणिक सत्र खराब नहीं होने दिया जाएगा।

आपकी गठबंधन सरकार के छह महीने से ज्यादा हो गए। पिछली बार आपकी पार्टी की, और अबकी बार गठबंधन की सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं?

गठबंधन सरकार में मुझे कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं होता। कार्यशैली में कोई अंतर नहीं आया है। पिछली बार की सरकार में हमारे बारे में विपक्ष द्वारा कहा जाता था कि यह अनुभवहीन लोगों की सरकार है। हम स्वीकार करते थे कि हम अनुभवहीन हैं पर साथ में यह भी कहते थे कि हमें लैंड यूज में परिवर्तन, तबादलों और नौकरियों में वैसा अनुभव नहीं है, जो पूर्व सरकारों के कार्यकाल में रहा है। हम ऐसी सरकार नहीं चलाएंगे। हम पारदर्शी और जनहित वाली सरकार चलाएंगे। इस बार भी बेहतर कर रहे हैं। लॉकडाउन के दो महीने में हमारे आइटी प्रोजेक्ट तेजी से बढ़े हैं। ई-गवर्नेंस के माध्यम से आखिरी छोर के गरीब आदमी को सरकारी स्कीमों का सीधा लाभ मिला है।

मौजूदा परिस्थितियों में कब तक जनजीवन पटरी पर लौटने की उम्मीद की जा सकती है?

अनिश्चितता के माहौल में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब तक कोरोना से निकल पाएंगे। कोरोना से बाहर निकलने के बाद ही स्थिति सामान्य हो पाएगी। डर का माहौल भी बनाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक देश में ढाई करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित होंगे। कोरोना से बाहर निकलने के लिए जीवन शैली बदलनी पड़ेगी।

लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद 17 मई से और ढील मिलने की संभावना है?

कुछ शर्तों के साथ ढील पहले भी दी गई है। कोरोना का ग्राफ गिरने के साथ ही ढील और बढ़ेगी। ढील मिलने के बाद भी मूल मंत्र सोशल डिस्टेंसिंग ही है। लॉकडाउन बढ़ता है तो भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए काम जारी रहेगा।

बढ़ता ही जा रहा है खतरा

मई के आंकड़े काफी डरावने, टेस्ट कम होने से चिंता बढ़ी, कोरोना संक्रमण से जल्द राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम

प्रशांत श्रीवास्तव

उम्मीद और सरकारी दावा भी लगातार यही रहा है कि लॉकडाउन से कोरोनावायरस संक्रमण की श्रृंखला टूट जाएगी, कोविड-19 के मरीज घटते जाएंगे और मौत के आंकाड़ों पर अंकुश लग जाएगा। लेकिन लॉकडाउन-3 खत्म होने को है, चौथे की घंटी बजा दी गई है लेकिन संक्रमण छलांग मारने लगा है। मई के आंकड़े डरावने हैं। महीने का हर दिन मरीजों का नया रिकॉर्ड बना रहा है। महज 10 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले दोगुने हो गए हैं।

इलाज की समस्या: अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती भीड़ से स्वास्थ्यकर्मी हलकान

13 मई को दोपहर तक के आंकड़ों के अनुसार, देश में 74,954 लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं और 2,437 लोगों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों से एक भयावह तसवीर उभर रही है कि सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में 12वें नंबर पर पहुंच गया है।

सबसे अहम बात यह है कि संक्रमण की दर में भी तेजी से छलांग लगा रही है। लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर तीसरे चरण तक संक्रमण दर चार फीसदी से ज्यादा बनी हुई है। इस डर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के बयान से भी समझा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि "भारत में कोरोना संक्रमण का उच्चतम स्तर जून-जुलाई में हो सकती है।" ऐसे में, इस बात की भी आशंका है कि कहीं लॉकडाउन में ढील देने के बाद भारत में यूरोपीय देशों जैसी स्थिति न खड़ी हो जाए। कुछ विशेषज्ञों की यह भी राय है कि जल्दी ही संक्रमण के मामले अमेरिका जैसे हो सकते हैं। हालांकि इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है,

"देश में 319 जिले पूरी तरह संक्रमण से मुक्त हैं। भारत में अमेरिका और इटली जैसी स्थिति उत्पन्न होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। उपचार के बाद ठीक होने वाले मरीजों की दर सुधरकर 31.15 फीसदी हो गई है जो पिछले 15 दिनों की दर के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा है। भारत में कोविड-19 की मृत्यु दर 3.2 फीसदी है जबकि विश्व में यह 6.9 फीसदी है। इससे हम यह कह सकते हैं कि संक्रमण का दायरा कम हो रहा है।"

हालांकि कोरोना के संक्रमण की केवल यही हकीकत नहीं है। सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. धीरेन गुप्ता का कहना है कि भारत में टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। असल में बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान बहुत जरूरी है। अभी हो यह रहा है कि किसी गली में एक संक्रमित पाया जा रहा है, तो पूरी गली को सील कर दिया जा रहा है। जबकि जरूरत वहां के अधिकतर लोगों की टेस्टिंग करने की है, क्योंकि भारत में घर में भी जिस तरह लोग रहने को मजबूर हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग आसान नहीं है। टेस्टिंग के जिस तरीके की बात डॉ. धीरेन कर रहे हैं, वैसा ही हाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रेड जोन का भी है। मसलन, हेल्थ वर्कर वहां जाकर रैपिड टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। बल्कि वे लोगों से ही पूछ रहे हैं कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, जिसे सर्दी-जुखाम के लक्षण हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो हमें बताएं, हम उसकी जांच करेंगे। इसके विपरीत आइसीएमआर की रिपोर्ट दावा करती है कि देश में 80 फीसदी संक्रमित ऐसे हैं, जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। साफ है ऐसे में बहुत से लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। बिना लक्षण वाले मामले बढ़ने पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चिंता जता चुके हैं।

असल में भारत में 13 मार्च से बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होनी शुरू हुई है। कोविड-19 डॉट ओआरजी की रिपोर्ट के अनुसार, जब 24 मार्च को लॉकडाउन के पहले चरण का ऐलान किया गया था, उस वक्त 22,694 लोगों की टेस्टिंग हुई थी, उसमें से 2.54 फीसदी यानी 571 लोग संक्रमित पाए गए थे। अब यह दर चार फीसदी को भी पार कर चुकी है। एक सवाल और उठ रहा है कि भारत में आबादी की तुलना में टेस्टिंग बहुत कम की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रति 10 लाख आबादी पर भारत में टेस्टिंग की संख्या पाकिस्तान से भी कम है। भारत में जहां यह संख्या 1,275 है, वहीं पाकिस्तान में यह संख्या 1,438 है। इस पैमाने पर भारत काफी निचले पायदान पर है।

लेकिन दूसरे देशों खासकर यूरोप और अमेरिका में हो रही टेस्टिंग के आंकड़े हमसे काफी ऊपर हैं। मसलन, अमेरिका में प्रति दस लाख 30,017, स्पेन में 52,781, इटली में 44,221, जर्मनी में 32,891 और ईरान में 7,328 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। इसी डर को पलमोलॉजिस्ट डॉ. प्रशांत गुप्ता भी उठाते हैं। उनका कहना है कि कम संख्या में टेस्टिंग का सीधा मतलब है कि संक्रमण के वास्तिवक मामले सामने नहीं आएंगे। ऊपर से बिना लक्षण वाले मरीजों का अलग खतरा है। इस तरह संक्रमण बढ़ सकता है।

इसी तरह सबसे ज्यादा संक्रमण पाए जाने वाले देशों की तुलना में भी भारत में कम टेस्टिंग हो रही है। वर्ल्डमीटर डॉट ओआरजी (13 मई दोपहर तक) के अनुसार, भारत में 17.59 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है। वहीं अमेरिका में 99.35 लाख, रूस में 43 लाख, जर्मनी में 27.55 लाख और इटली में 26.73 लाख से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की गई है। इन सभी आंकड़ों से साफ है कि सबसे ज्यादा संक्रमण वाले देशों की आबादी के अनुपात में भारत में टेस्टिंग नहीं की जा रही है। ऐसे में अगर उस स्तर तक टेस्टिंग पहुंचती है तो स्थिति काफी चिंताजनक हो सकती है। टेस्ट न होने से यह भी आशंका घर करने लगी है कि संक्रमण स्टेज-3 यानी सामुदायिक फैलाव की स्थिति में पहुंच गया हो और हमें इसकी जानकारी ही नहीं हो। अगर ऐसा हुआ या होता है तो हमारे यहां स्वास्थ्य ढांचे की जो स्थिति है, उससे स्थिति डरावनी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार-बार यह कह रहा है कि लॉकडाउन के सीमित फायदे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट और इलाज ही संक्रमण रोकने में कामयाब हो सकता है।

बढ़ता संक्रमण: एक अस्पताल में कोविड-19 की टेस्टिंग करता हेल्थ वर्कर

कम संख्या में टेस्टिंग का सीधा मतलब है कि संक्रमण के वास्तिवक मामले सामने नहीं आएंगे। इस तरह संक्रमण बढ़ता जा सकता है

10 शहरों में आधे मामले

पिछले साढ़े तीन महीने में एक डरावनी तसवीर सामने आई है कि देश के बड़े औद्योगिक शहर बुरी तरह कोरोनावायरस के चंगुल में फंस गए हैं। संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में आए हैं। 13 मई दोपहर तक वहां 1,4897 मामले आ चुके हैं। उसके बाद दिल्ली में 7,639, अहमदाबाद में 6,353, चेन्नै में 4,882, पुणे में 2,997 और इंदौर में 2,016 संक्रमण के मामले आ चुके हैं। शहरों में मामले बढ़ने पर डॉ. प्रशांत कहते हैं, "घनी आबादी की वजह से वहां संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा ये शहर दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसका भी यहां असर हुआ है। लेकिन स्थिति अगर जल्द नियंत्रण में नहीं आई तो हालत बेकाबू भी हो सकते हैं।" जाहिर है, कोरोना का खतरा लंबे समय तक नहीं जाने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यह कह चुके हैं, "हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि इसकी लड़ाई लंबी है।"

"कोई भी जांच से अछूता नहीं रहेगा"

देश में कोरोना के संक्रमण का पहला मामला आए हुए 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लॉकडाउन भी तीसरे चरण में पहुंच गया है। लेकिन संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। उल्टे मई के महीने में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार का क्या रोडमैप है, क्या संक्रमण खत्म होने की कोई संभावना दिख रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री **डॉ. हर्षवर्धन** *ने* **प्रशांत श्रीवास्तव** *के सवालों का जवाब दिया है। प्रमुख अंश:*

पिछले चार महीने से कोरोना का संकट भारत पर छाया हुआ है, लेकिन स्थिति अभी भी सुधरती नहीं दिख रही है?

पिछले चार महीनों में हमने कोविड-19 संक्रमण पर काबू पाने के लिए एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए, जिनसे संक्रमण पर मजबूती से स्पीड ब्रेकर लगाने में सफल रहे हैं। इस समय देश के 733 जिलों में से 130 जिले रेड जोन (हॉटस्पॉट) में, 284 जिले ऑरेंज जोन (नॉन हॉटस्पॉट) में और बाकी बचे 319 ग्रीन जोन (संक्रमण मुक्त) में हैं। उपचार के बाद ठीक होने वाले मरीजों की दर सुधरकर 31.15 फीसदी हो गई है, जो पिछले 15 दिनों की दर के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा है। भारत में कोविड-19 की मृत्यु दर 3.2 फीसदी है जबकि विश्व में यह 6.9 फीसदी है। देश में लॉकडाउन से पहले मामले दोगुना होने की दर 3 दिन रही जबकि अब मामले दोगुना होने की दर 12 दिन है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में कोरोना के संक्रमण का दायरा कम हो रहा है।

लेकिन हाल में संक्रमण और मौत के आंकड़े दोनों बढ़े हैं। यह स्थिति चिंताजनक दिखती है?

संक्रमण के मामले 67,015 हो गए हैं और उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जाने की दर भी 29.3 फीसदी है। इसका मतलब है कि एक चौथाई से अधिक रोगियों ने सरकार के गुणवत्तापूर्ण उपचार के बल पर वापस सुखद जीवन की शुरुआत की है। कुछ राज्यों में सघन बसी कॉलोनियों और बहुत बड़े स्लम होने के कारण मामले तेजी से बढ़े हैं। शायद इन इलाकों में लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। इसलिए कुछ राज्य लॉकडाउन के उस तरह के फायदे नहीं ले सके जितने देश के बाकी राज्यों को मिले। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों के 20 जिलों में उच्च अधिकारियों के दल भेजे थे, जिन्होंने ऐसी खामियों का पता लगाया जिनसे कम से कम समय में स्थिति सुधारी जा सके।

क्या हम स्टेज-3 में पहुंच गए हैं?

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले भी स्पष्ट किया था कि भारत संक्रमण के तीसरे चरण में नहीं पहुंचा है। इसे लेकर कई सूत्र अक्सर भ्रम फैलाते रहे हैं। देश में चार राज्य और 319 जिले पूरी तरह संक्रमण से मुक्त हैं। 11 मई तक 12 राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोई मामले नहीं आए हैं। पिछले तीन दिन में मामले दोगुना होने की दर 12 दिन, पिछले सात दिनों के दौरान यह दर 10 दिन, पिछले 14 दिन में यह दर 11 दिन रही है । इसका अर्थ है कि हम स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में आने के बाद मामले कम होने शुरू हो सकते हैं। भारत में स्थानीय संक्रमण के कारण मामले इतने नहीं बढ़े, जितने विदेशी यात्रियों के आगमन के कारण बढ़े। कई बार बड़ी मात्रा में निमोनिया की जांच के परिणाम में भी तीसरे चरण से निकटता का कोई संकेत नहीं मिला है। ऐसे में कम्युनिटी संक्रमण का कोई खतरा नहीं है।

कई राज्यों में स्थिति गंभीर हो चुकी है, वहां क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में मामले एक हजार से अधिक हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली मामलों की संख्या में पहले तीन स्थानों पर हैं। केंद्र इन राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में है। मैं भी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हूं। इन राज्यों से, घर-घर जा कर संक्रमित लोगों की पहचान करने, मामलों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए लोगों को प्रेरित करने, कुछ जिलों का दायित्व मेडिकल कॉलेजों को सौंपने और समुचित कंटेनमेंट स्ट्रेटजी अपनाने को कहा गया है।

संक्रमण के ऐसे भी मामले आ रहे हैं कि जिनके अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं, यह कितनी गंभीर स्थिति है?

बीमारी के व्यवहार की दृष्टि से यह असामान्य नहीं है। देखा गया है कि इस संक्रमण के 80 प्रतिशत रोगियों में हल्के लक्षण होते हैं। हाल ही में अमेरिका में स्वास्थ्य क्षेत्र के एक संगठन सीडीएस (सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऐंड प्रिवेंशन) ने कोविड-19 से जुड़े छह और लक्षण शामिल किए हैं। ये लक्षण हैं-सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, आंखें गुलाबी होना, किसी गंध या स्वाद का पता न चलना, अधिक सर्दी लगना और गले में खराश तथा दर्द होना। नए लक्षणों को वर्तमान लक्षणों में शामिल करने का निर्णय हमारे यहां आइसीएमआर लेता है। अगर छह नए लक्षण शामिल कर लिए गए तो हो सकता है कि मामलों की संख्या बढ़े। मौजूदा लक्षणों की पद्धति के अनुसार अब तक हम 16,73,174 परीक्षण कर चुके हैं। जैसे ही आइसीएमआर पद्धति में बदलाव करेगा, हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों में इन अतिरिक्त लक्षणों का भी ध्यान रखेंगे और जांच की संख्या बढ़ाएंगे।

लॉकडाउन से संक्रमण रोकने में कितनी मदद मिली है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कोरोना का प्रकोप अभी और गंभीर होगा?

25 मार्च को लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि में देश भर के लोगों के सहयोग और कोरोना योद्धाओं की समर्पित सेवाओं से हालात सुधरे हैं। पूरी आशा है कि लॉकडाउन के परिणाम बेहतर होंगे। कुछ स्थानों पर मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन देश के लगभग 44 प्रतिशत जिले संक्रमण से दूर हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पिछले हफ्ते तक 69 जिलों में 7 से 13 दिन में कोई मामला सामने नहीं आया है। देश के 37 जिलों में 14 से 20 दिन में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। देश के 28 जिलों में पिछले 21-27 दिन में किसी मामले का पता नहीं चला है। सिक्किम, नगालैंड, लक्षद्वीप और दमन दीव में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। साफ है कि लॉकडाउन का फायदा मिल रहा है।

यह भी आरोप है कि भारत में दूसरे देशों की तुलना में टेस्टिंग काफी कम हो रही है?

यह कहना सही नहीं होगा कि भारत में दूसरे देशों की तुलना में टेस्टिंग काफी कम हो रही है। विश्व में आबादी के लिहाज से भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। वर्तमान में कोविड-19 से प्रभावित संपन्न और विकसित देशों समेत सभी देशों के मुकाबले भारत में मामलों की संख्या कम है। इसका कारण यह है कि हमने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए शुरुआत से ही कारगर प्रयास किए। भारत में अब तक (10 मई) हमने 16,73,174 टेस्ट किए हैं। इस समय टेस्ट करने की प्रतिदिन क्षमता एक लाख हो गई है। इसके लिए 345 सरकारी प्रयोगशालाएं और 131 निजी प्रयोगशालाएं जांच कर रही हैं। हम 4.5 लाख टेस्ट तुरंत करने की स्थिति में हैं। और 56 लाख टेस्ट के लिए आवश्यक मात्रा में किट खरीदने के आर्डर दे दिए गए हैं। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति जांच से वंचित नहीं रहेगा, जिसकी जांच करना आवश्यक होगा।

हम विश्वास से कह सकते हैं कि जरूरी अस्पतालों, बेड, वेंटिलेटर की न तो अभी कमी महसूस की जा रही है, न भविष्य में कमी होने वाली है

अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा जा रहे हैं? पीपीई किट की कमी की भी शिकायतें हैं?

हमारे पास वर्तमान में अस्पताल, आइसोलेशन बेड, आइसीयू बेड, वेंटिलेटर, मास्क और पीपीई पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। देश में कोविड-19 के विशेष अस्पतालों और विशेष स्वास्थ्य केंद्रों की कुल मिलाकर संख्या 2,948 है, जिनमें 2,84,303 आइसोलेशन बिस्तर, 29,505 आईसीयू बेड और 13,669 वेंटिलेटर हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्राप्त आकंड़ों के अनुसार अभी तक कुल रोगियों में से 1.1 प्रतिशत रोगियों को वेंटिलेटर की जरूरत होती है। इसी तरह कुल रोगियों में से 4.7 प्रतिशत रोगियों को आइसीयू की आवश्यकता होती है और 3.2 प्रतिशत रोगियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम अब तक पीपीई और एन-95 मास्क का आयात किया करते थे। सरकार ने देश के 109 घरेलू कंपनियों को पीपीई बनाने और 10 अन्य कंपनियों को एन-95 मास्क बनाने के लिए चुना है। इनसे 2.23 करोड़ पीपीई और 2.48 करोड़ एन-95 मास्क की खरीद के ऑडर दे दिए गए हैं। इसी तरह देश में घरेलू कंपनियों को 59 हजार वेंटिलेटर की खरीद के आर्डर दिए गए हैं। इसलिए हम विश्वास से कह सकते हैं कि जरूरी अस्पतालों, बेड, वेंटिलेटर की न तो अभी कमी महसूस की जा रही है, न भविष्य में कमी होने वाली है।

अगर अमेरिका-इटली जैसी स्थिति होती है, तो उसके लिए कितनी तैयारी है?

मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे देश में अमेरिका और इटली जैसी स्थिति उत्पन्न होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। इसका कारण यह है कि हमने 7 जनवरी, 2020 को चीन से कोरोनावायरस संक्रमण की जानकारी देने के अगले दिन ही अपनी तैयारियों का खाका बना लिया था। उसी दिन संयुक्त तकनीकी समिति की बैठक स्वास्थ्य मंत्रालय में की गई। 17 जनवरी, 2020 को इस संदर्भ में कमर कसने के लिए राज्यों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए। मेरी अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया गया जिसने 14 बैठकों में उभरती वैश्विक स्थिति के अनुरूप समय-समय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 11 उच्चाधिकार प्राप्त समूह भी गठित किए। पुख्ता तैयारियों, निरंतर समीक्षा, राज्यों के सहयोग तथा कोरोना योद्धाओं की कुशलता, क्षमता और अनुभव से इस संक्रमण पर हमारी निश्चित रूप से विजय होगी।

नाबार्ड

जैसे आपके स्वास्थ्य की रक्षा में तत्पर है
कोविड-19 लड़ाकों की अगली कतार,

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए नाबार्ड है तैयार

Nabard staff contribute ₹9.85 crore to PM-Cares

Our Bureau

umbai: The Reserve Bank of India

नाबार्ड के कर्मचारियों ने

RBI to provide ₹50,000-cr ce facility to AIFIs

KRISHNAN

India (RBI) on Fri- efinance facilities crore to All-India (AIFIs) like the ulture and Rural Small Industries India (Sidbi) and (NHB).

n taken by the RBI needs at a time facing difficulty

00 crore includes for refinancing

Nabard disbur ₹12,767 cr to co-op banks

THE NATIONAL Bank and Rural Developm Tuesday said it has 767 crore to s

Nabard disburses ₹12,767 cr to State Co-op Banks, RRBs

OUR BUREAU

Mumbai, May 5

The National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard), on Tuesday, said it has disbursed ₹12,767 crore to State Co-operative Banks (StCBs) and Regional Rural Banks (RRBs) across the country to augment

had announced a ₹50,000-crore refinance facility for three AIFIs – Nabard, the Small Industries Development Bank of India (SIDBI), and the National Housing Bank (NHB).

Long-term funding

These AIFIs play an important role in meeting the long-

NABARD

नाबार्ड ने दिया बैंकों 12,767 करोड़ का

मुंबई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक ने मंगलवार को कहा

कौन जिम्मेदार : औरंगाबाद में 16 श्रमिकों को मौत सिस्टम पर सवाल

आवरण कथा/प्रवासी मजदूर/ग्राउंड रिपोर्ट

पीटीआइ

बेमौत मरने की त्रासदी

भूख, भय, लाचारी से प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक स्थिति, कुछ की मौत जैसे दृश्य की मिसाल ढूंढ़ना मुश्किल

प्रशांत श्रीवास्तव

वह कौन गुनहगार है? कोरोनावायरस तो यकीनन नहीं। भूख, भय, लाचारी, राजमार्ग, रेलवे पटरियां या कुछ मामलों में खुदकुशी! बेशक ये गुनहगार हैं क्योंकि सरकारें, पुलिस-प्रशासन कैसे हो सकता है, जिनकी ताबेदारी में सब कुछ है, जिनके फैसलों से ये हालात पैदा हुए। आखिर सरकारें भूख को वजह मान लें तो अकाल संहिता लागू होने की डरावनी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी एक धारा इस सिलसिले में लागू हो सकती है कि भूख से बचने के लिए बड़े पैमाने पर पलायन और लाचारी मौत की वजह बन सकती है। इसी तरह बाकी वजहें भी सरकारों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। सो, केंद्र से लेकर राज्य सरकारें कोविड-19 को गुनहगार बताकर अपने गुनाह से हाथ झाड़ ले रही हैं। चाहे तो आप इन्हें लॉकडाउन शहीद कह सकते हैं। लेकिन हालात की भयावहता गंभीर सवाल खड़े करती है।

अपनी आजीविका गंवाकर भूख से बचने की खातिर दिहाड़ी मजदूर परशुराम और राहुल अपने घर और अपनों की सुरक्षा की आस में हैदराबाद से 1400 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के लिए पैदल निकले। लेकिन उनकी किस्मत में घर वालों का दीदार नहीं था। घर जब महज 60-70 किलोमीटर ही दूर था, तो दोनों अपने सात साथियों के साथ ट्रक की चपेट में आ गए। पिछले डेढ़ महीने से चल रहे लॉकडाउन में दिल-दहलाने वाली ऐसी खबरें हर रोज आ रही हैं। डरावना लॉकडाउन 11 मई तक 418 से ज्यादा मजदूरों की जान ले चुका है। इन गरीबों ने केवल इसलिए जान गंवाई है, क्योंकि लॉकडाउन ने उनके जीने का जरिया छीन लिया। उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और न ही घर पहुंचने का साधन है। अपनों

से हजारों किलोमीटर दूर लाखों मजदूर भूखे-प्यासे पैदल ही कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर निकल पड़े हैं।

'न्यू इंडिया' की यह भयावह तसवीर है, जिसमें भारत और इंडिया के बीच बढ़ती खाई पैदल चल रहे मजदूरों के पैर की बेवाई जैसी दर्दभरी है। भारत यानी वह तबका जो साधनहीन है, जो किसी भी संकट में सबसे पहले भूख और बेरोजागरी का सामना करता है। वह मौजूदा संकट में लाचार और ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

भारत में स्वास्थ्य और सामाजिक गैर-बराबरी पर काम करने वाली शोधकर्ता, अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी की कनिका शर्मा की रिपोर्ट कई चौंकाने वाले तथ्य सामने लाती है। उनके अनुसार, "29 मार्च से उनकी टीम ने आंकड़े जुटाना शुरू किया तो मौत की वजहें आधुनिक भारत के लिए तमाचे से कम नहीं हैं। सोचिए 46 लोग केवल इसलिए मर गए क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था, न पैसे थे। इसका दर्दनाक उदाहरण झारखंड के गढ़वा की 70 वर्षीय सोमरिया का है, जिन्होंने 3 दिनों तक खाना न मिलने से दम तोड़ दिया। इसी तरह 26 लोगों की मौत थकान से हो गई, क्योंकि उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला और पैदल चलने को मजबूर हो गए। इनमें कुछ राशन लेने के लिए घंटों कतार में खड़े रहने की वजह से दम तोड़ बैठे। उत्तर प्रदेश के बदायूं की शमीम बानो, जिनके पति दिल्ली में फंसे हुए थे, दो दिन तक राशन के लिए कतार में लगी रहीं, और तेज़ धूप और थकान से कतार में ही गिर पड़ीं। बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।" उनके हिसाब से मार्च के आखिरी हफ्ते से 11 मई तक करीब 418 लोग लॉकडाउन की दुश्वारियों से जान गंवा चुके थे।

मजदूरों की लाचारी का आलम यह है कि 83 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। इसी तरह 40 कामगारों ने केवल इसलिए दम तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पहले से मौजूद गंभीर बीमारी का इलाज कराने का मौका ही नहीं मिला। अलीगढ़ में चाय बेचकर गुजर-बसर करने वाले 45 साल के संजय राम को टीबी था, लेकिन लॉकडाउन में उनका इलाज ही नहीं हो पाया। वह अपने परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चले गए।

ये देश के कोने-कोने में अपना घर-बार छोड़कर अपना शारीरिक श्रम बेचकर रोजी-रोटी कमाने निकले वे लोग हैं, जिनके एक राज्य से दूसरे राज्य और शहर में प्रवास को केंद्र सरकार के दस्तावेज प्रगति का परिचायक कहते हैं। वर्ष 2016-17 का आर्थिक सर्वेक्षण इसे "गतिशील भारत" का प्रमाण मानता है। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम की अगुआई

त्रिभुवन तिवारी

दर-दर भटकते: दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए साधन ढूढ़ंती दो महिलाएं और एक बच्ची

जमलो मड़कम

(12 साल)

बीजापुर, छत्तीसगढ़

अप्रैल की 16 तारीख को छत्तीसगढ़ के आदेड़ गांव की रहने वाली 12 साल की बच्ची जमलो मड़कम की मौत तेलंगाना से अपने घर पैदल आने के दौरान हो गई थी। जमलो की मां सुकमति और पिता आंदोराम मड़कम खेती कर अपना जीवनयापन करते हैं। मां सुकमति सिर्फ वहां की स्थानीय भाषा गोंडी में ही बोल पाती हैं। पंचायत के सरपंच प्रतिराम उनकी बात हिंदी में बताते हैं, "वह फरवरी की पहली तारीख को तेलंगाना मिर्च तोड़ने के काम से गांव के अन्य लोगों के साथ गई थी। मिर्च तोड़ाई का काम पूरा हो गया था और लॉकडाउन की वजह से खाने-पीने को कुछ नहीं था, इसलिए

जमलो ने दूसरे लोगों के साथ 200 किमी. दूर अपने गांव तक पैदल चलने का फैसला किया।" पुलिस के डर से सभी जंगल के रास्ते आ रहे थे। किसी के पास न मोबाइल था न टॉर्च। खेत की मेड़ पर जमलो का पैर फिसल गया और वह गिर गई। इस तरह वह कई बार गिरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पसली टूट गई थी। कोई चिकित्सा सुविधा न मिलने से उसकी मौत हो गई। उसकी मां कहती हैं, "अगर समय से इलाज मिलता तो मेरी बेटी बच सकती थी। गांव से महज 15 किमी. दूर उसने सांस तोड़ दी। मैं उसकी न आखिरी आवाज सुन पाई और न उसका चेहरा देख पाई। तीन दिन बाद उसका पार्थिव शरीर गांव लाया गया। बर्फ में नहीं रखे जाने के कारण उसका पूरा चेहरा खराब हो गया था, मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली गई।"

किसी को निराश न होने देंगे

लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का बड़ा बोझ उत्तर प्रदेश पर पड़ा है। ऐसा अनुमान है कि प्रदेश में 10-15 लाख प्रवासी मजदूर देश के दूसरे राज्यों से वापस आएंगे। ऐसे में प्रदेश सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कितनी तैयार है, इस पर आउटलुक के **कुमार भवेश चंद्र** *ने डिप्टी सीएम* **केशव प्रसाद मौर्य** *से बातचीत की है। कुछ अंश:*

राज्य में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, ऐसे में इनको लेकर क्या योजना है?

लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के कई सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए थे। हमारी प्राथमिकता थी कि उसे शुरू किया जाए। हमने उस काम को आगे बढ़ा दिया है। लगभग 50 फीसदी काम फिर से शुरू हो गए हैं। आगे इसमें और तेजी आएगी। प्रदेश के काफी लोग रोजगार और छोटी-मोटी नौकरियों के लिए दूसरे प्रदेशों में थे। आपदा की इस स्थिति में दूसरे प्रदेशों से वे लौटकर कर आ रहे हैं। उन्हें प्रदेश में रोजगार देने के लिए एक समिति बनाई गई है, जो उनके लिए रोजगार के संभावित क्षेत्रों और संभावनाओं को लेकर खाका तैयार कर रही है।

इतनी संख्या में आए लोगों को रोजगार देना संभव होगा?

देखिए प्रदेश में काम की अपार संभावनाएं हैं। अभी तक आए मजदूरों को 14 दिन के आवश्यक क्वारंटीन में रखने के बाद उनके लिए काम की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनका पूरा उपयोग किया जाएगा। फिलहाल, हमारे पास बाहर से आने वाले श्रमिकों की संख्या को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार ने इस दिशा में भी काम शुरू कर दिया है, जो पहले कभी नहीं किया गया। आने वाले समय में हमारे पास श्रमिकों के बारे में पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा। वे किस तरह का काम करते हैं कितना पढ़े-लिखे हैं, किस तरह के काम का प्रशिक्षण या अनुभव उनके पास है, ये सारी जानकारी सरकार के पास उपलब्ध होगी। एक ऐप के माध्यम से प्रवासी श्रमिक भाई-बहनों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

किन क्षेत्रों में रोजगार की संभावना दिख रही है?

हम मनरेगा के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ाना देने की योजना पर काम कर रहे हैं। डेयरी और कृषि आधारित छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति पर भी काम करने का विकल्प है। इसके अलावा भी अनंत संभावनाएं हैं। निर्माण क्षेत्र में भी काम की असीमित संभावनाएं हैं। इस संकट से उबरने के बाद पंचायत से लेकर जिला स्तर पर निर्माण क्षेत्र में रुके कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और उनमें उनके लिए रोजगार के इंतजाम किए जाएंगे। प्रयास यही है कि विपदा की घड़ी में अपने प्रदेश लौटने वाले हमारे किसी भी भाई-बहन को निराश न होना पड़े। वक्त जरूर लग सकता है। हमारी कोशिश है कि प्रदेश में पहले से जिन लोगों की रोजगार की दिक्कतें हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो और जो बाहर से बड़ी उम्मीद लेकर आ रहे हैं, उन्हें भी निराशा नहीं हो।

में आए उस आर्थिक सर्वेक्षण में श्रमिकों के इस प्रवास की तुलना चीन के विकास से की गई थी। उसके अनुसार देश में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो अपना घर छोड़कर काम और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। उनके इस प्रवास की प्रक्रिया 2011-17 के बीच काफी तेजी से बढ़ी है। इस अवधि में औसतन 8-9 करोड़ लोग हर साल दूसरी जगहों पर रोजी-रोटी की तलाश में गए। जबकि 2001-11 के दशक में औसतन हर साल 5-6 करोड़ प्रवासी मजदूर निकलते थे। हालांकि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का आकलन है कि कोविड-19 के संकट की वजह से 40 करोड़ प्रवासियों पर असर पड़ेगा।

लॉकडाउन में भारत और इंडिया के बीच की खाई पैदल चल रहे मजदूरों के पैरों की दर्दभरी बेवाई जैसी है

हर साल 8-9 करोड़ लोग जो घर छोड़कर काम की तलाश में दूसरे शहरों में जाते हैं, वे करते क्या हैं? इसका जवाब प्रवासी मजदूरों पर काम करने वाली संस्था आजीविका देती है। उसके अनुसार, इस तरह के प्रवासियों को सबसे ज्यादा रोजगार कंस्ट्रक्शन सेक्टर देता है। इसमें करीब चार करोड़ लोग काम करते हैं। इसके बाद करीब दो करोड़ मजदूर ऐसे हैं, जो लोगों के घरों में काम करते हैं। वहीं 1.10 करोड़ लोगों को टेक्सटाइल सेक्टर रोजगार देता है। जबकि एक करोड़ लोग ईंट-भट्ठों में काम करते हैं। करीब 1.5 से दो करोड़ लोग कृषि, खनन, ट्रांसपोर्टेशन आदि क्षेत्रों में काम करते हैं। सवाल यह भी उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आते कहां से हैं और जाते कहां हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। इनमें ज्यादातर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और तमिलनाडु में आजीविका के लिए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वालों की संख्या करीब दो करोड़ थी। देश के चार राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से कुल प्रवासी मजदूरों के 50 फीसदी आते हैं।

लेकिन लॉकडाउन में ये सब धंधे ठप हैं। स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क *स्वान* के आंकड़े लॉकडाउन की एक और तसवीर बयां करते हैं। पहले चरण के लॉकडाउन के दौरान *स्वान* ने 11,159 मजदूरों से

पीटीआइ

क्वारंटिन : जालंधर में घर जाने से पहले मजदूरों की जांच करते स्वास्थ्यकर्मी

संपर्क किया। उसके अनुसार 72 फीसदी मजदूर ऐसे थे, जिनके पास दो दिन से भी कम खाने का राशन बचा हुआ था। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक में मौजूद मजदूरों की काफी बुरी स्थिति थी। बेंगलूरू में तो कई जगहों पर मजदूर केवल एक वक्त ही खाना खा रहे थे। आगे खाना मिलेगा कि नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं दिखती है। ऐसे में थोड़ा खाकर काम चला रहे हैं। इसी तरह बिहार के रहने वाले सुजीत कुमार की कहानी काफी दर्दनाक है। पंजाब में बठिंडा में फंसे सुजीत को चार दिन से खाना नहीं मिला। सरकारी बयानों और जमीनी हकीकत में कितना अंतर होता है, उसकी बानगी भी यह रिपोर्ट बयां करती है। उत्तर प्रदेश में जिन 1,611 मजदूरों से स्वान ने संपर्क किया, उनका कहना था कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई राशन नहीं मिला। इसी तरह राज्य सरकारें जो भोजन वितरण का दावा कर रही हैं, उसकी भी हकीकत कुछ और ही है। मसलन, कर्नाटक में 80 फीसदी लोगों को पका हुआ खाना नहीं मिला। हालांकि दिल्ली और हरियाणा में स्थिति दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर रही है। दिल्ली में 60 फीसदी मजदूरों ने माना है कि उन्हें सरकार की तरफ से खाना मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां बहुत बेहतर स्थिति है। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर 11 अप्रैल को तीन शेल्टर होम में प्रवासी मजदूरों को खाना नहीं मिलने से तोड़-फोड़ हुई। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर दिल मोहम्मद का कहना है कि वे चार घंटे तक अपने दो बच्चों के साथ खाने के लिए लाइन में खड़े रहे, लेकिन अंत में उन्हें केवल चार केले ही मिल पाए।

बार-बार अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, लुधियाना या फिर हैदराबाद में पिछले डेढ़ महीने से फंसे मजदूरों के जगह-जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी भी वजह रिपोर्ट बयां करती है। इन हजारों मजदूरों की केवल यही मांग है कि उन्हें घर जाने दिया जाए। ये ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी औसतन कमाई करीब 400 रुपये रोजाना होती है। जब लॉकडाउन हुआ तो काम छूट गया, उनके पास पैसे भी खत्म हो गए। रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में 78 फीसदी मजदूरों के पास 300 रुपये से कम पैसे बचे थे। केंद्र और राज्य सरकारों के लाख दावों के बावजूद 89 फीसदी लोगों को उनके नियोक्ताओं ने सैलरी नहीं दी। नौ फीसदी लोगों को सैलरी का कुछ हिस्सा ही मिल पाया।

दिल्ली में एक ऑटो ड्राइवर को मदद के नाम पर चार घंटे अपने बच्चों के साथ लाइन में लगने पर सिर्फ चार केले मिले

इस संकट पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल चार घंटे का मौका दिया। भारत जैसे देश में जहां केवल 1.5-2 करोड़ लोग मेट्रो शहरों के स्लम में रहते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा गरीब तबके के

श्याम बहादुर

(52 साल)

बलिया, उत्तर प्रदेश

उत्तराखंड में गेहूं की कटाई कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे श्याम बहादुर 26 अप्रैल को यूपी के बलिया अपने घर तो पहुंचे लेकिन चार दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। पत्नी भानवा देवी कहती हैं, "22 अप्रैल को करीब 150 किमी पैदल चलने के बाद वो बरेली पहुंच चुके थे लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद वहां के ग्रामीणों ने फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने लकवा की शिकायत बताई। 17,000 में एंबुलेंस कर उनको घर लाया गया लेकिन ठीक से उपचार न मिलने और पैसे की तंगी की वजह से उनकी मौत हो गई।" मुआवजे की बात पूछने पर वो रोते हुए कहती हैं, "राशन तो मिलता नहीं, मुआवजा तो दूर की कौड़ी है।"

मोतीलाल साहू

(38 साल)

सीधी, मध्य प्रदेश

प्राइवेट एंबुलेंस को 35,000 रुपये देकर पिछले महीने 25 अप्रैल को 38 साल के मोतीलाल साहू का मृत शरीर मध्य प्रदेश के सीधी लाया गया। वह मुंबई में काम करते थे। उनके भाई राकेश का कहना है कि सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। वो अपने गांव हटवा के लिए अन्य लोगों के साथ 21 अप्रैल को चले थे लेकिन 200 किमी. चलने के बाद उनकी मौत हो गई और 1,300 किमी. का अधूरा सफर कफन के साथ दफन हो गया। राकेश बताते हैं, "कोई व्यक्ति 24 घंटे बिना खाए चलेगा तो वो कैसे जीवित रह पाएगा।" वो आगे कहते हैं, "शाम पांच बजे एंबुलेंस को फोन किया था लेकिन एंबुलेंस तीन घंटे बाद रात आठ बजे आई।" मोतीलाल अपने पीछे तीन बेटी और पत्नी को छोड़ गए हैं।

प्रवासी हैं, उनके लिए यह मजाक से कम नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि सरकार में शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों को उन लोगों की हकीकत का अंदाजा नहीं रहा होगा? जाहिर है, सरकार ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया।" शोधकर्ता कनिका भी लॉकडाउन के तरीके पर सवाल उठाती हैं। वे कहती हैं, "दुनिया में सबसे सख्त लॉकडाउन भारत में चल रहा है। अमेरिका में भी लॉकडाउन है, मैं इस समय वहीं हूं, लेकिन जिस तरह मजदूर और गरीब लोग बेवजह भारत में मौत के शिकार हो गए, वैसा अमेरिका में नहीं हो रहा है जबकि यहां भारत से कई गुना ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है।"

पर टिकट दिखाकर बताया कि सामान्य समय में लगने वाले किराए से भी ज्यादा पैसा लिया जा रहा है। इस पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बकायादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों का किराया देगी, क्योंकि ऐसे समय में भी सरकार राहत देने के बजाय, शोषण कर रही है। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी दावा कर दिया कि किराए का 85 फीसदी केंद्र सरकार और 15 फीसदी राज्य सरकारें वहन कर रही हैं। ये आंकड़े कैसे निकले, इस पर भी विवाद है। फिर, बड़े वोट बैंक के खोने के डर से राज्य सरकारें भी सक्रिय हुईं। मध्य प्रदेश

बस का सहारा : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचे प्रवासी श्रमिक अपना टिकट दिखाते हुए

पीटीआइ

38 दिन बाद श्रमिक ट्रेन

मजदूरों के बढ़ते विरोध और राजनैतिक दबाव के बाद केंद्र सरकार ने एक मई को श्रमिक स्पेशन ट्रेन चलाने का ऐलान किया। एक ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए 1,200 मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्था की गई। रेल मंत्रालय के अनुसार रविवार, दोपहर (10 मई) तक 366 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। 44 फीसदी ट्रेन उत्तर प्रदेश, 30 फीसदी ट्रेन बिहार के लिए चलाई गई हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के लिए सबसे ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन आंकड़ों के आधार पर करीब 4 लाख मजदूरों को ट्रेन के जरिए उनके राज्यों में पहुंचाया गया है। लेकिन इसके किराए पर विवाद छिड़ गया। कई मजदूरों ने सोशल मीडिया

में शिवराज सिंह सरकार ने किराया खुद वहन करने की बात कही, तो बिहार की नीतीश सरकार ने भी कहा कि राज्य सरकार मजदूरों का किराया वहन करेगी।

राजनीति यहीं नहीं रुकी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बकायदा पत्र लिखा कि राज्य सरकार अपने श्रमिकों को बुलाने के लिए रुचि नहीं ले रही है। इस पर ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री सबूत पेश करें, क्योंकि आठ ट्रेनें पहले से मजदूरों को अपने गृह राज्य लाने के लिए तय हो चुकी हैं। ये ट्रेनें कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और तेलंगाना से चलाई जा रही हैं। ममता ने प्रधानमंत्री से बातचीत में इस राजनीति पर आपत्ति जताई।

धर्मवीर शर्मा

(32 साल)

खगड़िया, बिहार

दिल्ली में सीमेंट बोरियों की लोडिंग का काम करने वाले 32 साल के धर्मवीर को डर था कि लॉकडाउन के पहले चरण की समाप्ति यानी 14 अप्रैल के बाद वे जहां रह रहे थे वो पूरा इलाका सील हो जाएगा और खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इसी डर से 27 मार्च को उन्होंने साइकिल से ही अन्य साथियों के साथ 1,300 किमी. दूर अपने गांव बिहार के खगड़िया जाने का फैसला किया। लेकिन यूपी के शाहजहांपुर में उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके बड़े भाई विकास बताते हैं, "घर में गुजारा करने लायक ही जमीन

है। हमें आज तक इंदिरा आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिला। अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी यह सोच रहा हूं। तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं। गुजर-बसर मुश्किल हो रही है। सरकार की तरफ से एक हजार रुपये की सहायता राशि मिलने की बात कही गई लेकिन यह राशि अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि बैंक खाते में पैसे न होने की वजह से वह बंद हो गया है। एक महीने से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। मैं भी गांव में ही दूसरों के खेतों में मजदूरी करता हूं। वो भाई था, अब अपना पेट काटकर उसके बच्चों को भी पालूंगा। जितना हो पाएगा करूंगा और क्या कर सकता हूं?"

काम पर लौटना मुश्किल

चंडीगढ़ से **हरीश मानव**

प्रवासी मजदूरों के पलायन ने औद्योगिक राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तीनों राज्यों से करीब 50 लाख मजदूरों ने अपने घर जाने के लिए आवेदन किया है। इन मजदूरों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन राज्यों सरकारों की सबसे बड़ी चिंता, इस बात को लेकर है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में मजदूर वापस चले गए तो लॉकडाउन के बाद औद्योगिक गतिविधियां सामान्य करने में मुश्किले आएंगी।

लॉकडाउन 3 के आखिरी चरण में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की 5.5 लाख औद्योगिक इकाइयों में से करीब 80,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन आंशिक रूप से शुरू हो गया है। लौटने के लिए आवेदन करने वालों में 80 फीसदी से अधिक श्रमिक ऐसे हैं जो औद्योगिक इकाइयों में अस्थाई रूप से ठेकेदार के यहां काम करते हैं और सामाजिक सुरक्षा स्कीम से वंचित हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने *आउटलुक* को बताया कि राज्य में लगभग 35,000 फैक्टरियों में 24 लाख मजदूर कार्य करते हैं जिनमें से 14 लाख औद्योगिक श्रमिक काम पर वापस लौट आए हैं। इधर कोरोना संकट के बीच पंजाब से वापस अपने राज्य जाने के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों की संख्या 11 लाख के पार पहुंच गई है। सभी श्रमिकों को भेजने में चार महीने से भी ज्यादा का समय लगेगा। श्रमिकों को जब यह बताया गया तो बहुत से श्रमिकों ने जाना स्थगित कर औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू कर दिया। सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल ऐंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट(क्रिड)के पूर्व महानिदेशक सुच्चा सिंह गिल का कहना है, "2011 की जनगणना के अनुसार, पंजाब में प्रवासी श्रमिकों की संख्या लगभग 25 लाख थी। अब महामारी के डर से पंजाब छोड़ने वाले श्रमिकों में से कितने वापस लौटेंगे यह कहा नहीं जा सकता।"

अपने घर में कैसे मिलेगा काम

लॉकडाउन में अपना रोजगार गंवा चुके, लाखों मजदूर अब अपने गृह राज्य में तेजी से पहुंच रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 10-15 लाख प्रवासी मजदूरों के आने की संभावना है, इसी तरह बिहार झारखंड में 10 लाख और छत्तीसगढ़ में दो लाख मजदूरों के वापस आने की उम्मीद है। घर लौटे इन मजदूरों में से कितनों को अपने गांव-जिले में काम मिल पाएगा, फिलहाल इसका जवाब न तो उनके पास है न ही सरकारों के पास।

इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैसे काम मिलेगा, इस पर यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, "संबंधित मंत्रालयों ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की पूरी कार्ययोजना की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। सरकार

ज्ञानप्रकाश गिरि

टूटी आस : अपने रिक्शे से दिल्ली से बिहार जा रहे सुरेंद्र गोरखपुर के पास विश्राम करते हुए

की पूरी कोशिश है कि उनके अनुभव के हिसाब से ही प्रदेश में सभी लोगों को काम दिया जाए। इसके अलावा दूसरे प्रदेशों में छोटे-मोटे काम करके जीवनयापन करने वालों को सरकारी योजनाओं के जरिए कर्ज देकर उन्हें फिर से खड़ा करने का अवसर दिया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों की जिलावार सूची को हम अपने सरकारी पोर्टल पर भी डालेंगे। अर्थशास्त्री राजेंद्र पी ममगाईं कहते हैं, "आधी-अधूरी कोशिशों से श्रमिकों को रोक पाना आसान नहीं है। इसके लिए ठोस कार्ययोजना पर काम करना होगा, जिसमें मजदूरों को अपना भविष्य सुरक्षित और सुनहरा दिखाई दे। सरकार को समझना होगा कि प्रवासी मजदूरों की प्रदेश वापसी भय से जुड़ी एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है। सरकार को माइग्रेशन वेलफेयर फंड स्कीम बनाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड के सामने भी अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की चुनौती है। अनुमान के मुताबिक, करीब 10 लाख श्रमिक राज्य में लौटने वाले हैं। राज्य की सबसे बड़ी समस्या है कि इनमें अधिकांश अकुशल श्रमिक हैं। इनमें करीब 15 फीसदी श्रमिकों को ही कुशल श्रेणी में रखा जा सकता है। आर्थिक रूप से खस्ताहाल राज्य के लिए इतनी बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर पैदा करना मुश्किल भरा होगा। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार को परंपरागत कृषि की सोच से उपर उठ कर नए प्रयोग की आवश्यकता है। उन्हें कृषि वानिकी को बढ़ावा देना होगा। कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर प्रति हेक्टेयर दो टन उत्पादकता को बढ़ाकर प्रति हेक्टेयर आठ टन तक किया जा सकता है।

प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की चुनौती छत्तीसगढ़ के भी सामने है। राज्य के दूसरे हिस्सों में करीब तीन लाख लोग प्रवासी मजदूरों के रूप में काम करते हैं। इनमें से दो लाख राज्य में वापस आ सकते हैं। राज्य के श्रम सचिव और नोडल ऑफिसर सोनमणि बोरा ने बताया, "लाकडॉउन के वक्त करीब 1.29 लाख मजदूरों ने सरकार से मदद मांगी है। उन्हें राशन के साथ नकद मदद दी गई है। अभी तक करीब 50 हजार मजदूर दूसरे राज्यों से पैदल आ गए हैं। इन्हें 14 दिन के क्वारंटीन के साथ गांवों में रोजगार गारंटी के तहत काम पर लगा दिया गया है। करीब 30 हजार श्रमिक ट्रेन और बस से वापस आ चुके हैं। वापसी के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए राज्य सरकार ने 18 ट्रेनों की मांग की है। कुछ को अनुमति मिल गई है, जबकि कुछ प्रक्रियाधीन हैं। राज्य में 1,200 से अधिक लघु और माध्यम उद्योग चालू करा दिए गए हैं।" श्रम सचिव का कहना है कि 92 हजार लोगों को रोजगार मिल गया है। इसमें 60 फीसदी से अधिक मजदूर दूसरे राज्यों के हैं। उम्मीद है कि वे अब अपने राज्य नहीं जाएंगे। अभी तक समस्या यह थी कि प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचना चाहते थे, अब उनके सामने काम-धंधे की चिंता है। इसे दूर करना राज्य सरकारों का ही काम है, देखना है, इस चुनौती ने निपटने में सरकारों के दावे हवाई-हवाई रहेंगे या हकीकत में बदलेंगे। यह वक्त ही बताएगा।

(साथ में लखनऊ से **कुमार भवेश चंद्र**, रायपुर से **रवि भोई** और रांची से **महेंद्र कुमार**; मजदूर प्रोफाइल: **नीरज कुमार झा**)

NABARD

नक्शा पैमाने के अनुसार नहीं

नाबार्ड सैल्यूट करता है ग्रामीण भारत के, परदे के पीछे से काम कर रहे कोविड-19 वारियर्स को

मास्क और सैनिटाइजर के उत्पादन से लेकर शहरी इलाकों में सब्जियों और जीवन के लिए आवश्यक दूसरी वस्तुओं की आपूर्ति तक, नाबार्ड-प्रायोजित ग्रामीण संगठन - एफपीओ, एसएचजी और जेएलजी - पूरे देश में कोरोनावायरस के विरुद्ध संघर्ष में जी-जान से लगे हुए हैं।

घर में रहें, सुरक्षित रहें

www.nabard.org /nabardonline

कानूनी सुरक्षा भी हटी

श्रम कानूनों में बदलाव संवैधानिक ढांचे पर आघात है, यह भारत को सौ साल पीछे ले जाएगा

अरुणा रॉय और विनीत भाम्भू

कोविड महामारी ने पूरे विश्व को कई मायनों में प्रभावित कर अर्थव्यवस्था के स्थापित ढांचों को हिला दिया है। जिस व्यापक तरीके से यह महामारी फैली, उससे निपटने के लिए उसी व्यापकता और वैश्विक सोच के साथ कदम उठाने की जरूरत है। भारत ने इससे निपटने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की, जिसे 47 दिन से ऊपर हो गए हैं। महामारी का कहर अपनी जगह है, लेकिन उससे निपटने के लिए जो कदम उठाए गए उससे मजदूर वर्ग हाशिए पर आ गया है और पहले से ही हाशिए पर खड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भूख और बेरोजगारी ने पहले से भी अधिक वीभत्स रूप धारण कर लिया है, जो वायरस से भी बड़ी महामारी बनती नजर आ रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इससे निपटने का कोई रोडमैप सरकार ने जनता को नहीं बताया है। प्रबंधन और सामंजस्य की कमी के कारण सैकड़ों गरीब हजारों किलोमीटर पैदल ही यात्रा कर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों के पास जो भी बचत थी उन्होंने अभी तक के खाने-पीने में लगा दी है और अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। मेहनत कर कमाने-खाने के लिए देश के एक भाग से दूसरे भाग में गए ये लोग अपनी गरिमा को ताक पर रखते हुए आज दाने-दाने को मोहताज हैं। सरकार ने उच्च और उच्च-मध्यम वर्ग के लोगों को तो देश-विदेश से लाने की व्यवस्था कर दी लेकिन इन मजदूरों की वापसी यात्रा से मुंह फेर लिया। सरकार ने इतना भी नहीं सोचा कि ये भी भारतीय नागरिक ही हैं और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी।

हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों ने श्रम कानूनों को व्यापक तौर पर शिथिल करने की घोषणा की। कुछ अन्य सरकारों ने भी श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं। यह हमें सौ साल पीछे ले जाने वाला कदम है। दुनिया के बहुत से मजदूरों ने ये कानून दशकों की लड़ाई लड़कर बनवाए थे। यह संवैधानिक ढांचे पर भी आघात है। कैसे कोई राज्य, केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को स्थगित कर सकता है? भारत जैसे देश में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहां 93 फीसदी लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि भारत में मजदूरों की दुर्दशा का बड़ा कारण मौजूदा श्रम या अन्य कानूनों का ठीक से पालन न होना भी है। आज अगर अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कानून का ठीक से पालन हो रहा होता, तो हर सरकार के पास यह आंकड़ा होता कि उनके राज्य में किस जगह से कितने प्रवासी मजदूर हैं। न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई नई नहीं है। इस कानून को खत्म करने का मतलब, बंधुआ मजदूरी है। क्योंकि अब काम का अभाव और भुखमरी का फायदा उठाकर कोई भी न्यूनतम मजदूरी से कम में काम करा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार भी, कानूनन न्यूनतम मजदूरी से कम देना बंधुआ मजदूरी है। अगर कोई मजदूर उससे कम में काम करता है तो उसको मजबूरी या बेगार माना जाएगा। उद्योग विवाद अधिनियम पर आघात ठेकेदारी को बढ़ावा देगा और पक्की नौकरी के बजाय दिहाड़ी मजदूरों को लगाने का चलन बढ़ेगा। इससे किसी को भी काम पर लगाने और निकालने में पूंजीपतियों की मर्जी चलेगी। कारखाना अधिनियम को स्थगित करने का मतलब है- कार्यस्थल पर श्रमिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जैसे, पीने का पानी, बिजली, शौचालय, खाने की व्यवस्था आदि में कटौती होना या न होना। अब इन सुविधाओं की कोई गारंटी नहीं रहेगी। धरातल पर महिला और पुरुष को समान मजदूरी तो हम आज तक नहीं दिला पाए हैं, लेकिन समान पारिश्रमिक अधिनियम को स्थगित करना महिला श्रमिकों के शोषण को और बढ़ाएगा।

ये सारे निर्णय चंद पूंजीपतियों के इशारे पर उठाए गए हैं। यही पूंजीपति चुनाव के समय इलेक्टोरल बॉन्ड और अन्य माध्यमों से राजनैतिक दलों को चंदा देते हैं। लेकिन क्या सरकार बनाने के लिए इन करोड़ों मजदूरों ने वोट नहीं दिया? अगर इन्हीं के वोट से सरकार बनी है तो नोटबंदी, लॉकडाउन और श्रम कानूनों के स्थगन जैसे निर्णय लेते वक्त सरकार इनके बारे में क्यों नहीं सोचती? ऐसा नहीं है कि पूंजीवाद की नींव पर बनी सरकार का यह पहला प्रयास है। सरकार तो पहले से ही 44 श्रम संहिता खत्म कर उसे 4 श्रम संहिता में बदलने की तरफ बढ़ चुकी है। महामारी की आड़ में बस इसमें तेजी लाई जा रही है। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बनने वाले यूनियन और संगठनों को कमजोर करना और उनकी आवाज दबाने का काम पहले से ही इस 'सरलीकरण' का हिस्सा है। ऐसा इसलिए ताकि इस शोषण के खिलाफ कोई आवाज न उठा पाए। यह सब मौलिक अधिकारों, जीने का अधिकार और समानता के अधिकार पर सीधा-सीधा प्रहार है। सरकार और देश को सोचना चाहिए कि मजदूरों के साथ इतना दुर्व्यवहार करने के बाद उनके श्रम के हक को भी खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या वे काम पर लौट आएंगे? मजदूरों के बिना अर्थव्यवस्था और देश कैसे चलेगा?

सरकार ने विदेश से लोगों को लाने की व्यवस्था की लेकिन मजदूरों से मुंह फेर लिया। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और भारत के नागरिक भी

लॉकडाउन के दौरान पहली परेशानी दो वक्त की रोटी की थी। आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो रोज की कमाई से दो वक्त का खाना पाते हैं। इनके रोजगार बंद हो गए। बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं, जिनके पास कोई सरकारी कागज नहीं है। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के राशनकार्ड उनके गृह राज्य के हैं, जबकि वे दूसरे राज्य या प्रदेश में फंसे हुए हैं। जो लोग लंबे समय से प्रवासी हैं उनके पास गृह प्रदेश का भी कोई कागजात नहीं है। ऐसी स्थिति में सिर्फ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जुड़े परिवारों को ही

राशन दिया जाना समझ से परे है। आज भी बहुत से जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा सूची में नहीं जुड़ पाए हैं। इसके अलावा जनसंख्या बढ़ने के बावजूद केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर ही राज्यों को आवंटन कर रही है।

दूसरी तरफ अन्न भंडार भरे हुए हैं। नई आवक आने से पहले जगह बनाने के लिए इन्हें खाली करना ही पड़ेगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए राशन व्यवस्था को लक्षित करने के बजाय सार्वभौमिक किया जाना चाहिए। इससे उन किसानों को भी मदद मिलेगी जिनकी फसल खरीद के इंतजार में पड़ी है। दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे और एनीमिया से ग्रस्त महिलाएं भारत में ही हैं। लॉकडाउन के कारण इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना है। आंगनवाड़ी की मदद से इन्हें पौष्टिक और संतुलित आहार पहुंचाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा सार्वजनिक रसोई भी चलाए जाने की जरूरत है, जहां कोई भी भूखा आ कर बिना कोई कागज दिखाए भोजन कर सके।

एक और बड़ी समस्या, जिसका सामना लगभग हर वर्ग के लोगों को करना पड़ा है। वह है, स्वास्थ्य। पिछले कुछ सालों में बीमा और निजी अस्पतालों का चलन बढ़ा है जिसका सीधा संबंध सरकार द्वारा संसाधनों और प्रबंधन के अभाव से है। लेकिन इस संकट की घड़ी में कम ही ऐसे निजी अस्पताल थे जो मदद के लिए आगे आए। कुछ जगह सरकार को निजी अस्पतालों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना पड़ा। यह एक मौका है जहां सरकारी स्वास्थ्य तंत्र मजबूत कर इसे इतना सशक्त करने की जरूरत है कि इलाज के अभाव में किसी को भी अपनी जान न गंवानी पड़े। इसमें अग्रपंक्ति में लगे स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ बहु-विशेषता वाले संस्थान बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस देश में हर नागरिक को समान स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने का हक और विश्वास होना चाहिए, तभी लोग मिलकर इस महामारी का सामना कर पाएंगे।

पहले ही गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुकी बेरोजगारी लॉकडाउन के कारण विशाल रूप ले चुकी है। बड़ी संख्या में या तो प्रवासी श्रमिक वापस अपने गृह-स्थान पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। इनके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची है उसके कारण एक बड़ी संख्या वापस आना पसंद नहीं करेगी। एक बार फिर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) भुखमरी और बेरोजगारी से निकलने के लिए संजीवनी हो सकती है। जरूरत है, इसे ठीक से क्रियान्वित करने और इसका और विस्तार करने की। इससे श्रमिकों को गांव में ही काम मिल सकेगा जिससे पलायन कर रहे मजदूरों के शोषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और गांव का विकास भी होगा। सरकार को चाहिए कि बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ करने के बजाय जहां भी मनरेगा में काम की जरूरत है, वहां काम दिया जाए। जो पैसा मनरेगा भुगतान से श्रमिकों को मिलेगा वह पैसा तुरंत बाजार में आएगा। इससे अर्थव्यवस्था ठीक करने में मदद मिलेगी। आज भी धरातल पर कई परेशानियां हैं, जैसे, पंचायत में आवेदन स्वीकार न करना, आवेदन की रसीद न देना, गांव के आसपास काम स्वीकृत न होना, वंचित तबके के लोगों को काम न देना। राजस्थान में ऐसी समस्याएं आ रही हैं, जिसे राजस्थान सरकार के सहयोग से दूर किया जा रहा है। यही वजह है कि मनरेगा के तहत काम सृजित करने में राजस्थान फिर से पहले नंबर पर आ चुका है। भारत में हर राज्य को मनरेगा को काम की गारंटी के वास्तविक रूप में धरातल पर उतारना होगा।

पहले ही गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुकी बेरोजगारी लॉकडाउन के कारण विकराल रूप ले चुकी है। इससे निकलने के लिए मनरेगा वरदान साबित हो सकता है

केंद्र सरकार को भी महामारी के दौरान व्यापक और रचनात्मक मनरेगा कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। मनरेगा में एक परिवार को 100 दिन काम के बजाय जितना काम किसी परिवार में चाहिए उतना देना चाहिए। काम के बदले अनाज देने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। रचनात्मक तरीके से नए कामों की श्रेणी भी जोड़ी जानी चाहिए। सामूहिक तरीके से खेतों की मेड़बंदी करना, अपने खेत और घरों में काम करने के साथ मनरेगा को आवश्यक सेवाओं से जोड़ना चाहिए जिससे पंचायत, कोविड-19 का सामना करने में अपने इलाके के श्रमिकों का सहयोग ले सके। यह सब महामारी प्रबंधन रोजगार गारंटी का हिस्सा होना चाहिए। इसके अलावा इस योजना का विस्तार शहरी क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। आज भी करोड़ों मजदूर श्रम विभाग की योजनाओं से वंचित हैं। इन्हें जोड़ने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण और जानकारी का प्रसार किया जाना चाहिए। मनरेगा में तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस प्रक्रिया को ऑटोमेट किया जा सकता है।

भारत अभी भी कृषि आधारित देश है। यह एक मौका है जब हमें अपने अन्नदाता को ध्यान में रखते हुए यह सोचना चाहिए कि कैसे कृषि घाटे का सौदा न रहे। हम औद्योगिक उत्पादन के बिना शायद काम चला लें लेकिन अन्न के अभाव में कोई नहीं जी सकता। आज के संकट में भी देश और उत्पादन को बचाने वाले किसान ही हैं, जो महामारी के दौरान भी अपने खेतों में काम करते रहे।

एक तबका और है जो इस सबसे बुरी तरह प्रभावित होता है वह है, वृद्ध, विकलांग और विधवाएं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पर केंद्र सरकार उन्हें सिर्फ 200 रुपये प्रति महीना देती है। यह रकम भी गरीबी रेखा से नीचे वालों को ही मिलती है। इस महंगाई के जमाने में सिर्फ पेंशन पर आश्रित व्यक्ति आखिर कैसे जीवन यापन कर सकता है? इस रकम में बढ़ोतरी की जरूरत है।

अब सवाल उठता है कि आखिर इतना पैसा आएगा कहां से? संविधान में दिए नीति-निर्देशक तत्व के अनुसार संपत्ति और संसाधनों के केंद्रीकरण और असमानता को कम करते हुए राज्य इस बात का ध्यान रखे कि सार्वजनिक हित में काम हों। श्रम कानूनों को शिथिल करना इसके विपरीत है। बड़े पूंजीपतियों पर संपत्ति कर लगाना चाहिए, जिससे एक निश्चित सीमा से ज्यादा कमाने वालों से सरकार को टैक्स मिले।

लॉकडाउन के दौरान शासक तंत्र और अमीर वर्ग का सबसे असंवेदनशील चेहरा दिखा। कुछ प्रभावशाली लोग राजनीतिक फायदे के लिए धर्म के आधार पर लोगों को बांटने पर उतारू हैं। यह सब समाज और देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और हमारा भविष्य खतरे में डालेगा। जन आंदोलनों के आधार पर ही देश और संविधान बना है। आज दोबारा व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है, जो हमारे मिले हुए हक और संविधान को बचाए और नई परिस्थिति में सबसे कमजोर और पीड़ित तबके के हकों को बढ़ाए। यदि हमें मिलजुल कर अपने भविष्य को सुधारना है तो हमें न्याय और समानता के आधार पर ही यह रचना करनी पड़ेगी। हमें दोगले मापदंड हटाकर एक-दूसरे के दुख-दर्द और हकों को सम्मान देना पड़ेगा। हर इंसान अपने हक के बारे में सोचता ही है, लेकिन इस समय यदि हम मजदूरों और किसानों की आवाज को ऊपर रखेंगे तो, शायद हम सबका फायदा होगा और इस अंधेरे से देश के लिए ठीक रास्ता निकलेगा।

(दोनों लेखक मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े हैं)

लॉकडाउन की बलि

वायरस तो डरावना पर उसकी रोकथाम के अनियोजित उपायों ने लील लीं कई जिंदगियां

कनिका शर्मा

लॉकडाउन की भयावह त्रासदी में से एक औरंगाबाद में 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मृत्यु है। पटरी पर बिखरी सूखी रोटियों की तसवीर भारत के लाखों मजदूरों और गरीबों की भूख और पीड़ा को दर्शाती है, जो अनियोजित लॉकडाउन की बलि चढ़ गए।

29 मार्च से लेकर अब तक समाचार पत्रों और ऑनलाइन समाचार पोर्टल में प्रकाशित लॉकडाउन के कारण हुई मौतों के आंकड़े जुटाकर हमने एक डेटाबेस तैयार किया है। डेटाबेस के हिसाब से 11 मई तक 418 से ज्यादा लोग लॉकडाउन के कारण मारे गए हैं। मरने वालों में मजदूरों और हाशिए पर रह रहे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कोरोनावायरस अमीर और गरीब में अंतर न करता हो, लेकिन लॉकडाउन के दुष्प्रभावों का बोझ गरीब तबके को ही उठाना पड़ रहा है।

डेटाबेस से पता चलता है कि 46 लोगों की मौत भूख और लॉकडाउन के कारण पैदा हुई आर्थिक कठनाई के कारण हो गई। इनमें से एक झारखंड के गढ़वा की 70 वर्षीय सोमरिया थीं, जिन्होंने तीन दिनों तक खाना न मिलने से दम तोड़ दिया। मरने वालों में अलीगढ़ के 23 वर्षीय मजदूर मोहम्मद हैदर भी थे, जो काम बंद हो जाने के कारण अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पा रहे थे और इस तनाव ने उनकी जान ले ली। पैदल चलने के कारण हुई थकान, घर पहुचने में आई दिक्कतों और जरूरी सेवा के लिए दिनोदिन कतार में लगने से कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की 12 साल की जमालो आंध्र प्रदेश से अपने गांव जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ी। गांव से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर थकी हुई जमालो ने आखिरी सांस ली। वह वहां खेतों में काम करने गई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बदायूं में शमीम बानो, दो दिन तक राशन के लिए कतार में लगी रहीं और तेज धूप और थकान से कतार में लगे-लगे ही गिर पड़ीं और उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति दिल्ली में फंसे हुए थे।

लॉकडाउन के कारण भारत में 11 मई तक 418 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। इनमें ज्यादातर मजदूर या हाशिए पर रह रहे लोग हैं। अव्यवस्था ने इनकी जान ले ली

लॉकडाउन के चलते जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं, जो कोरोना से संबंधित नहीं, लेकिन उतनी ही गंभीर हैं, ठप पड़ी हुई हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन 40 लोगों को हुआ जिनकी इलाज की कमी या देरी से मौत हो गई। अलीगढ़ के 45 वर्षीय संजय राम चाय बेचकर परिवार पालते थे। लॉकडाउन के कारण उनका टीबी का इलाज जारी नहीं रह सका और तबीयत बिगड़ने पर बिना इलाज के उनकी मौत हो गई।

डेटाबेस में सबसे ज्यादा मौतों की संख्या आने-जाने की स्वतंत्रता न होने, अकेलेपन और संक्रमण के डर से हुई आत्महत्याओं की है। ऐसी 83 मौतों में से एक मौत उत्तर प्रदेश के 45 वर्षीय मजदूर राजू लोधी की है, जो गुजरात के राजकोट में फंसे हुए थे। घर जाने में असमर्थ और खत्म होते राशन से परेशान होकर उन्होंने अपनी जान ले ली। ये मौतें जमीनी स्तर पर फैलती नाउम्मीदी और डर का संकेत देती हैं। ये मौतें लॉकडाउन से हुई मानवीय क्षति के पैमाने को बताती हैं। ध्यान रहे कि डेटाबेस में सिर्फ मीडिया में प्रकाशित हुई मौतें ही हैं और हर मौत मीडिया में नहीं आती। जाहिर है, कई प्रकाशित मौतें इस डेटाबेस से भी छूट गई होंगी। मौतों की असल संख्या और भी अधिक होगी। मौतों से भी कई गुना अधिक है उन लोगों की संख्या जिन्हें लॉकडाउन में अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

दुनिया भर के देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन शायद ही किसी देश ने भारत जितना कड़ा लॉकडाउन किया है। ज्यादातर देशों ने आपसी दूरी के साथ-साथ बेहतर राहत के उपाय, सुरक्षित आने-जाने की सुविधा और अन्य जरूरी सेवाओं पर जोर दिया है। लेकिन भारत में यह होता नहीं दिख रहा। उल्टा, राज्य सरकारें उन श्रम कानूनों को भी हटाने में जुटी हैं, जिनसे मजदूरों को थोड़ी सहूलियत मिलती आई है। यह भी साफ हो गया है कि भारत में रेल और अन्य सरकारी सेवाएं मजदूरों के लिए नहीं, बल्कि शहरों और कारखानों के फायदे के लिए हैं।

लॉकडाउन से हुई त्रासदी की एक बड़ी वजह भारत की गहरी गैर-बराबरी है। आमतौर पर मजदूरों और गरीबों की जरूरतें और प्राथमिकताएं सरकारी नीतियों में कम ही दिखती हैं। लेकिन बिना सहयोग के इस लॉकडाउन में इन जरूरतों को खुलेआम कुचला जा रहा है।

(लेखिका अमेरिका की एमोरी यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता हैं और भारत में स्वास्थ्य और गैर-बराबरी पर काम करती हैं)

अव्यवस्था ने बनाया अजनबी

समय रहते अगर राहत देने के कदम उठाए गए होते तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती

स्नेहिल सिन्हा और रुचि शेवड़े

"साहब, यहां तो लोग गाड़ियों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी तरह का कोई लॉकडाउन है ही नहीं। हम भी बाहर जाकर ये सब कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हमें तो सिर्फ खाना दिलवा दीजिए।"

"मैडम हम तिरपुर में फंसे हुए हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम हड़ताल पर बैठे हैं लेकिन पुलिस हमको मारती है। सरकार की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिली है। हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निवेदन है कि वो हम सब को वापस घर पहुंचा दें। हमको कोई काम नहीं चाहिए।"

"अब तो हमें अपनी ही जमीन पर अजनबियों जैसा लग रहा है।"

ये तीन बयान उन हजारों बयानों में से हैं, जिन्हें स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क (*स्वान*) के वालेंटियर रोज सुनते हैं। आज तक (9 मई) हम 22 हजार से ज्यादा मजदूरों तक पहुंच चुके हैं। हमारे साथियों के साथ बांटे गए अनुभवों से हमें इन प्रवासी मजदूरों की पीड़ा का अंदाजा लगा और हम इस भीषण वास्तविकता से रूबरू हुए।

ज्यादातर मजदूरों की दैनिक मजदूरी 400 रुपये से भी कम होती है। ऐसे में उनका कर्ज में डूबना आश्चर्य नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि वह ठेकेदार के चंगुल से बाहर निकल ही नहीं पाते। अब तो लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के पास न काम बचा है और न जमा पूंजी। उस पर भी वे अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इस स्थिति में लाचार और बेबस मजदूरों की सुनवाई भी देर से शुरू हुई है। इसकी एक वजह लॉकडाउन की तैयारियों में भी दिखती है। निर्णय लेने से पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से विमर्श न कर उसे सीधे लागू कर दिया। ऐसे में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय नहीं बन पाया। दूसरा, जब प्रवासी मजदूरों पर संकट खड़ा हुआ तो उन्हें राहत देने की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के कंधों पर डाल दी गई। इससे स्थिति और भयावह हो गई।

स्वान ने 1 मई 2020 को एक रिपोर्ट प्रकाशित कर लॉकडाउन में 32 दिनों तक किए गए कार्य को बताया, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संकट की भयावह तसवीर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक, जिन मजदूरों से संपर्क हुआ उनमें आधे के पास सिर्फ एक दिन का राशन बचा था। तब तक 12,248 में से 82 फीसदी लोगों को सरकारी राशन नहीं मिला था। केवल छह फीसदी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान मजदूरी मिली और 10 हजार से ज्यादा मजदूरों से बात कर पता चला कि केवल 200 लोगों को सरकार की तरफ से पैसा मिला। उसमें भी केवल 20 महिलाओं के जन-धन खाते में 500 रुपये पहुंचे हैं। तकरीबन छह फीसदी मजदूरों के पास 100 रुपये से भी कम बचे थे। 1,358 मजदूरों में से 46 फीसदी ने आपात स्थिति में हमसे संपर्क किया।

प्रवासी मजदूरों के लिए वित्तमंत्री ने जो वित्तीय पैकेज घोषित किया है, वह बहुत कम है। साथ ही इस पैकेज का फायदा अधिकांश लोगों को नहीं मिला है

राहत के नाम पर प्रवासी मजदूरों के लिए वित्तमंत्री द्वारा जो वित्तीय पैकेज घोषित किया गया है, इसमें दो खामियां हैं। पहली, यह जरूरत से बहुत कम है। दूसरी, इस पैकेज का अधिकांश लोगों को फायदा नहीं मिला है। मिसाल के तौर पर, घोषणा के अनुसार हर परिवार को एक किलोग्राम दाल मिलेगी। यह मात्रा काफी कम है। यदि चार लोगों का परिवार है, तो महीने भर के लिए हर सदस्य के हिस्से में लगभग 250 ग्राम दाल आएगी। दूसरी खामी यह है कि जिस पैकेज की घोषणा हुई, उससे मिलने वाली राहत देर से लोगों तक पहुंच रही है। नकद सहायता में भी घोषित की गई राशि की तुलना में उससे कम राशि ज्यादातर लोगों को मिल पाई है। इसी तरह पंजीकरण के अभाव में लोगों को राशन और मुआवाजा मिलने में भी दिक्कत आ रही है।

इन परिस्थितियों में विभिन्न भूमिकाओं में कई नागरिकों ने स्वतंत्र रूप से और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं ने मिलकर इन मजदूरों की सहायता की है। अगर इतनी सक्रियता से ये समूह कार्यरत न होते, तो परिस्थिति कब की अकाल और अराजकता वाली हो चुकी होती।

इस महामारी में प्रशासनिक तत्परता को लेकर चंद चीजें स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। जब कोविड-19 के बारे में पूरी दुनिया को पता चला, सबने यही कहा कि इस बीमारी से लड़ना मुश्किल होगा। शायद तब सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई शुरू की गई होती तो इतना बड़ा संकट खड़ा नहीं होता और हम आज स्थिति का सामना करने के लिए कहीं ज्यादा सक्षम होते।

इस समय आर्थिक संसाधनों की आपूर्ति के अलावा सरकार को अपनी योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने की भूमिका भी बखूबी निभानी होगी। आरोग्य विभागों में डॉक्टर्स, पैरा-मेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स और स्वास्थकर्मियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तत्काल राहत के दृष्टिकोण से मजदूर अपने घर लौटना चाहते हैं, उनके लिए स्वच्छता और सुरक्षापूर्ण परिवहन व्यवस्था का अमल करना, जटिल कानूनों के बिना उन सब में राशन का वितरण करना और प्रति मजदूर कम से कम 7,000 रुपये मुआवजे का प्रबंध करना आज की जरूरत है।

एक बेहद जरूरी बात जिसे समझने की जरूरत है, कि मजदूरों को अनाज और आर्थिक सहायता मिलना उनका मौलिक अधिकार है। एक परेशान मजदूर ने हमसे संपर्क कर कहा, "हमारे पास खाने का समान कम है। हम लाइन में खड़े रहकर या कभी-कभार ब्रेड खरीदकर भूख मिटाते हैं पर हम मांगते नहीं हैं क्योंकि हमें मांगने में शरम आती है।" यह सुनकर यही सवाल उठता है कि क्या हमने सुविधाओं के साथ इन मजदूर साथियों से उनकी गरिमा तक छीन ली है? क्यों आज उन्हें अपने मूलभूत अधिकारों की पूर्ति के लिए इतना लाचार होना पड़ रहा है? प्रशासन व्यवस्था, न्यायपालिका और मीडिया को चाहिए कि उनकी पीड़ा पहचाने और सुनिश्चित करे कि मजदूर वर्ग को उसका हक मिले और उसकी सुरक्षा और गरिमा जल्द से जल्द बहाल हो।

(दोनों लेखिका प्रवासी मजदूरों पर काम करने वाले समूह स्वान के साथ जुड़ी हैं)

राहत पहुंचाने का समय

लॉकडाउन से देश का मजदूर लाचार है, तुरंत ठोस योजना को अमल में लाने की जरूरत

अरबिंद सिंह

प्रवासी कामगार भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल में रहे हैं। ये कामगार उद्योग एवं व्यापार जगत की संपत्ति हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5.6 करोड़ अंतरराज्यीय प्रवासी हैं, जिनमें से चार करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और इनमें से 3.4 करोड़ असंगठित क्षेत्र की गतिविधियों में काम करते हैं। मोटे तौर पर भारत के 79 फीसदी प्रवासी मजदूर कारखानों या निर्माण स्थलों में दैनिक मजदूरी के लिए काम करते हैं। कोरोनावायरस महामारी और उसके बाद हुए लॉकडाउन के कारण उत्पन्न हालात में हजारों प्रवासी मजदूरों को नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। नौकरी जाने से उनके आवास की भी समस्या उठी, वो सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हो गए। विभिन्न राज्यों में सड़कों पर उतरे प्रवासी मजदूर और उनके मुद्दे सार्वजनिक रूप से राज्य सरकारों और प्रशासन के लिए चुनौती बन गए। बढ़ते संकट को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 12 फरवरी को ही भांप लिया था। उन्होंने केंद्र सरकार को गंभीर परिणाम के प्रति सचेत भी किया था। यदि समय रहते केंद्र ने उनके सुझाव मान लिए होते, तो सरकार प्रवासी मजदूरों, गरीबों को राशन और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के माध्यम से विकराल हो चुकी समस्या को रोक सकती थी। ऐसा न करके सरकार ने देश के करोड़ों मजदूरों और गरीबों के बीच विश्वास खो दिया है।

इस अनदेखी का ही परिणाम था कि शायद पहली बार देश के 200 से अधिक शिक्षाविदों और पेशेवरों द्वारा प्रवासी कामगारों की सहायता के लिए तत्काल अपील की गई। 24 मार्च को अचानक देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। इससे केवल चार घंटे के नोटिस पर देश भर में लाखों की संख्या में फैले मजदूर अपने घरों तक पहुंचने की लाचार हो गए। इन परिस्थितियों में सरकार से मुफ्त भोजन, चिकित्सा देखभाल और स्वच्छता से संबंधित राहत की मांग की गई।

कोरोनावायरस फैलने के खतरे को देखते हुए प्रथम चरण के देशव्यापी लॉकडाउन के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर आने-जाने का कोई साधन न मिलने के कारण पैदल या साइकिल से ही सैकड़ों-हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने अपने गंतव्य के लिए निकल पड़े। केंद्र ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों की आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी तरीके से राज्य और जिलों की सीमा सील करने को कहा है। प्रवासी मजदूरों सहित जरूरतमंद और गरीब लोगों को खाना और आश्रय मुहैया कराने के लिए समुचित इंतजाम करने के निर्देश दिए गए, जिसका अंजाम भी हमने देखा। लोगों को परिवार सहित घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा है। दिल्ली में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने 325 सरकारी स्कूलों, 224 आश्रय स्थलों के उपयोग का दावा किया, फिर भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद बॉर्डर पर जिस तरह मजदूरों की भीड़ उमड़ी वह उनकी व्यथा कहने के लिए काफी थी। बिहार, नेपाल, बंगाल और झारखंड सहित अन्य राज्यों से लगने वाली सीमा पर मजदूरों की भीड़ और सरकारों की उथल-पुथल हम देख चुके हैं। राज्यों की राजनीति भी खूब उजागर हुई और उनकी संवेदनशीलता भी नजर आई।

श्रमिक दूसरे शहरों में पैसे के अभाव में अवसादग्रस्त हो रहे हैं। लाखों लोग भोजन के लिए घंटों लाइन में लग रहे हैं। फिर भी उन्हें भोजन नहीं मिल रहा

गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि नियोक्ताओं को काम का पूरा भुगतान करना चाहिए और मकान मालिकों को फंसे हुए कामगारों से किराया नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस बात का शायद ही पालन किया गया। इसी बीच रेलवे ट्रैक के रास्ते औरंगाबाद, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश लौट रहे 16 मजदूरों की मौत ट्रेन की चपेट में आकर हो गई। इसी तरह कई मजदूरों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिनके आंकड़े भी नहीं हैं। प्रवासी कामगार उपेक्षित और अवसादग्रस्त नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मातादीन धनखड़ पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में बाहरी महसूस करते हैं। वे वहां संगमरमर कारीगर के रूप में काम करते हैं। वह अपने दिवंगत भाई के बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं। अब, पिंपरी में उन्हें एक नगरपालिका स्कूल में जबरन रखा गया है, जो इन प्रवासी श्रमिकों के लिए आश्रय स्थल में बदल दिया गया है। उन्हें अपने पैतृक गांवों की ओर पैदल चलने या ट्रक पर चढ़ वहां जाने से रोक दिया गया था। उनका कहना है, उन्हें यहां कैदी की तरह महसूस होता है और उनके मन में खुद को मारने जैसे विचार भी आते हैं।

हालांकि लॉकडाउन के तीसरे चरण में दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर वापस लाने के लिए अनुमति दी गई, जिसका कुछ राज्यों ने संसाधनों की कमी का रोना भी रोया। कुछ राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेनों से मजदूरों और दूसरे लोगों को वापस लाने की अनुमति दी है। भारत सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए 29 हजार करोड़ रुपये के उपयोग के लिए राज्य सरकारों को अनुमति भी दी गई। राजमिस्त्री का काम करने वाले केरल से दानापुर लौटे मजदूर कहते हैं, "पास में रखे कुछ पैसे से कुछ दिन तो काम चला लेकिन अब नहीं आते तो भीख मांगना पड़ता। लेकिन भीख भी कौन देता?" मजदूरों ने यहां तक कहा कि "साहब कोरोना से बाद में मरते, भुखमरी से पहले मर जाते।"

विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों को घर भेजने का फैसला केंद्र ने देरी से लिया। प्रवासी श्रमिकों के दुख-दर्द के बारे में कभी नहीं सुना गया। आज लाखों की संख्या में मजदूर अपने राज्य और शहर लौट रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले इन लोगों को सरकार कहां रखेगी और उन्हें घर भेजने की प्रक्रिया क्या होगी? 17 लाख बिहारी प्रवासी मजदूरों को लेकर मुख्यमंत्री की चिंता स्वाभाविक है। जिस तादाद में मजदूर अपने राज्यों में लौटे हैं क्या वहां उन्हें क्वारंटीन करने और खाने-पीने की सुविधाएं हैं? फिलहाल किस राज्य के कितने लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं यह आंकड़ा भी नहीं है। सूरत से ओडिशा

के गंजाम जिले में लौटे 100 से भी अधिक प्रवासी श्रमिकों ने जरूरी सहूलियतों के न होने और खराब खाना दिए जाने का विरोध किया। वे बेगुनिआपाड़ा में बने दो क्वारंटीन सेंटर छोड़कर पैदल ही अपने गांव चले गए। राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के समक्ष यह गंभीर चुनौती है। वहीं, प्रवासी मजदूरों के सामने आजीविका का साधन ज्वलंत समस्या है। राज्य सरकारें मनरेगा के तहत कार्य प्रदान करने की बात कर रही हैं, लेकिन यह कितना हो पाएगा? स्ट्रीट वेंडिंग जैसे क्षेत्र, जिसे शहरों में कभी भी नगर पालिकाओं ने गरीबों की आजीविका का साधन समझ प्रमुखता नहीं दी, अब यह शहरों में वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार के साधन का विकल्प हो सकता है। शहरों के साथ कस्बों पर भी आजीविका का दबाव बनने की पूरी संभावना है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था भी बेपटरी हो रही है। सरकार से मजदूरों का भरोसा उठ गया है। इसका विपरीत प्रभाव आने वाले दिनों में बड़े उद्योगों और निर्माण क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। इसकी आंच मजदूर वर्ग से उठकर मध्यम और उच्च वर्ग तक पहुंचेगी। कर्नाटक सरकार शायद इस परिस्थिति को भांप रही है, तभी वह प्रवासी मजदूरों की घर वापसी मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन श्रमिकों के इस तरह के पलायन से न सिर्फ राष्ट्रीय मंदी पर असर पड़ेगा बल्कि यह संक्रमण समाप्त होने के बाद भी परिस्थितियों को सामान्य होने में देरी का एक बड़ा कारण बनेगा।

ऐसे में, जरूरी है कि सरकार स्थायी समाधान की ओर अग्रसर दिखे। सरकार को ऐसी ठोस रणनीति बनानी चाहिए कि आने वाली किसी भी आपदा या संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए राजनीति से परे प्रवासी मजदूरों के जीवन और आजीविका के अधिकार को संरक्षित किया जा सके। साथ ही, सरकार को चाहिए कि वह मजदूरों और गरीबों में अपना खोया हुआ विश्वास फिर जगाए।

- **अंतर-राज्य प्रवास परिषद की स्थापना:** देश को इस समय प्रवासी कामगारों की पीड़ा और इसके समुचित समाधान के लिए इंटर स्टेट माइग्रेशन काउंसिल की स्थापना करनी चाहिए। यह परिषद विशेष रूप से अंतरराज्यीय प्रवास से संबंधित प्रवासी कामगारों के कई मुद्दों को हल कर सकती है।
- **असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण:** 2014 में वर्तमान सरकार ने 47 करोड़ असंगठित श्रमिकों को यूडब्ल्यूआइएन कार्ड का वादा किया था। इस संकट ने उजागर किया है कि असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के संदर्भ में सरकारें कितनी तैयार हैं। हालांकि, कुछ योजनाओं की घोषणा की गई थी, लेकिन इसका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। दिल्ली में निर्माण श्रमिकों का उदाहरण लें, यहां केवल 40,000 श्रमिकों को इसका लाभ हुआ, जबकि दिल्ली में इनकी संख्या 10 लाख है।
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पोर्टेबिलिटी:** 'वन नेशन वन राशन कार्ड' का त्वरित और प्रारंभिक कार्यान्वयन हो। सभी असंगठित श्रमिकों की राशन सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच होनी चाहिए।
- **केवाईसी मानदंडों में छूट:** कोविड-19 की इस अवधि में बैंकों में केवाईसी मानदंडों में ढील दी जानी चाहिए, ताकि कामगार अपने बैंक खातों को संचालित करने में सक्षम हों।
- **ब्याज मुक्त ऋण:** चूंकि बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक स्वरोजगार भी करते हैं, इसलिए उन्हें महाजनों के हाथों में पड़ने से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश ने अपनी पूंजी भोजन में समाप्त कर ली है और उन्हें अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए मदद की आवश्यकता है। सरकार को उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण शुरू करना चाहिए।
- **आजीविका की सुरक्षा को बढ़ावा देना:** ई-कॉमर्स कंपनियों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और ये आक्रामक भी रहेंगी। इसलिए सरकार को छोटे स्वरोजगार वाले लोगों की आजीविका की रक्षा को और बढ़ावा देना चाहिए।

(लेखक अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के चेयरमैन हैं।)

किस राज्य में किसी दूसरे राज्य के कितने मजदूर फंसे हुए हैं, यह आंकड़ा नहीं है। यही वजह है कि उन्हें ठीक तरह से मदद भी नहीं मिल पा रही है

लौट चलें: राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर प्रवासी कामगार

आगे घर पीछे भूख

फोटो आलेख

अपूर्व सलकड़े

हमारे शहरों में जब करोड़ों लोग अपने घरों की कैद में महफूज हैं, जिन्होंने ये घर बनाए, सड़कें बनाईं, हमारे घरों के बरतन-वासन किए, कचरे-मलबे साफ किए, वे करोड़ों बाहर निकल पड़े हैं। वे आपकी बॉलकनियों या खिड़कियों से नहीं दिखते, वैसे भी मई की तीखी धूप से बचने के लिए खिड़कियां परदों से ढंकी हैं। वे भी दिन की चुभती किरणों से दूर ही रहते हैं। दुर्दशा के दरवाजे तो रात में ही खुलते हैं। झुंड के झुंड डरे, भूखे, थके-मांदे लोग थैलों में अपनी छोटी-मोटी थाती समेटे उन शहरों से विदा हो रहे हैं, जो उन्होंने बनाए।

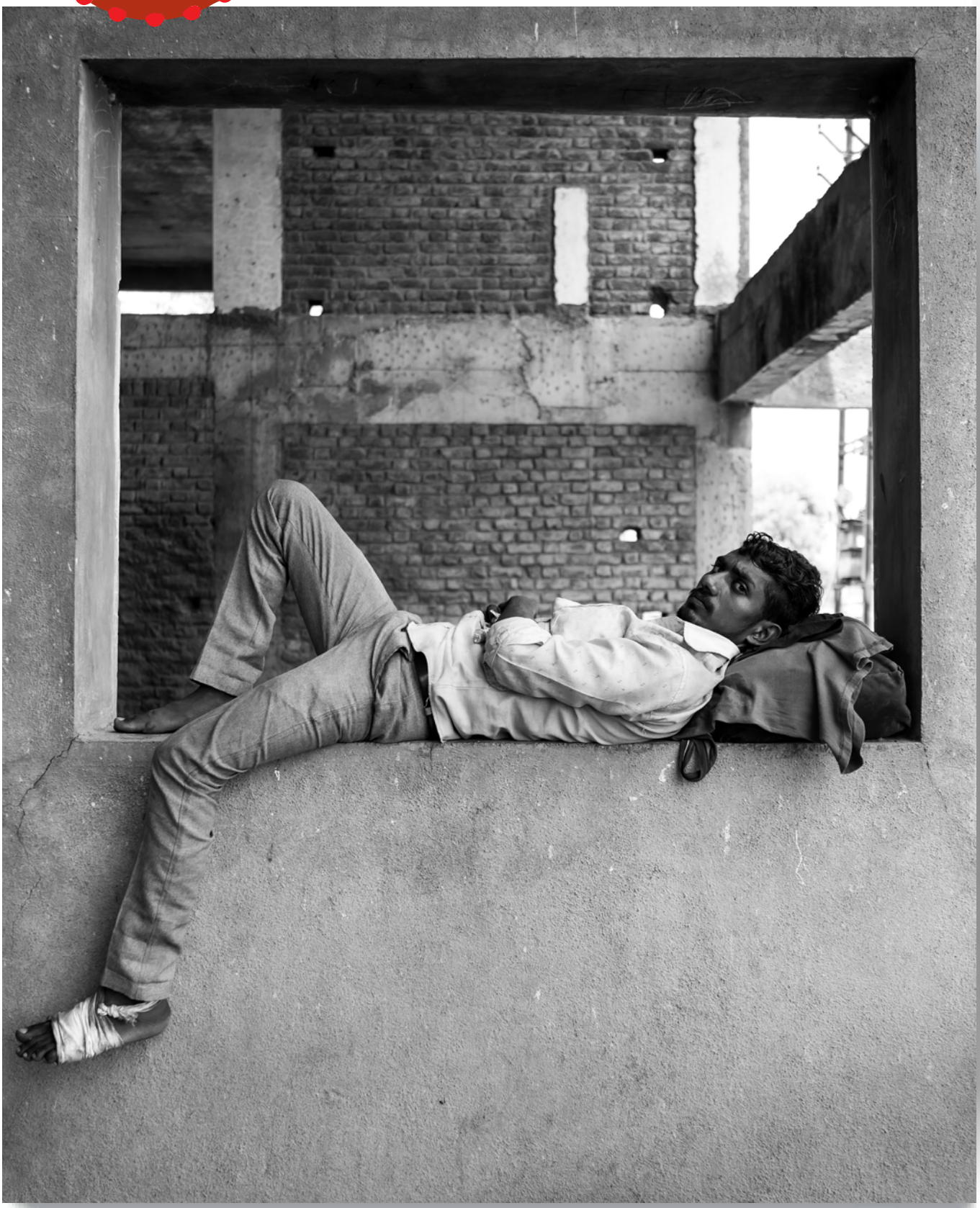

उनके पास मोबाइल ही सैकड़ों किलोमीटर दूर गांवों में अपने परिजनों से संपर्क का साधन है, जहां वे पैदा हुए। कुछ कपड़े, कुछ रोटियां और बिस्कुट के कुछ पैकेट, समझिए यही उनकी थाती है। वे भाग रहे हैं, पैदल, साइकिल पर, कभी-कभार सामान लदे ट्रकों के ऊपर बोरियों जैसे लदे-फंदे। पौ फटने से पहले ही, तारों की झिलमिल बुझते ही वे ठहर जाते हैं-भूखे, प्यासे, थककर चूर-किसी पेड़ के साए में या प्रवासियों के आश्रय में बदल दिए गए किसी स्कूल में दिन काटने को रुक जाते हैं। नासिक में बेघरों के ऐसे ही एक आश्रय में अपने जख्मी पैर की पट्टियां खोलता एक आदमी कह उठता है, "यहीं ठहरो। यह ठीक-ठाक जगह लगती है।" अपने बैग से गंदे अखबार का गोला फैलाकर वह उस पर रात के खाने के लिए कुछ भीगे हुए चने निकालता है और कहता है, "पहले कुछ दिन तो मैं डर की वजह से बाहर नहीं निकला। फिर पैसे और खाना दोनों खत्म हो गया। जब मैं मदद की आस में बाहर निकला तो लगा जैसे लाचार हो गया हूं। मेरा

NH.3
आड़गाव

EXECUTIVE LAWNS
www.haldilawns.com
OFFICE : 2516299

मन कांप उठा। मैंने कभी भीख नहीं मांगी। मैंने सोचा, यह सब बुरे कर्मों का नतीजा है।" किसी छोटी फैक्ट्री या निर्माण स्थल से वह हर रात थका-हारा घर लौटता था। हर दिन दिहाड़ी पाने वाले इस मजदूर के पास काम की जगहें बहुत कम हैं। फिर संक्रमण की रोकथाम के लिए ये काम भी बंद हो गए। इस खुद्दार आदमी को इसकी परवाह नहीं। लेकिन सख्त प्रतिबंधों से जिंदगी ही ठहर गई। सो, खाने-पीने या किराया चुकाने का पैसा न होने से वह भी शहरों से पलायन करने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों में शामिल हो गया। उसने सुना है कि सरकार और "कुछ अमीर लोग" गरीबों को पैसा दे रहे हैं। साथ ही, विशेष ट्रेनें लोगों को निशुल्क घर पहुंचा रही हैं। उसने सोचा कि ट्रेन के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करे। वह कहता है, "लेकिन इसके फायदे कम, नुकसान ज्यादा हैं।" जैसे रात घिरती है, मानो समय दौड़ने लगता है। कुछ दार्शनिक-से अंदाज में वह कहता है, "हम किसी कारण से जीवित हैं। यह रास्ता खत्म नहीं होता,

Jj
jar
Ll
lips
Nn
needle
Pp

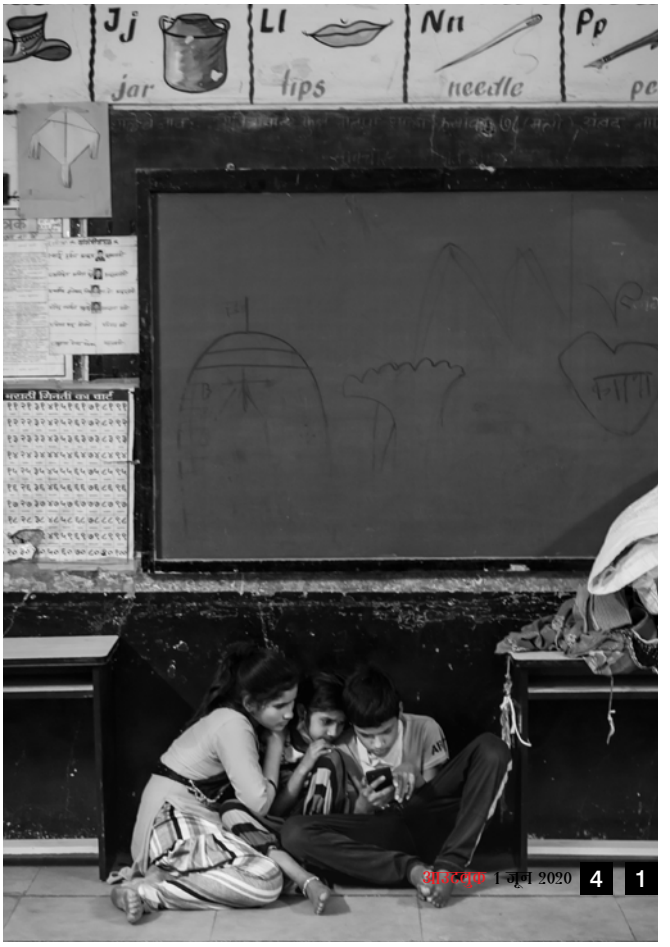

सर।" ढहती आशा के बीच कुछ दम भरकर, लंबी सांस लेकर वह बाहर निकलता है और फिर मानो जिंदगी की कुछ सार्थकता तलाशने रास्ता नापने चल पड़ता है।

पूरे रास्ते मोटरसाइकिल पर मैं उनके पीछे चलता हूं, कुछ दूर से फोटो खींचता हुआ, इस डर से कि कहीं कोई कोरोना संक्रमित न हो। फिर भी मैं उनकी दुर्दशा, उनकी व्यथा-कथा बताना चाहता हूं। एक मायने में देखा जाए तो हम सभी ढोंगी हैं, बस अंतर इतना है हम किस स्तर के हैं।

विद्यार्थियों का इंतजार: देश के सभी स्कूल-कॉलेज 16 मार्च से बंद, यह तसवीर दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की

कैसे शुरू हो पढ़ाई

महामारी और लॉकडाउन से बैठे शिक्षा हलके में असमंजस भारी, ई-लर्निंग पर कई तरह के सवाल

एस.के. सिंह

महामारी कोविड-19 से जिंदगी और अर्थव्यवस्था तो तबाह है ही, लेकिन इस दौर में जिन दो मूलभूत क्षेत्रों पर सबसे अधिक आमूलचूल बदलाव की जरूरत का एहसास गहराया है, वे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा। जानकारों की राय में इन दो क्षेत्रों के ढांचे जहां जितने मजबूत हैं या होंगे, महामारी की मार झेलने में उतनी ही आसानी होगी। हमारे देश में इन दोनों की उपेक्षा का आलम कोई नई बात नहीं है। स्वास्थ्य ढांचे की कुछ मजबूती के लिए मोहलत की आस में जो लंबा लॉकडाउन जारी किया गया, वह कैसी तबाही का आलम ले आया, उसकी तसवीरें हर जगह बिखरी पड़ी हैं। उसकी चर्चाएं भी हर जगह हैं लेकिन शिक्षा पर चर्चाएं लगभग गुम हैं, जैसे इस दौर में उसका तो बिस्तर ही गोल हो गया। ऐसे में, यह जानना जरूरी है कि इस बुनियादी क्षेत्र की हालत क्या है और सरकार या तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के पास इसे फिर पटरी पर लाने की क्या योजनाएं हैं? आइए पहले तो देखें कि इसका हाल क्या है।

पहली बार ऐसा है, जब प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक देश के लगभग 33 करोड़ छात्र परीक्षा, रिजल्ट या दाखिले को लेकर चिंतित हैं। सभी स्कूल-कॉलेज-विश्वविद्यालय 16 मार्च से बंद हैं। जिन कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनके छात्र इस असमंजस में हैं कि आखिरकार परीक्षा होगी भी या नहीं, जिनकी परीक्षाएं हो गई हैं उन्हें रिजल्ट का इंतजार है। नियामक संस्थाओं ने परीक्षा और अगला सत्र शुरू करने की नई तारीखों की घोषणा कर दी है, लेकिन सवाल है कि कोरोनावायरस का प्रकोप और बढ़ा या कम नहीं हुआ, तो क्या होगा।

सीबीएसई ने पहली से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्देश स्कूलों को दिया है। नौवीं और 11वीं के छात्रों की परीक्षाएं जहां नहीं हुई हैं, वहां वे स्कूल-असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किए जाएंगे। इस वर्ष 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं जल्दी शुरू हो गई थीं, लेकिन महामारी के चलते सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड की 19 मार्च से 31 मार्च तक होने वाली परीक्षाएं रुक गईं। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं के मुख्य विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं (उत्तर-पूर्वी दिल्ली को छोड़ कर, जहां फरवरी में हुए दंगों के कारण स्कूल तब से ही बंद हैं), लेकिन 12वीं की मुख्य विषयों की भी परीक्षाएं बाकी हैं। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई तक होंगी। यानी 31 मार्च को खत्म होने वाली परीक्षाएं

साढ़े तीन महीने बाद 15 जुलाई को खत्म होंगी। सीबीएसई के तहत इस साल 18 लाख छात्र 10वीं बोर्ड और 12 लाख छात्र 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। पिछले साल सीबीएसई ने मई के पहले हफ्ते में रिजल्ट घोषित किए थे, लेकिन इस बार ये अगस्त के अंत में आएंगे। आइसीएसई बोर्ड के तहत 10वीं के छह और 12वीं के आठ मुख्य विषयों की परीक्षाएं बाकी हैं। करीब दो लाख छात्र 10वीं और 87 हजार 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं।

देरी के कारण असमंजस तो है ही, छात्र-छात्राओं के सामने नई समस्याएं भी हैं। इस साल कुछ अतिरिक्त विषयों की परीक्षा नहीं होगी। इसका असर रिजल्ट के साथ-साथ स्ट्रीम चुनने में भी दिख सकता है। 10वीं से 11वीं में दाखिला लेते समय छात्र स्ट्रीम चुनते हैं, यह 10वीं बोर्ड में मिले नंबर पर निर्भर करता है। कई बार अतिरिक्त विषय में नंबर ज्यादा होने पर उसे 'बेस्ट 5' में शामिल कर लिया जाता है और छात्र के कुल नंबर का प्रतिशत बढ़ जाता है। जिन छात्रों के अतिरिक्त विषय की परीक्षा नहीं होगी उन्हें यह विकल्प नहीं मिलेगा। 12वीं के अनेक छात्र-छात्राएं मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई में बैठते हैं। ये परीक्षाएं मई के अंत में होनी थीं। अब जेईई मेन परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और नीट परीक्षा 26 जुलाई को होगी। जेईई एडवांस के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई है। नीट के लिए करीब 15 लाख और जेईई मेन के लिए नौ लाख छात्रों ने आवेदन किया है। जेईई मेन के टॉप 2.5 लाख छात्र ही एडवांस परीक्षा में बैठते हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग मानकों के चलते 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं और नीट-जेईई प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन भी चुनौतीपूर्ण होगा। नीट और जेईई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) आयोजित करती है। नीट में देश भर के छात्रों को एक साथ बैठना पड़ता है। इसके विपरीत जेईई परीक्षा कई शिफ्टों में होती है। पिछले साल करीब 3,000 सेंटर पर छात्रों ने नीट परीक्षा दी थी। सोशल डिस्टेंसिंग मानकों को देखते हुए इस साल लगभग 6,000 सेंटर की जरूरत पड़ेगी। जेईई के लिए 600 सेंटर की योजना थी, इसमें 150 से 200 सेंटर और जोड़े जा सकते हैं।

देरी के चलते स्कूलों में नए सत्र का सिलेबस भी घट सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य सरकारों के बोर्ड से इस पर विचार करने के लिए कहा है। सीबीएसई की कोर्स कमेटी इस पर विचार कर भी रही है। हालांकि अभी तक

आमने-सामने बैठकर पढ़ना-पढ़ाना श्रेष्ठ, लेकिन बदली परिस्थितियों के अनुरूप शैक्षिक तंत्र को प्रभावी बनाना जरूरी

प्रो. धीरेंद्र पाल सिंह
चेयरमैन, यूजीसी

घर वापसी : कोटा से प्रयागराज लौटे छात्र

स्कूलों को इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यह चर्चा भी है कि 2021 में परीक्षा थोड़ा आगे खिसका दी जाए, ताकि सिलेबस ज्यादा न घटाना पड़े। सिलेबस कम हुआ तो 2021 में जेईई और नीट की परीक्षाएं भी घटे हुए सिलेबस के आधार पर होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल चेन की शाखा की प्रिंसिपल ने बताया कि ज्यादातर स्कूलों में नौवीं कक्षा तक की परीक्षाएं फरवरी तक हो चुकी थीं और उनके रिजल्ट भी आ गए। यह जरूर है कि अभी रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी ही दी गई है, लेकिन उसके आधार पर बच्चों का प्रमोशन हो गया और ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। नौवीं और 10वीं में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बोर्ड ने 2 मई को अल्टरनेटिव अकादमिक कैलेंडर जारी किया। अभी यह चार हफ्ते के लिए है, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ऑनलाइन क्लास की अपनी सीमाएं हैं। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में 7 अप्रैल से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू की थी, लेकिन तीन हफ्ते तक इनमें 25 से 30 फीसदी छात्र ही आए। प्राइवेट स्कूलों में जरूर छात्रों की अटेंडेंस पर गौर किया जा रहा है। एक शिक्षक ने बताया कि लगातार तीन दिन तक ऑनलाइन क्लास में कोई छात्र नहीं आया तो उसके घर माता-पिता से बात की जाती है। शिक्षकों की शिकायत है कि ऑनलाइन क्लास में उन्हें ज्यादा समय देना पड़ रहा है। एक शिक्षक ने बताया कि स्कूल ने उन्हें रात आठ बजे बच्चों को ऐप पर स्टोरी टेलिंग के लिए कहा है।

वैसे, पढ़ाई के विकल्प के तौर पर अभी तक ई-लर्निंग का ही उपाय बताया जा रहा है, लेकिन

कोविड ने लगाया ताला: छात्रों को चंडीगढ़ के इस हाईस्कूल के खुलने का इंतजार

इससे क्या होगा, कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ जानकारों के मुताबिक, ई-लर्निंग ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों को इसलिए मुफीद लग रहा है कि इसके बहाने वे फीस की मांग कर सकें। अगले पन्नों पर ई-लर्निंग की कामयाबी, नाकामी के ब्यौरों पर विशेषज्ञों की राय भी यही बता रही है कि यह मुफीद नहीं है। लेकिन लगता है कि सरकार को भी फिलहाल इसका कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है। इसलिए सवाल गंभीर हो गए हैं।

उच्च शिक्षा संस्थानों की तैयारियां

आम तौर पर जून में नया सत्र शुरू करने वाले आइआइएम फिलहाल इस साल अगस्त से नए सत्र की शुरुआत करने की बात कह रहे हैं। इसके लिए वे छात्रों का वर्चुअल इंटरव्यू कर रहे हैं। यही स्थिति इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों की भी है। हालांकि एआइसीटीई चेयरमैन प्रो. अनिल दत्तात्रेय सहस्रबुद्धे इस देरी से निपटने का तरीका भी बताते हैं। *आउटलुक* से बातचीत में उन्होंने कहा, "हमें इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। इस साल सत्र भले देर से शुरू हो, लेकिन दिसंबर की छुट्टियां और अगले साल गर्मी की छुट्टियों को थोड़ा कम करके इसे एडजस्ट किया जा सकता है। अभी हम डेढ़ महीना पीछे हैं तो एक साल बाद हो सकता है हम सिर्फ 15 दिन पीछे रहें। उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी।" विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों में विश्वविद्यालयों से कॉलेज की परीक्षाएं 1 जुलाई से शुरू करने और उसी महीने रिजल्ट घोषित करने को कहा गया है। पुराने छात्रों के लिए अगला सत्र अगस्त से और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से शुरू होगा। अगर जुलाई-अगस्त तक महामारी में व्यापक सुधार नहीं आया तो क्या होगा, यह पूछने पर यूजीसी चेयरमैन प्रो. धीरेंद्र पाल सिंह ने *आउटलुक* से कहा, हमारी गाइडलाइन काफी लचीली हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत लंबे समय तक रह सकती है, इसलिए हमने जून तक कोई एक्टिविटी करने का सुझाव नहीं दिया है। यूजीसी जून में भी स्थिति की समीक्षा करेगी और तब के हालात को देखते हुए उचित फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया, "हमने फाइनल सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालयों से परीक्षाएं करवाने को कहा है, बाकी सेमेस्टर के लिए कई विकल्प दिए हैं। जहां परीक्षाएं करवाना संभव न हो, वहां एक विकल्प यह भी है कि छात्रों को 50 फीसदी अंक पिछले सेमेस्टर के आधार पर और बाकी अंक इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जा सकते हैं। पीएचडी और एमफिल के लिए भी छह माह का एक्सटेंशन दिया गया है। विश्वविद्यालय वाइवा और प्रैक्टिकल परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कर सकते हैं।" आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक परीक्षा का समय भी तीन घंटे से घटाकर दो घंटे किया जा सकता है।

सत्र को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अभी सत्र भले देर से शुरू हो, छुट्टियां कम करके इसे एडजस्ट करना संभव

प्रो. अनिल डी. सहस्रबुद्धे
चेयरमैन, एआइसीटीई

विश्वविद्यालयों ने भी इसके मुताबिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने कहा है कि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं पहली जुलाई से शुरू की जाएंगी। नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी की प्रो. निपुणिका ने बताया कि ऑनलाइन परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया भी जारी है। छात्र दाखिले के लिए अपने वीडियो भेज रहे हैं। उनका मूल्यांकन करके नाम तय किए जा रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत स्थित ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन दाखिले कर रही है।

कोविड का असर

दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व डिप्टी डीन और एसजीटी यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रो-वाइस चांसलर गुरप्रीत सिंह टुटेजा कहते हैं कि महामारी जल्दी खत्म होने वाली नहीं लगती। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव असेसमेंट यानी परीक्षा पर होगा। विकसित देशों में ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड असेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। इसमें कैमरे की मदद से दूर से बैठा व्यक्ति आपको देखता रहता है कि आप नकल तो नहीं कर रहे हैं। भारत में मोबाइल फोन की पहुंच तो काफी लोगों तक हो गई है, लेकिन लैपटॉप या डेस्कटॉप कम लोगों के पास

पढ़ाई पर विराम : श्रीनगर का महिला गवर्नमेंट कॉलेज

है। शहरों में लैपटॉप या डेस्कटॉप बहुत से घरों में मिल जाएंगे लेकिन अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में बहुत कम घरों में मिलेंगे। इसलिए यहां प्रॉक्टर्ड असेसमेंट फिलहाल मुमकिन नहीं लगता। टुटेजा के अनुसार प्रवेश परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी। हमारे यहां ऐसा कोई मानक नहीं जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अमुक छात्र में प्रतिभा है और वह अमुक विषय में आगे पढ़ाई कर सकता है। यहां एक मात्र मानक यही है कि उसे परीक्षा में कितने अंक मिले हैं।

स्कूलों को लर्निंग ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनी कार्वनीश टेक्नोलॉजीज की संस्थापक और सीईओ अवनीत मक्कर कहती हैं, कोविड के कारण टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता काफी बढ़ गई है। माता-पिता पहले सोचते थे कि जब टीचर पास में है तो ऑनलाइन पढ़ाई का क्या मतलब। अब वे इसका महत्व समझने लगे हैं। सामान्य दिनों में हम शिक्षकों को पीपीटी या वीडियो बनाने के लिए कहते, तो वे बहुत मुश्किल से राजी होते थे। कोविड के बाद उन्हें लगा कि अब कोई चारा नहीं है। सरकारी कॉलेजों में भी कभी पीपीटी या वीडियो का इस्तेमाल नहीं करने वाले प्रोफेसर अब इनके जरिए पढ़ा रहे हैं। उन्हें भी लगने लगा है कि एक बार प्रेजेंटेशन बना लिया तो उसका इस्तेमाल बाद में अनेक बार किया जा सकता है। अवनीत ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उनके प्रोडक्ट की डिमांड दोगुनी हो गई है।

आगे क्या

यूजीसी चेयरमैन प्रो. सिंह कहते हैं, "ऑनलाइन, ई-लर्निंग वगैरह का चलन बढ़ेगा। अच्छे वीडियो लेक्चर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, लेकिन ये इंटरएक्टिव होने चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए टीचर्स को भी अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। हालांकि एक शिक्षाविद् होने के नाते मैं कहूंगा कि आमने-सामने बैठकर पढ़ने-पढ़ाने का तरीका तो श्रेष्ठ है ही, परंतु बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप शैक्षिक तंत्र को प्रभावी बनना भी जरूरी है।" टुटेजा मानते हैं कि कोविड-19 में लोगों को अलग तरह का अनुभव हुआ है, जिसका फायदा आगे मिल सकता है। लोगों ने खुद को ऑनलाइन शिक्षा के लिए काफी हद तक तैयार कर लिया है। संकट के समय में हमने जो सीखा है, उससे अगर हम तैयारी करें तो आगे चलकर किसी समस्या का तत्काल समाधान निकाला जा सकता है।

ऑनलाइन असेसमेंट के लिए प्रॉक्टोरल प्लेटफॉर्म जरूरी है। एआइसीटीई चेयरमैन प्रो. सहस्त्रबुद्धे के अनुसार, भारत में घरेलू स्तर पर बने कई प्लेटफार्म हैं। डेढ़ साल पहले महाराष्ट्र नॉलेज कमीशन लिमिटेड पुणे (महाराष्ट्र सरकार का साझा उद्यम) ने ऐसा प्रॉक्टोरल प्लेटफॉर्म तैयार किया था, जिसमें छात्र अपने घर बैठ कर परीक्षा दे सकते हैं। जिस तरह परीक्षा हॉल में आइडेंटिटी कार्ड और एडमिट कार्ड देखे जाते हैं, उसी तरह इसमें छात्र की रेटिना जांच करके उनकी पहचान की जाती है। उसके बाद ही प्रश्नपत्र मिलता है। कैमरे के जरिए उनकी गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जाती है। अगर कैमरा बंद हो गया या कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आई तो 15 सेकंड में परीक्षा बंद हो जाएगी। प्रो. सहस्त्रबुद्धे के अनुसार, ऐसे और भी प्लेटफॉर्म हैं। डेढ़ महीने में कई कंपनियों ने संपर्क किया है। अभी इनका ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इनमें कुछ छोटी-मोटी गलतियां हो सकती हैं। इस्तेमाल करने पर खामियों का पता चलेगा और उन्हें दूर किया जा सकेगा। अभी तक सामान्य तरीके से परीक्षाएं होती थीं तो कोई इनमें रुचि नहीं दिखाता था, अब इनकी मांग बढ़ेगी।

अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में लैपटॉप-डेस्कटॉप कम, इसलिए प्रॉक्टर्ड असेसमेंट फिलहाल मुमकिन नहीं

गुरप्रीत सिंह टुटेजा
पूर्व डिप्टी डीन, डीयू

संस्थान इस तरह की टेक्नोलॉजी को तेजी से अपना रहे हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) ने सभी थ्योरी विषयों की परीक्षाएं ऑनलाइन कराने का फैसला किया है। ये परीक्षाएं एआइ प्रॉक्टर्ड प्लेटफॉर्म के जरिए होंगी। इसी तरह, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ने ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एमयूएनआइ कैंपस नाम की एजुटेक कंपनी के साथ समझौता किया है। यह कंपनी परीक्षा के दौरान छात्रों की लाइव प्रॉक्टरिंग करेगी। छात्र चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स में अपना उत्तर लिख सकते हैं या कागज पर उत्तर लिखकर उसे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं।

अवनीत कहती हैं, "शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी क्रांति आएगी। पहले हम टेक्नॉलोजी सॉल्यूशन लेकर जाते थे, तो स्कूल उसे मंजूरी देने में छह से सात महीने लगाते थे। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्कूल खुद टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। छोटे-छोटे शहरों से भी स्कूलों की डिमांड आ रही है। इससे नई तरह की नौकरियों के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। जिसके पास जिस विषय की जानकारी है, वह उस विषय में ऑनलाइन क्लास ले सकता है। यह एजुटेक क्रांति की शुरुआत है।" लेकिन फिलहाल समस्या पढ़ाई शुरू करने की है।

तालाबंदी : बजट स्कूलों पर भी लॉकडाउन की मार

तंगहाल बजट स्कूल

इन स्कूलों की फीस कम, सरकारी मदद भी नहीं, पढ़ाई जारी रख पाना चुनौतीपूर्ण

अविनाश चंद्र

मुनि इंटरनेशनल स्कूल, वेस्ट दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले उत्तम नगर इलाके में संचालित होने वाला एक बजट स्कूल है। बजट स्कूल यानी सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र प्रति माह खर्च होने वाली राशि के बराबर या कम शुल्क में शिक्षा प्रदान करने वाले प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त स्कूल। आम दिनों में स्कूल और इसके आसपास छात्रों और अभिभावकों की काफी चहल-पहल रहती है। लेकिन इन दिनों यहां सन्नाटा पसरा है। स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लटका है। इन पर जमी धूल और मकड़ी के जालों को साफ देखा जा सकता है। इसके मालिक और भूतपूर्व सैनिक अशोक ठाकुर के माथे पर चिंता की लकीरें भी साफ देखी जा सकती हैं। कारगिल, लेह-लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में तैनाती और ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल होने के दौरान भी उन्हें इतनी चिंता नहीं हुई थी। लेकिन सेना से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर गरीब और वंचित तबके के छात्रों को कम शुल्क में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित स्कूल पर ताला लटका देख उनकी पेशानी पर बल पड़ जाते हैं। उन्हें यह चिंता भी सताए जा रही है कि सालों से उनके साथ जुड़े अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन कैसे दें। दरअसल, मार्च महीने से ही उन्हें छात्रों की फीस नहीं मिल पा रही है।

नांगलोई-नजफगढ़ रोड स्थित रोज वैली पब्लिक स्कूल के संचालक प्रेमचंद देसवाल की चिंता भी कुछ ऐसी ही है। सरकारी आदेश के साथ-साथ नैतिकता का भी यही तकाजा है कि संकट की इस घड़ी में किसी भी स्टाफ की सैलरी न रोकी जाए। चूंकि बजट स्कूलों की स्थिति रोज कुआं खोदने और रोज पानी पीने वाली होती है, इसलिए सरप्लस बजट जैसा कुछ उनके पास संभव ही नहीं है। स्थित यह है कि उन्हें अपने सगे-संबंधियों और रिश्तेदारों से आर्थिक सहायता मांगने को मजबूर होना पड़ रहा है। चिंता यह भी है कि फीस नहीं मिली तो कर्ज लौटाएंगे कैसे?

यह समस्या सिर्फ मुनि इंटरनेशनल या रोज वैली पब्लिक स्कूल की नहीं, बल्कि देश के लाखों ऐसे बजट स्कूलों की है जो आस-पड़ोस के छोटे भवनों और भूखंडों में संचालित होते हैं और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान फीस लेने के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों का सबसे अधिक

दुष्प्रभाव छोटे और कम शुल्क वाले बजट स्कूलों पर ही पड़ा है। परिणामस्वरूप फंड और संसाधनों की कमी के कारण देश के लगभग तीन लाख बजट स्कूलों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है।

दुर्भाग्य से, प्राइवेट स्कूलों की बात आते ही मन में बड़ी बिल्डिंग, चमकता परिसर, स्कूल बसों की कतार, टाई-पैंट बूट पहने अमीर घरों के बच्चे और मुख्य गेट से लेकर अंदर तक जगह-जगह तैनात गार्ड की तसवीर उभर आती है। इसके साथ ही एक और तसवीर ऊभरती है, स्कूलों द्वारा वसूली जाने वाली मोटी फीस और समय-समय पर किसी न किसी बहाने पैसों की उगाही करते कठोर मैनेजमेंट की। यह ऐसी छवि है जो पिछले एक दशक के दौरान और अधिक गहरी होती गई है। हालांकि सच्चाई यह है कि सिर्फ 15 से 20 फीसदी प्राइवेट स्कूल ही बड़े और एलीट वर्ग में आते हैं। बाकी स्कूल ऐसे हैं जिनकी औसत मासिक फीस 50 से 700 रुपये के बीच होती है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र प्रथम पीढ़ी के छात्र (फर्स्ट जेनेरेशन लर्नर्स) होते हैं और जिनके अभिभावक आमतौर पर निम्न और अतिनिम्न आयवर्ग वाले होते हैं। इन स्कूलों के सामने हमेशा आर्थिक संसाधनों की कमी बनी रहती है।

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के सीईओ यतीश राजावत का कहना है कि देश के कुल निजी स्कूलों में 75 से 80 फीसदी भागीदारी छोटे और बजट स्कूलों की है, जिनमें नौ करोड़ से अधिक छात्र शिक्षा हासिल करते हैं। सरकार द्वारा अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव न डालने, केवल ट्यूशन फीस लेने और अपने सभी कर्मचारियों को वेतन देते रहने के आदेश के कारण बजट स्कूलों के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इससे स्कूलों के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया है। इसकी सबसे अधिक मार छात्रों पर ही पड़ेगी क्योंकि तब उनके पास गुणवत्तायुक्त शिक्षा तो छोड़िए, किसी प्रकार की शिक्षा हासिल करने का कोई चारा नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की इतनी क्षमता नहीं है कि वे सभी बच्चों को दाखिला दे सकें।

सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और नामी एलीट स्कूलों के पास फंड और संसाधनों की वैसी किल्लत नहीं है और उनके लिए इस कठिन दौर से निकलना चुनौतीपूर्ण तो है पर असंभव नहीं। लेकिन छोटे शहरों, गांवों और शहरीकृत गांवों के गली-मोहल्लों में कम संसाधनों के साथ संचालित होने वाले बजट स्कूल, जिन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है, उनके लिए यह भारी संकट की घड़ी है। इस कारण इन गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले देश के लगभग नौ करोड़ छात्र-छात्राओं के भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में बड़े और महंगे स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं

देश भर के बजट स्कूलों में नौ करोड़ छात्र पढ़ते हैं, इन दिनों फीस न मिलने से इन स्कूलों के दिवालिया होने का खतरा

यतीश राजावत

सीईओ, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी

शिक्षा संकट : बजट स्कूलों को मदद की आस

संचालित कर रहे हैं, पाठ्य सामग्री आदि ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं और फीस भी ऑनलाइन ले रहे हैं। लेकिन छोटे और कम फीस वाले स्कूलों के सामने तमाम चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं।

मासिक फीस

कोविड-19 संक्रमण के कारण पूरा देश लॉकडाउन में है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव बजट स्कूलों पर ही देखने को मिल रहा है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र मुख्यत: गरीब और निम्न आय वर्ग से आते हैं। ये छात्र अपने परिवार की पहली पीढ़ी होते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं। इनके अभिभावक दिहाड़ी मजदूर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, छोटे दुकानदार आदि होते हैं, जिनकी औसत वार्षिक आय एक लाख से ढाई लाख रुपये के बीच होती है। लॉकडाउन के कारण इनकी आय बुरी तरह प्रभावित हुई है। किसी को नहीं पता कि यह दौर कितना लंबा चलेगा। इसलिए सभी जितना अधिक हो सके बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें से अधिकांश इंटरनेट सेवी नहीं होते और ऑनलाइन लेनदेन को लेकर सहज महसूस नहीं करते हैं। 80 फीसदी से अधिक अभिभावक फीस नकद ही जमा कराते हैं। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं और फीस संकलन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा फीस के लिए दबाव न बनाने के सरकारी फरमान के कारण अभिभावक फीस जमा नहीं करा रहे हैं।

मुनि इंटरनेशनल स्कूल के संचालक अशोक ठाकुर का कहना है कि निहित स्वार्थों के तहत विभिन्न संस्थाओं द्वारा अभिभावकों के बीच यह भ्रम पैदा कर दिया गया है कि सरकार ने स्कूलों को फीस न लेने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा अभिभावक यह भी सोचते हैं कि उनका बच्चा जब स्कूल जा ही

नहीं रहा है तो फीस किस बात की दी जाए!

स्कूलों के खर्चों में वृद्धि होना

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी आते ही आनन-फानन में सभी स्कूलों, कार्यालयों, दुकानों आदि को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया। सबकुछ इतनी जल्दी हुआ कि स्कूलों के फर्नीचर, तकनीकी उपकरणों, फाइलों आदि को संभाल कर रखने का मौका ही नहीं मिला। किसी को अनुमान नहीं था कि लॉकडाउन का दौर इतना लंबा चलेगा। अभी तक स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। इससे मेंटिनेंस का खर्च काफी बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा स्कूलों को अपने सभी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को वेतन पूर्ववत देना ही है। सरकार का आदेश है कि किसी भी कर्मचारी का वेतन न रोका जाए न उसमें कटौती की जाए। स्कूलों को बिजली, पानी, प्रॉपर्टी टैक्स, भवन का किराया, स्कूल वाहन की ईएमआई आदि का पूर्व की भांति ही भुगतान करना है।

सरप्लस फंड का न होना

बजट स्कूलों के पास सरप्लस फंड का प्रावधान न के बराबर होता है। उनके सामने भविष्य की योजनाओं के लिए फंड एकत्रित करने की बड़ी समस्या होती है। प्रतिवर्ष नए दाखिलों के दौरान प्राप्त होने वाले दाखिला शुल्क आदि से कुछ खर्चों का समायोजन होता है। लेकिन इस बार दाखिले अब तक नहीं हुए हैं, इसलिए समस्या और बढ़ गई है। प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रेमचंद देसवाल का कहना है कि जिस प्रकार रिजर्व बैंक सभी बैंकों की तरलता का एक हिस्सा अपने पास रिजर्व रखता है, उसी प्रकार सरकार सभी स्कूलों से प्रति छात्र 8-10 रुपये की फिक्स डिपॉजिट रिजर्व सुनिश्चित कराती है। इस रिजर्व का उद्देश्य भी जरूरत के समय स्टॉफ को वेतन आदि सुनिश्चित कराना होता है। इस फंड को इस्तेमाल करने का यह आदर्श समय है। सरकार को स्कूलों को इसकी अनुमति देनी चाहिए।

आनलाइन शिक्षा में परेशानी

बजट स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्रों के अभिभावकों के पास इंटरनेटयुक्त स्मार्टफोन नहीं हैं। बजट स्कूलों के अखिल भारतीय संगठन, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के अनुसार, इन छात्रों के परिवार में औसतन दो से तीन बच्चे होते हैं। महज 20 से 25 फीसदी अभिभावकों के पास इंटरनेट कनेक्शनयुक्त स्मार्टफोन हैं। हालांकि, ऐसे छात्रों और अभिभावकों के लिए एडटेक कंपनियां समाधान भी ला रही हैं। सेंटर फॉर स्क्वायर फाउंडेशन में एसोसियेट डायरेक्टर राहुल अहलुवालिया ने बताया कि उनके ऐप 'टॉप पैरेंट' से अभिभावक बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करने के तरीके सिखा सकते हैं। एडफिना के सीएफओ रौनक सिंघवी ने बताया कि निजी स्कूलों की फीस जमा करने और दाखिला प्रबंधन में मदद के लिए 'एडफिना स्कूल ईएक्सेल' नामक एक प्रौद्योगिकी मंच विकसित कर रही है।

मल्टी यूजर ऐप महंगे, स्कूल इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कंपनियां कम कीमत पर सॉफ्टवेयर देने को राजी, इससे ऑनलाइन क्लास बेहतर होगी

कुलभूषण शर्मा
राष्ट्रीय अध्यक्ष, निसा

बजट स्कूल कैसे कर रहे हैं चुनौतियों का सामना:

बजट स्कूलों ने इस समस्या का एक समाधान ढूंढ़ निकाला है। ऑनलाइन क्लास के लिए संसाधनविहीन स्कूलों ने व्हाट्सऐप को अपना सहारा बनाया है। लाइव कक्षाओं की जगह स्कूलों ने व्हाट्सऐप पर पाठ्य सामग्री रिकॉर्ड कर भेजना शुरू किया है। होमवर्क भी व्हाट्सऐप पर ही मंगाया जाता है। इससे छात्रों के पास अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ाई करने और कोई प्वाइंट समझ में न आने पर रिपीट कर बार-बार देखने का विकल्प मिलता है।

निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा बताते हैं कि अचानक उत्पन्न हुई परिस्थिति के कारण स्कूलों को अपने संसाधन अपग्रेड करने का मौका नहीं मिल सका। मल्टी यूजर फैसिलिटी वाले ऐप काफी महंगे होने के कारण भी बजट स्कूल उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुलभूषण शर्मा बताते हैं कि उनकी बात माइक्रोसॉफ्ट और अन्य सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियों के साथ चल रही है। वह कहते हैं, "कंपनियां बजट स्कूलों के लिए कम कीमत पर सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने को राजी हो गई हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही हम भी बेहतर तरीके से ऑनलाइन क्लास चला पाएंगे। इसके अतिरिक्त टॉप पैरेंट ऐप जैसे कुछ फ्री ऐप की मदद से भी शिक्षा प्रदान की जा रही है।"

(लेखक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी में एसोसिएट डायरेक्टर हैं)

प्राइवेट स्कूलों में 79% बजट स्कूल

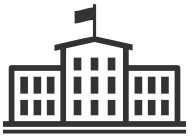

भारत में स्कूल
15 लाख

- ग्रामीण 85%
- शहरी 15%

प्राइवेट स्कूल - 3,78,760
25% (43% छात्र इनमें पढ़ते हैं)

सरकारी स्कूल - 11,41,760
75% (55% छात्र इनमें पढ़ते हैं)

प्राइवेट सहायताप्राप्त स्कूल - 6%
सरकार से वित्तीय मदद पाते हैं, शिक्षकों की भर्ती और वेतन में इनकी स्वायत्तता कम होती है

प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त स्कूल - 19%
सरकार से ग्रांट नहीं मिलती

- **एलीट प्राइवेट स्कूल** — सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र होने वाले खर्च से ज्यादा फीस लेते हैं
- **बजट प्राइवेट स्कूल - 79%**

"पढ़ाई पटरी पर लाने के दिशानिर्देश जल्द"

अचानक आई कोविड महामारी ने स्कूल-कॉलेज से लेकर सरकार तक, किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। जिस समय संकट आया, उसी वक्त स्कूलों और कॉलेजों की परीक्षाओं के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि छात्रों की पढ़ाई और साल बर्बाद न हो। छात्रों की परेशानियां दूर करने के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है, राज्यों के साथ उसका तालमेल अब तक कैसा रहा, इन सब विषयों पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री **रमेश पोखरियाल निशंक** *से बात की संपादक* **हरवीर सिंह** *ने। मुख्य अंश:*

कोविड-19 महामारी से देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है। इसके पहले से ही स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और दूसरे शिक्षण संस्थान बंद हैं। क्या महामारी का सबसे प्रतिकूल असर छात्रों पर पड़ा है?

कोविड-19 महामारी से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देश प्रभावित हैं। इसका प्रतिकूल असर विविध क्षेत्रों में दिख रहा है। शिक्षा क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और उनके सतत प्रयासों से हमने महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया है। हमारा प्रयास है कि हमारे 33 करोड़ छात्र किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करें और अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा, स्वयं, स्वयंप्रभा, ई-पाठशाला, दूरदर्शन के शैक्षणिक टीवी चैनल आदि को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अकेले दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों के लिए 80,000 से अधिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। जिन छात्रों तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है उनके लिए स्वयंप्रभा के 32 चैनलों के माध्यम से शिक्षा पहुंचाई जा रही है। मुझे खुशी है कि विद्यार्थी इस मुश्किल समय में इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। सभी 1,902 स्वयं पाठ्यक्रमों और 60,000 स्वंयप्रभा वीडियो

का दस क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराने का फैसला किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। 'स्वयं' पर 1,902 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अब तक 1.56 करोड़ छात्रों के लिए इसे उपलब्ध कराया जा चुका है। अभी 26 लाख से अधिक छात्र इसके जरिए 574 पाठ्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। 'स्वयं-दो' के तहत ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराया जाएगा।

लॉकडाउन को करीब 50 दिन हो गए हैं। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर राज्य सरकारें लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत कर चुकी हैं। शिक्षण संस्थानों के मामले में अभी और देरी होगी, तो इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी?

छात्रों को हो रहे नुकसान का सीबीएसई ने संज्ञान लिया है और जरूरत पड़ने पर अगले वर्ष के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जा सकता है। अभी इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कोशिश है कि छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए मैंने एनसीईआरटी द्वारा तैयार वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। कैलेंडर में शिक्षकों को दिशानिर्देश दिए गए हैं कि वे किस प्रकार विभिन्न प्रोद्योगिकीय और सोशल मीडिया उपकरणों का उपयोग कर, घर पर ही बच्चों को उनके अभिभावकों की मदद से शिक्षा दे सकते हैं।

क्या केंद्र ने राज्यों के साथ तालमेल किया है? छात्रों का शैक्षणिक सत्र बचाने के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए हम शुरू से राज्यों के साथ संपर्क में हैं। हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रयासरत हैं। मैं हर सप्ताह सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोन पर बात करता हूं। हमने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी प्रदान की। इस पर लगभग 1,600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके अलावा 'मिड डे मील' योजना के अंतर्गत पहली तिमाही के लिए 2,500 करोड़ रुपये का तदर्थ अनुदान भी जारी किया जा रहा है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत खाना पकाने की लागत में वार्षिक केंद्रीय आवंटन को 7,300 करोड़ रुपये से 11 फीसदी बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपये किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मानकों में ढील देते हुए भारत सरकार ने राज्यों को पिछले वर्ष की शेष राशि खर्च करने की अनुमति प्रदान की है, जो लगभग 6,200

'स्वयं' पर 1,902 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अभी 26 लाख छात्र 574 पाठ्यक्रमों का लाभ ले रहे हैं, ऑनलाइन डिग्री पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराने की तैयारी है

करोड़ रुपये है। पहली तिमाही के लिए 4,450 करोड़ रुपये का तदर्थ अनुदान भी जारी किया जा रहा है।

राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में मैंने सभी राज्यों से यह आग्रह भी किया कि वे बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करें और सीबीएसई को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करें।

सरकारी और निजी संस्थानों ने ई-लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और इंटरनेट के जरिए उपलपब्ध विकल्पों का उपयोग कर छात्रों को पढ़ाने की प्रक्रिया जारी रखी है। लेकिन बड़ी सच्चाई यह है कि हमारे शिक्षक इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में दक्ष नहीं हैं। इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ने के बावजूद देश की बड़ी आबादी अभी इससे वंचित है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षकों के लिए पंडित मदनमोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन ऑन टीचर्स ऐंड टीचिंग और निष्ठा योजनाओं के तहत ई-लर्निंग संसाधन के उपयोग के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया है। जिन छात्रों तक इंटरनेट की पंहुच नहीं है उनके लिए स्वयंप्रभा के 32 चैनलों के माध्यम से शिक्षा पहुंचाई जा रही है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर में भी इस बात का ध्यान रखा गया है।

अभिभावकों की शिकायतें आई हैं कि सत्र शुरू हुए बिना स्कूलों ने नई एडमिशन फीस मांगनी शुरू कर दी है। इस पर आपने राज्यों को क्या निर्देश दिए हैं? इसके अलावा, बजट स्कूलों को बचाने के लिए क्या कोई अलग रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि इन स्कूलों में निम्न आय वर्ग के करीब चार करोड़ बच्चे पढ़ते हैं?

जैसा मैंने पहले कहा, शिक्षा समवर्ती सूची में है इसलिए फीस वृद्धि का विषय राज्य सरकारों से संबंधित है, लेकिन मैंने सभी राज्यों और निजी विद्यालयों के संचालकों से अनुरोध किया है कि इस मुश्किल घड़ी में मानवीय मूल्यों के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी अभिभावक पर अनावश्यक बोझ न पड़े। मैंने यह अनुरोध भी किया है कि एक साथ तीन महीने की फीस लेने के बजाय एक महीने की ही फीस ली जाए। मुझे खुशी है कि कई राज्यों और स्कूलों ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। आइआइटी, आइआइआइटी और एनआइटी ने भी फीस नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। जहां तक बजट स्कूलों की बात है, कुछ समय पहले ही मैंने आंध्र प्रदेश के स्कूलों के प्रबंधकों के साथ वार्ता की थी। उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। जैसा मैंने पहले भी कहा, फीस रेगुलेट करने का विषय राज्य सरकारों का है। मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इसका समाधान जल्द से जल्द निकालने का अनुरोध करता हूं। समाधान ऐसा होना चाहिए जिसका लाभ अभिभावकों और स्कूल दोनों को मिले। इसे मैं वित्त मंत्री के संज्ञान में भी लाऊंगा।

उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के मामले में अप्रैल-मई का समय काफी अहम होता है। इस दौरान प्रवेश परीक्षाएं होती हैं और उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षाएं भी होती हैं। यह सब अटक गया है, शैक्षणिक सत्र भी अधूरे हैं। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? सत्र आगे किए जा रहे हैं, इससे शैक्षणिक गुणवत्ता तो प्रभावित नहीं होगी?

उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए मैंने 29 अप्रैल को यूजीसी के दिशानिर्देश भी जारी किए। यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को वर्तमान और पिछले सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। जिन राज्यों

में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हुई है, वहां जुलाई में परीक्षा होगी। टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों के लिए भी जुलाई में परीक्षा होगी। विश्वविद्यालय कम समय में परीक्षाएं पूरी करने के लिए वैकल्पिक और सरलीकृत तरीके अपना सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2020-21 के पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त 2020 से और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर 2020 से आरंभ किया जा सकता है। हमने बच्चों की अनिश्चितता दूर करते हुए नीट, जेईई मेन और एडवांस्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा की है। नीट परीक्षा 26 जुलाई को, जेईई मेन 18 से 23 जुलाई तक और जेईई एडवांस्ड 23 अगस्त को होगी।

दसवीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी अटकी हुई हैं। कुछ राज्यों ने सुझाव दिया था कि बच्चों को साल की परफॉर्मेंस के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। क्या यह व्यावहारिक है, क्योंकि 12वीं के नतीजों के आधार पर उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए मेरिट बनती है।

मैंने स्पष्ट कहा है कि 10वीं की बची हुई परीक्षाएं पूरे देश में नहीं बल्कि सिर्फ उत्तर-पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में आयोजित होंगी। जहां तक कक्षा 12 की परीक्षाओं का सवाल है, तो हमने निर्णय लिया है कि सभी विषयों की नहीं बल्कि कुछ मुख्य विषयों की परीक्षाएं ही आयोजित करेंगे। देश भर में केवल 29 मुख्य विषयों की ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी शामिल हैं। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई, 2020 तक होंगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बिना परीक्षाओं के ही अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में कक्षा 9 और 11 की परीक्षाएं नहीं हुई हैं वहां भी यह सलाह दी गई है कि वे अब तक किए गए प्रोजेक्ट वर्क, पीरियोडिक टेस्ट, टर्म एग्जाम जैसे स्कूल आधारित मूल्यांकन के आधार पर 9वीं और 11वीं ग्रेड के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करें। हमारा पूरा प्रयास है कि छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।

कुछ लोगों की राय है कि इस साल कोर्स सिलेबस छोटे कर दिए जाएं तो कुछ लोगों ने पूरे सत्र को ही स्थगित करने का भी सुझाव दिया है। इस पर आपका क्या कहना है?

विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और अकादमिक कैलेंडर पर यूजीसी के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए विश्वविद्यालय छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों तथा समस्त शिक्षा प्रणाली के सर्वोच्च हित में विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए बदलाव, परिवर्धन, संशोधन या रूपांतरण के जरिए पारदर्शी तरीके से इन दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं। अगर कानूनी रूप से मान्य हो तो विश्वविद्यालय नामांकन प्रक्रिया के वैकल्पिक तरीकों को अपना सकते हैं। इसके अलावा, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम में आनुपातिक कमी के लिए समय के नुकसान का आकलन कर रहा है।

सीबीएसई 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में आनुपातिक कमी के लिए समय के नुकसान का आकलन कर रहा है, अभी अंतिम फैसला नहीं

हर साल लाखों छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। लेकिन इस बार महामारी के चलते हो सकता है लोग अपने बच्चों को भेजना न चाहें। दूसरे देशों में भी कोविड के चलते सख्ती है, जिससे वीसा में दिक्कत आ सकती है। इन छात्रों के लिए क्या करेंगे?

हम भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े। अभी तक इसकी होड़ लगी रहती थी। अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें कोई जल्दी जाएगा भी नहीं। हम उन बच्चों को यहीं पर अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। हमारे शिक्षण संस्थानों से निकले छात्र दुनिया की बड़ी कंपनियों के शीर्ष पदों पर हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति उन्नत है।

बच्चों के लिए खुद की क्षमता विकसित करने और देश के लिए काम करने में अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर फोकस बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं?

अनुसंधान की दिशा में स्पार्क कार्यक्रम के तहत दुनिया के 127 विश्वविद्यालयों के साथ हमारा समझौता हुआ है। इसके अलावा *रिसर्च पार्क* और *स्टार्स* समेत कई योजाएं हैं। आसियान देशों के 1,000 छात्र हमारी आइआइटी में अनुसंधान करने के लिए आएंगे। ज्ञान कार्यक्रम के तहत बाहर की फैकल्टी यहां आती है, अब हमारी फैकल्टी भी बाहर जाएंगी।

इन दिनों में प्लेसमेट की प्रक्रिया भी चलती है। घरेलू और वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के चलते संकट में है। प्लेसमेट पर इसका क्या असर पड़ेगा?

महामारी आने से पहले जो लोग नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी नियुक्तियां होनी थीं, वे जरूर होंगी। महामारी की वजह से थोड़ा विलंब जरूर हो गया है। जैसे ही देश महामारी से निपट लेगा, हम इस दिशा में उचित कदम उठाएंगे। अब भी मंत्रालय में इस दिशा में काफी चर्चाएं हो रही हैं और संबंधित कार्रवाई की जा रही है। सभी संबंधित अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इस दिशा में बहुत जल्द जरूरी दिशानिर्देश जारी करेगी। अभी पूरे देश की प्राथमिकता कोरोना महामारी से निजात पाने की है, क्योंकि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जान है तो जहान है।

संकट में करोड़ों छात्र

सरकार की रणनीति अधूरी, करोड़ों छात्र-छात्राओं के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सुविधाएं नहीं

डॉ. सुशील उपाध्याय

पहले से ही भुरभुरे धरातल पर खड़े देश के एजुकेशन सिस्टम को कोरोना ने और ज्यादा अस्थिर कर दिया है। पढ़ाने से लेकर परीक्षा कराने तक के सवालों के बीच इस वक्त किसी तरह का आश्वस्तकारी माहौल नहीं दिख रहा है। सरकारी दावों के बीच कड़वी सच्चाई यह है कि न तो देश की शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन माध्यमों पर शिफ्ट होने की स्थिति में है और न ही करोड़ों छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव है।

देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद यह सवाल बहुत बड़ा हो गया कि अब उन छात्र-छात्राओं की पढ़ाई और परीक्षा का क्या होगा, जिनकी संस्थाएं लंबे समय के लिए बंद हो गई हैं। आनन-फानन में इसका समाधान तलाशा गया कि अब समस्त पढ़ाई ऑनलाइन होगी। विचार और सिद्धांत के रूप में तो यह अच्छी पहल है, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो कड़वी सच्चाई सामने आती है। यहां कुछ बड़े सवाल मौजूद हैं। मसलन, क्या शिक्षक ऑनलाइन माध्यमों से अपना काम करने के लिए ट्रेंड हैं? दूसरा, इस प्रोसेस में जिन गैजेट्स का उपयोग किया जाना है, वे कितने छात्र-छात्राओं के पास उपलब्ध हैं? तीसरा, क्या सभी छात्र-छात्राओं के पास नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है? बिना किसी किंतु-परंतु के इन सवालों का जवाब दिया जाए तो उत्तर नकारात्मक है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जिस कोर्स मटेरियल की आवश्यकता है, उसकी उपलब्धता प्रश्नों के घेरे में है। भारत सरकार जिन पोर्टल और वर्चुअल प्लेटफॉर्म (SWAYAM, NPTEL, NDL) का इस्तेमाल करके ऑनलाइन टीचिंग कराने की बात कह रही है, उन पर 90 फीसदी से ज्यादा स्टडी मटेरियल अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, जो दुनिया के कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की भारतीय नकल है। यह सामग्री और इस सामग्री की भाषा देश के दूर-दराज के इलाकों के छात्र-छात्राओं के किसी काम की नहीं है। इनके अलावा भारत सरकार के 34-35 शैक्षिक चैनल भी अंग्रेजी कार्यक्रमों से ही अटे पड़े हैं।

इन छात्र-छात्राओं को जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अभी वे खुद ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि तत्काल ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तैयार कर लें और स्टूडेंट्स को उपलब्ध करा सकें। शिक्षक यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑनलाइन माध्यमों के जरिए रोजाना तीन से चार घंटे तक सैकड़ों छात्रों के साथ किस तरह कनेक्ट रहा जाए। गढ़वाल विश्वविद्यालय और उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. सुधा पांडेय का कहना है, "किसी एजुकेशन मोड को इतनी जल्दी बदलना संभव नहीं होता और ऑनलाइन टीचिंग कभी भी क्लास टीचिंग का विकल्प नहीं हो सकती।" गौरतलब है कि ऑनलाइन टीचिंग के नाम पर कई जगह तो ऐसे मामले सामने आए जब शिक्षकों ने किताबों के सैकड़ों पेज व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से छात्रों को भेजकर अपने दायित्व की पूर्ति कर ली। यदि इसी ढंग से पढ़ाई होनी है तो फिर शिक्षक की भी क्या जरूरत है?

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का दायरा 50 फीसदी से भी कम है। साथ ही, वहां लड़कियों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की छूट भी आम तौर पर नहीं होती

अप्रैल में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर यूजीसी द्वारा गठित एक समिति ने कोरोना के प्रभावों के बीच पढ़ाई और परीक्षा के मसले पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसमें उम्मीद जताई गई है कि शिक्षक ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ई-रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे और छात्र-छात्राओं को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ेंगे। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि परंपरागत परीक्षा के स्थान पर वैकल्पिक माध्यमों से परीक्षा करा ली जाए। कुछ सुझाव प्रवेश परीक्षा को लेकर भी दिए गए हैं और इन सब कार्यों के लिए एक टाइम-फ्रेम भी तय किया गया है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उच्च शिक्षा के सामने आने वाली लगभग सभी चुनौतियों का समाधान निकाल लिया गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। पहली बात तो यह कि उच्च शिक्षा में पंजीकृत चार करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षा कराने का कोई ढांचा किसी सरकार अथवा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है। देश का संघ लोक सेवा आयोग अपनी सबसे बड़ी परीक्षा को ऑनलाइन कराने की स्थिति में नहीं है, तो फिर विश्वविद्यालयों से कैसे उम्मीद की जाए!

दूसरी चुनौती यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का दायरा 50 फीसदी से भी कम है। लड़कियों के मामले में यह 30 फीसदी से भी कम है। एक सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज की उप प्राचार्य डॉ. दीपा अग्रवाल का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मां-बाप लड़कियों को स्मार्टफोन का उपयोग करने ही नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। इसका परिणाम यह है कि लड़कियां ऑनलाइन पढ़ाई से पूरी तरह कट गई हैं।

अब जिन छात्र-छात्राओं के पास स्मार्टफोन, नेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वे इस नई व्यवस्था से स्वत: ही बाहर हो जाएंगे। इसीलिए यह सुझाव भी सामने आया कि मौजूदा सत्र को जीरो सत्र कर दिया जाए, लेकिन इसका छात्रों और अभिभावकों की तरफ से व्यापक विरोध हुआ। फिर यह सुझाव दिया गया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर अन्य सभी को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि यदि छात्र-छात्राओं को पढ़ाई और परीक्षा के बिना ही अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाना है, तो फिर इस तरह की पढ़ाई का औचित्य क्या है?

फिलहाल, पूरे देश में न केवल मौजूदा शैक्षिक सत्र, बल्कि अगला शैक्षिक सत्र भी सीधे तौर पर प्रभावित होता दिख रहा है। भले ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जुलाई में सीबीएसई की सीनियर

जे.एस.अधिकारी

सेकेंडरी की शेष परीक्षाएं कराने की घोषणा कर दी है, लेकिन इसकी संभावना कम ही है। इसके अलावा, देश के सभी बोर्ड एग्जाम अभी अधूरे पड़े हैं।

यदि ये सभी परीक्षाएं जुलाई में हो भी जाएं तो भी अगस्त से पहले परिणाम घोषित नहीं होगा। इसके बाद सितंबर में दाखिले की प्रक्रिया आरंभ होने पर अगला एक सेमेस्टर भी खराब होने का डर रहेगा।

इन सब के बीच एक बड़ी चुनौती यह है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ तथा अन्य प्रोफेशनल डिग्रियों की प्रवेश परीक्षाएं कब आयोजित होंगी? अभी जो तिथियां निर्धारित की गई हैं, वे संभवत: इस अनुमान पर आधारित हैं कि आगामी दिनों में कोरोना का प्रभाव तेजी से घटेगा और जुलाई तक स्थितियां लगभग सामान्य हो जाएंगी। वस्तुत: यह अनुमान वास्तविकता के बजाय खुद को दिलासा देने पर ज्यादा केंद्रित दिखता है।

भले ही सरकारें घोषित तौर पर कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन यह बात नीति निर्माताओं को भी समझ में आ गई है कि ऑनलाइन एजुकेशन से क्लास टीचिंग का मकसद पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अब विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले जाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। शैक्षिक संस्थाएं खोलने का इस आधार पर समर्थन किया जाना चाहिए कि जब अन्य सरकारी कार्यालय खोले जा चुके हैं, तो फिर इन संस्थाओं को भी सामान्य कामकाज के लिए खोल दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत

सरकार घोषित तौर पर भले न कहे लेकिन यह बात नीति-निर्माताओं को समझ आ गई है कि ऑनलाइन से क्लास टीचिंग का मकसद पूरा नहीं हो सकता

चुनौतियां और भी: ऑनलाइन पढ़ाई की राह आसान नहीं

ने प्राचार्यों से कॉलेज खोले जाने की रणनीति तैयार करने को कहा है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में 70 फीसदी से अधिक छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन कक्षाओं के साथ जोड़ लिया गया है और जो शेष बचे हैं उनके लिए भी विकल्प तलाश किए जा रहे हैं। उधर, केंद्र सरकार ने भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे सत्र को नियमित करने की कार्ययोजना तैयार करें। इन दोनों बातों के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि क्लास टीचिंग और परंपरागत ढंग से परीक्षा कराने का अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। शिक्षाविद डॉ. अजीत सिंह तोमर का कहना है, "भविष्य के लिए ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है जिसमें क्लास टीचिंग के साथ ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड की खूबियां भी समाहित हों। मौजूदा स्थितियों में सोसायटी के भीतर डिजिटल डिवाइड का खतरा और गहरा हो गया है।" फिलहाल, एजुकेशन सिस्टम को संभालने के मामले में सरकार की रणनीति अधूरी और अपर्याप्त दिख रही है। असली सवाल यह है कि उन करोड़ों छात्र-छात्राओं का क्या होगा जिनके पास ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई करने के लिए न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं! जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक सरकार द्वारा की गई कोई भी घोषणा या प्रचार निरर्थक ही रहेगा।

(लेखक उत्तराखंड में गवर्नमेंट एडेड पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रिंसिपल और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं)

ऑनलाइन शिक्षा स्वप्न

मौजूदा शिक्षण प्रणाली सिर्फ क्लास रूम में पढ़ाई के अनुकूल

एम. राजीवलोचन

भारत में ई-लर्निंग कारगर साबित नहीं हो रही है। इसके लिए छात्रों में अलग तरह की प्रतिबद्धता और ध्यान देने की क्षमता आवश्यक है। ई-लर्निंग में कोर्स के बजाय छात्रों पर फोकस होना चाहिए। हमारे वर्तमान शिक्षा तंत्र में इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। ई-लर्निंग के लिए घर में कंप्यूटर है या नहीं, हाईस्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या 2जी मोबाइल फोन है, आप पांचवीं क्लास में हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आपके किसी विषय में लैब प्रैक्टिकल की आवश्यकता है अथवा नहीं, आपके लिए समस्याएं एक जैसी हैं, भले ही आप छात्र हों या फिर अध्यापक। भारत अभी ई-लर्निंग के लिए तैयार नहीं है। किसी अध्यापक ने बड़ी संख्या में वेबिनार और लेक्चर के वीडियो किसी पब्लिक पोर्टल पर डाले हैं, ऐसा दावा करने वाले तमाम बयान (मेरी नजर में असत्य) कोई मायने नहीं रखते हैं। नामी-गिरामी स्कूलों के ये दावे भी निरर्थक हैं कि उसने कोविड-19 के दौरान ई-लर्निंग के जरिए छात्रों की पढ़ाई सफलतापूर्वक जारी रखी है। उम्मीद दिखाने वाले ये दावे जमीनी स्थिति को बयान नहीं करते।

हमारे यहां के छात्रों और प्रोफेसरों की इस मामले में अक्षमता आपके लिए दुख पहुंचाने वाली होगी। हम आपको शिक्षा जगत के अंदर की स्थिति बताते हैं। दुनिया के दूसरे अंग्रेजी भाषी देशों से मिल रही अनौपचारिक रिपोर्ट भी इसी ओर संकेत देती हैं कि शिक्षण गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली ई-लर्निंग के लिए डिजाइन नहीं की गई है। ई-लर्निंग से शिक्षा पा रहे एक अमेरिकी बच्चे की मां ने मुझे बताया कि अगर उसकी कोविड-19 से मौत नहीं हुई, तो वह अपने बच्चों को यह समझाने के प्रयास में अवश्य दम तोड़ देगी कि उनके अध्यापक ऑनलाइन क्या पढ़ा रहे हैं।

देश में डिजिटल संसाधन लंबे समय से मौजूद हैं। सामान्य दिनों में ये पढ़ाई में कुछ हद तक पूरक का काम भी करते हैं। कुछ ई-एक्जाम भी आयोजित हुए हैं। लेकिन मार्च से मई 2020 तक के मौजूदा दौर के संदर्भ में कोई बेहतरीन झूठा ही यह दावा कर सकता है कि कोविड-19 के कारण क्लास न लग पाने से हो रहे नुकसान की भरपाई ई-लर्निंग से पूरी हो रही है- चाहे यह बात कोई छात्र, अध्यापक या फिर प्रशासक ही क्यों न बोल रहा हो। कृपया 2020 के ग्रीष्मकालीन सत्र को रद्द कर दीजिए। भारतीय छात्रों के लिए जून-जुलाई में शुरू होने वाले सत्र के बारे में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था की रणनीति पर सोचिए, ताकि अगले सत्र को भी रद्द करने की आवश्यकता न पड़े।

स्कूल और कॉलेज शिक्षा के स्तर की अध्ययन सामग्री पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध है। भारत में सरकार और उसकी एजेंसियां जैसे यूजीसी, एनसीईआरटी, इग्नू और एनओएस जैसी डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट लंबे समय से लेक्चर और किताबें ऑनलाइन सुलभ कराते रहे हैं। कुछ प्रोफेसर भी ई-लर्निंग के लिए सीमित दायरे के कोर्स ऑफर कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटी और स्कूलों ने ई-लर्निंग के लिए छात्रों का मूल्यांकन किया और उन्हें उनकी कुशलता के लिए प्रमाण-पत्र दिए। लेकिन याद रखिए, ये बेहद सीमित किस्म की लर्निंग और कौशल के लिए प्रयोग हुए हैं और छात्रों ने इन्हें अपनी इच्छा से हासिल किया है। प्राय: इनका खर्च बहुत ज्यादा होता है। इन सबमें अहम है कि यह छात्रों को क्लास में मिलने वाली सामान्य शिक्षा से अतिरिक्त है।

समस्या ई-लर्निंग के लिए संसाधनों की उपलब्धता की नहीं है। समस्या हमारी वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था के स्वरूप से जुड़ी है। मौजूदा शिक्षा का फोकस किसी एक स्थान पर बड़ी संख्या में एकत्रित छात्रों को एक तरह का ज्ञान देने पर है। छात्रों को मिलने वाली आजादी महज दिखावटी है। छात्र सीमित सूची से ही विषय का चयन कर सकते हैं। इन्हें पढ़ाने का तरीका इस बात से बेपरवाह होता है कि छात्र ने क्या सीखा। कक्षा में नआने वाला छात्र पीछे छूट जाता है। कक्षा में सक्रिय रहने वाले और अध्यापक से सवाल पूछने वाले छात्र को भी मौजूदा ढांचे में पढ़ाई के लिए काफी अध्ययनशील बनना पड़ता है। अमेरिका में स्कूल स्तर के ऐसे छात्र जो अध्ययनशील नहीं हैं, उनके लिए नया शब्द ईजाद किया गया। वहां कहा जाता है कि ये छात्र एडीएचडी से पीड़ित हैं और उन्हें एडीएचडी से छुटकारे के लिए दवाइयां भी दी जाती हैं।

ज्ञान के आदान-प्रदान की मौजूदा प्रक्रिया कठोर अनुशासन से बंधी है। इसमें छात्र की किसी खास रुचि अथवा नियोक्ता और समाज की जरूरतों का कोई स्थान नहीं होता है। पढ़ाई की एक समय सारणी होती है, भले ही कोई छात्र कुछ भी न समझ पाया हो। बेहतरीन प्रोफेसर और पाठ्यक्रम वाले सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों और स्कूलों में भी छात्रों को दैनिक जीवन के अनुभवों वाला ज्ञान कम ही मिलता है। छात्रों को सामान्य जीवन से निकालकर किसी एक स्थान पर एकत्रित करके शिक्षा दी जाती है। यही वजह है कि तमाम कामकाजी लोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में तब तक अध्ययन करने में कठिनाई महसूस करते हैं, जब तक कि वे अपने रोजगार की दैनिक व्यस्तता छोड़कर पूरी तरह अध्ययन में नहीं लग जाते। किसी भी व्यक्ति से पूछिए जो नौकरी कर रहा हो और साथ ही ईवनिंग क्लास में जा रहा हो। नौकरी के साथ पढ़ाई के लिए खास तरह की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसके लिए आत्म-अनुशासन की प्रतिबद्धता के साथ दूसरे कामों की चिंता में उलझे बगैर एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता जरूरी होती है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली लेक्चर सुनने, पुस्तकें पढ़ने और उन पर आधारित निबंध और लेख लिखने के लिए छात्रों को बाध्य करने पर निर्भर है। इसमें न तो छात्र को आत्म-अनुशासन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, न ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की। जब तक इस स्वरूप में बदलाव नहीं होता, तब तक ई-लर्निंग स्वप्न ही रहेगी।

मौजूदा व्यवस्था का फोकस एक स्थान पर एकत्रित छात्रों को एक तरह का ज्ञान देने पर है, पढ़ाने का तरीका इस बात से बेपरवाह होता है कि छात्र ने क्या सीखा

(लेखक पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के सदस्य हैं, लेख में विचार निजी हैं)

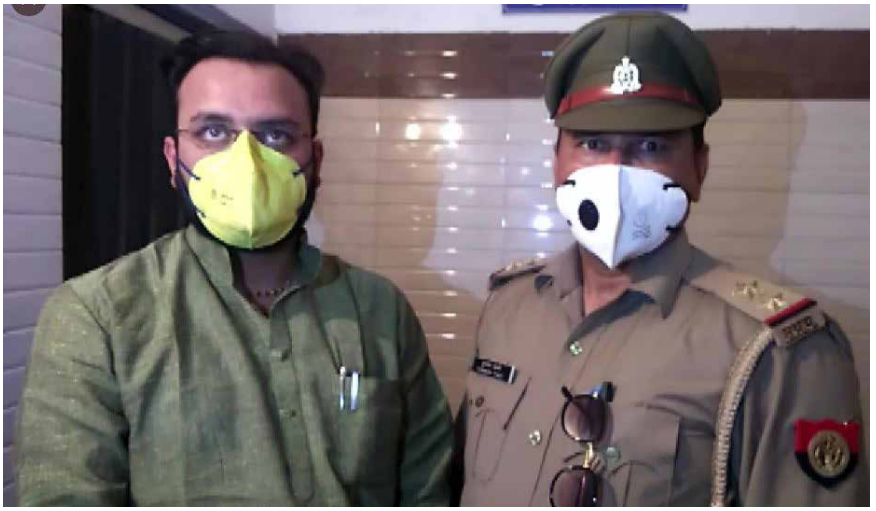

योगी के नाम पर सैर

विधायक अमनमणि त्रिपाठी को एसीएस के पत्र पर डीएम ने दिया पास

देहरादून से **अतुल बरतरिया**

महाराष्ट्र में उद्योगपति को लॉकडाउन में पास दिलाने पर वहां के गृह सचिव पर कार्रवाई हुई, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा सरकार ऐसे ही मामले में अपने अपर मुख्य सचिव का बचाव कर रही है। अपर मुख्य सचिव ने अपने चेहेते दबंग विधायक को पास दिलाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का इस्तेमाल किया। हो-हल्ला होने के बाद अब मुख्य सचिव का कहना है कि इस मामले में एक थाने में जांच चल रही है। लेकिन सवाल है कि क्या एक दारोगा सूबे के अपर मुख्य सचिव और डीएम से पूछताछ करने की हिम्मत जुटा पाएगा?

पिछले दिनों कर्णप्रयाग के एसडीएम ने तीन वाहनों को रोका तो पता चला कि काफिला यूपी के महाराजगंज जिले में नौतनवा के विधायक अमनमणि त्रिपाठी का है। इन लोगों ने देहरादून के जिलाधिकारी का एक पास भी दिखाया। इसमें नौ लोगों को तीन वाहनों में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम जाने की अनुमति दी गई थी। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बद्रीनाथ धाम बंद है और केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में, आगे जाने नहीं दिया जाएगा। विधायक ने पहले अपना रसूख दिखाया। लेकिन एसडीएम ने कोई तवज्जो नहीं दी और वापस लौटा दिया। बाद में टिहरी जिले में इन लोगों को लॉकडाउन तोड़ने पर गिरफ्तार किया गया लेकिन तत्काल ही निजी मुचलकों पर छोड़ दिया गया।

खास बात यह है कि पास देहरादून प्रशासन के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) ओमप्रकाश के पत्र के आधार पर जारी हुआ। एसीएस ने लिखा कि विधायक के साथ 10 लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता जी आनंद सिंह बिष्ट के पितृकार्य से बद्रीनाथ जाना है। वहां से केदारनाथ जाना है।

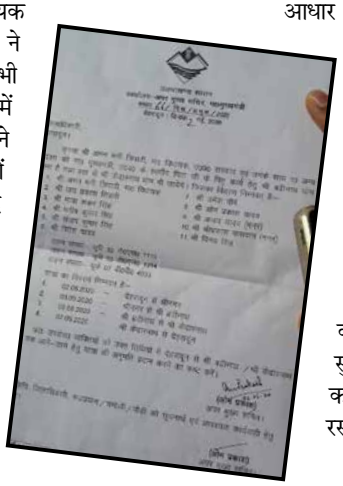

यूपी के मुख्यमंत्री का नाम आते ही मामला सुर्खियों में आ गया। कहा गया कि चहेते रसूखदारों को पास देने के लिए अफसरों ने सीएम के नाम का बेजा इस्तेमाल किया। इस मामले में कई सवाल हैं। पहला कि, क्या अफसरों ने योगी के नाम का बेजा इस्तेमाल किया? आखिर अमनमणि का योगी के परिवार से क्या वास्ता है, जिसके कारण उन्हें बद्रीनाथ धाम में उनके पिता जी का पितृकार्य करना था? यहां बता दें कि बद्रीनाथ धाम में पितृ विसर्जन मृतक के परिजन ही करते हैं। दूसरा सवाल यह भी है कि अभी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम जाने की इजाजत ही नहीं है, तो फिर इन लोगों को अनुमति कैसे मिल गई?

दोषी कौन : लॉकडाउन तोड़ने पर पर पकड़े गए विधायक, पास की प्रति (नीचे)

यह मामला लखनऊ में भी गूंजा तो उत्तराखंड सरकार ने जांच की बात कही। लेकिन सरकार ने इसमें अफसरों की चूक बताकर इसे हल्का कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बेहद नजदीकी एसीएस ओमप्रकाश ने यह कहते हुए गेंद देहरादून डीएम के पाले में डाल दी कि उन्होंने तो रुटीन पत्र लिखा। डीएम कार्यालय को तमाम बिंदुओं पर विचार करके ही पास जारी करना चाहिए था।

इस मामले में और भी पेंच हैं। मसलन, पास की पैरवी के लिए एसीएस की चिट्ठी में 12 लोगों की सूची में त्रिपाठी के बाद दूसरे नंबर पर जयप्रकाश तिवारी का नाम है। नौवें और दसवें नंबर पर दो गनर अजय यादव और श्रीप्रकाश पासवान के अलावा 11वें नंबर पर विनय सिंह का नाम है। देहरादून प्रशासन ने पास में दोनों गनर और एक अन्य का नाम शामिल नहीं किया। लेकिन कर्णप्रयाग में रोके जाने पर तीन वाहनों में 12 लोग थे। जबकि बिजनौर में यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो काफिले में सात लोग और दो वाहन रह गए। बिजनौर पहुंचने से पहले एक वाहन और पांच लोग कहां गायब हो गए? पास देहरादून के डीएम ने जारी किया, जबकि ये लोग पौड़ी जिले के कोटद्वार में दाखिल हो गए। एसीएस के पत्र में दर्ज देहरादून के नंबर वाली गाड़ी (यूके 07बीबी 4033) का मालिक जय प्रकाश तिवारी कौन है?

सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पहले जांच की बात की। लेकिन बाद में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने किसी जांच कमेटी या अधिकारी को नामित करने से इनकार कर दिया। स्पष्ट है, सरकार मामले को थाने में मुकदमा दर्ज करने तक ही सीमित रखना चाहती है। टिहरी जिले के मुनि की रेती थाने में केवल लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ही केस दर्ज किया गया न कि मदद करने वालों पर।

अगर पुलिस लॉकडाउन तोड़ने का मौका देने वाले कारणों की जांच करती भी है, तो क्या दारोगा स्तर का जांच अधिकारी एसीएस और डीएम से जवाब तलब करेगा? सवाल यह भी है कि योगी का नाम सबसे पहले किसने लिया? विधायक ने या फिर एसीएस ने? अगर जांच हुई तो कई चेहरों से नकाब उतरेगा।

मध्यम वर्ग पर भारी चोट

सरकारें ही वेतन नहीं दे पा रही हैं तो कंपनियों से कर्मचारियों को वेतन देने की उम्मीद करना बेमानी

मनु गौड़

कोविड-19 के संकट के कारण सरकार की कमाई पर सीधा असर पड़ा है। मार्च से जून तक चार महीने में उसे करीब आठ लाख करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान होगा। इस दौरान वह राहत पैकेज पर भी खर्च करेगी, जबकि पूरे वित्तीय वर्ष में उसने करीब 20 लाख करोड़ रुपये राजस्व का अनुमान लगाया था। राज्य सरकारों के राजस्व पर भी बुरा असर हुआ है। जाहिर है, हर तरफ से कमाई ठप हो गई है। इस संकट से सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे वर्ग को होने वाला है, जो निजी क्षेत्र पर निर्भर है। सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पर कोई संकट नहीं है। हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार के लगभग 2.25 करोड़ कर्मचारी हैं, जिनके वेतन पर सरकारें लगभग 12 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च करती हैं। गरीब तबके के लिए भी सरकार की तरफ से लाभकारी योजनाएं चलती रहेंगी, ऐसे में उस पर बहुत ज्यादा चोट नहीं पड़ेगी। निजी क्षेत्र पर निर्भर रहने वाले मध्यम वर्ग के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। भले ही सरकार कह रही है कि कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती और उनकी छंटनी न करें, लेकिन खुद केंद्र और राज्य सरकारें कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते रोक रही हैं, कई राज्यों में वेतन में भी कटौती की गई है। ऐसे में, यह दोहरा मापदंड है। सरकार समझ रही है कि संकट गंभीर है और लंबा चलने वाला है। जब सरकारें वेतन नहीं दे पा रही हैं तो बिजनेस जगत से उम्मीद करना बेमानी है।

हमें बिजनेस क्लास के काम करने के तरीके को भी समझना होगा। व्यापारी अपने पूंजी के साथ-साथ बैंक में अपनी संपत्तियां गिरवी रखकर कर्ज लेकर कारोबार शुरू करता है। व्यापार से हुए लाभ को वह व्यापार बढ़ाने में ही पुन: निवेश करता है। आज की परिस्थिति में कारोबार ठप है, उसके सिर पर कर्ज है और उसकी संपत्तियां बैंकों के पास गिरवी हैं। जब कमाई ही नहीं होगी, तो वह क्या करेगा, कितने दिन कर्मचारियों को सैलरी देगा। एक बात और समझनी होगी कि लॉकडाउन के कारण जो लाखों मजदूर पलायन कर रहे हैं, वे अब आसानी से वापस नहीं आएंगे। ऐसे में, बिजनेस क्लास के सामने एक नया संकट भी खड़ा होने वाला है।

इन परिस्थितियों में लोगों की जमा पूंजी भी घट रही है। लॉकडाउन में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से लगभग 2,400 करोड़ रुपये लोगों ने निकाले हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड निवेशक भी नुकसान सह कर पैसे निकाल रहे हैं। हाल ही में सरकार ने म्यूचुअल फंड के लिए 50 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। संकट बढ़ने पर लोग सोना और रियल एस्टेट में किए गए निवेश को भी सस्ते में बेचने पर मजबूर होंगे।

सरकार को तुरंत छोटे और मझोले उद्योगों और किसानों को राहत देनी चाहिए। सस्ता कर्ज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। कोविड-19 की लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। हमें अब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर जैसी चीजों को जीवन का हिस्सा मानना होगा। यदि इसकी वैक्सीन आ जाए तब भी उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन और 130 करोड़ की आबादी को वैक्सीन लगाने में वर्षों लग जाएंगे। हमें अपने सीमित संसाधनों पर भी गौर करना होगा, क्योंकि दुनिया की लभग 20 प्रतिशत आबादी के लिए नीतियां बनाना काफी चुनौतीपूर्ण है, खासतौर पर तब जब करदाताओं की संख्या आबादी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सीमित है। सरकार को सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा। चीन से आयात होने वाले लघु उद्योगों के सामान का उत्पादन भारत में करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए। मध्यम और लघु उद्योगों का क्लस्टर बनाकर विकास करना चाहिए। प्रत्येक जिले में एक ही प्रकार की वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को मध्यम और लघु उद्योगों के लिए दी जाने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी को समाप्त करके उद्योग लगाने के लिए कम से कम दो वर्ष के लिए बिना ब्याज का ऋण देना चाहिए। इससे शहरों से पलायन करके ग्रामीण क्षेत्रों में लौटे लोगों को भी रोजगार मिलेगा।

उदाहरण के तौर पर देश में होली के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 50 करोड़ पिचकारियों की बिक्री होती है, जो अधिकतर चीन से आयात की जाती हैं। यदि देश के एक जिले में सिर्फ पिचकारियों के निर्माण से संबंधित लघु उद्योग स्थापित किए जाएं, तो उसकी खपत हमारे देश में ही संभव है। हमें यह समझना होगा कि यदि हम दुनिया के लिए सबसे बड़े बाजार हैं तो अपने लिए क्यों नहीं। हमारे देश की नीतियां इस तरह की होनी चाहिए, जिसमें हमें दूसरे देशों से आयात पर कम से कम निर्भर होना पड़े।

दो अहम बातें और हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट हम इसलिए झेल पाए, क्योंकि सदैव से हमारी अर्थव्यवस्था बचत आधारित रही है। लेकिन पिछले दो-तीन दशकों में एक बड़ा मध्यम वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है जो क्रेडिट आधारित जीवनशैली जीता है। इस बार उसके सामने ज्यादा बड़ा संकट खड़ा होगा। इसीलिए सरकार को अपनी क्रेडिट पॉलिसी में भी सुधार करना चाहिए, जिसमें कर्ज व्यापार बढ़ाने के लिए दिया जाए न, कि कर्ज लेकर खर्च करने के लिए।

जिस प्रकार राजस्व के लिए सरकारों ने शराब की दुकानें खोली हैं, उस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है। एक ओर तो सरकार राशन मुफ्त में दे रही है और महिलाओं के खातों में पैसे डाल रही है, वहीं पुरुषों की लंबी कतारें शराब की दुकानों पर लगी हैं। सरकार को शराब की प्रत्येक दुकान को आधार से लिंक करना चाहिए और जो व्यक्ति शराब खरीदता है उसे मुफ्त राशन और पैसों की सुविधा न दी जाए। इससे एक ओर तो गरीब वर्ग में महिलाओं का उत्पीड़न रुकेगा और साथ ही ये सुविधाएं उनको मिल पाएंगी जिन्हें वास्तव में जरूरत है। इससे गरीब तबका सरकार से मिलने वाली सहायता राशि को शराब में बर्बाद नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर आज का संकट बहुत बड़ा है। जरूरत समग्र रूप से जल्द नीतियां बनाने की है।

पिछले दो-तीन दशकों में एक बड़ा मध्यम वर्ग ऐसा खड़ा हो गया है जो क्रेडिट आधारित जीवनशैली जीता है, इस बार उसके सामने ज्यादा बड़ा संकट खड़ा होगा

(लेखक टैक्सपेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत के अध्यक्ष हैं)

धरती कथा

सुधारों में किसान कहां

हरवीर सिंह

इस समय देश की इकोनॉमी संकट में फंसी है। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद रहा तब भी किसान पूरे जोर-शोर से अपने खेतों में काम में लगा हुआ था। इस दौरान किसानों को बाजार में बंदी और फसलों की सही खरीद नहीं होने से हजारों करोड़ रुपये का घाटा हुआ। सरकार को इस घाटे को कम करने और किसानों की मदद के लिए कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने सुधारों पर आगे बढ़ने का रुख कर लिया।

कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) एक्ट में सुधार को लेकर नीति-निर्धारकों में एक राय बन गई है और उसे लागू करने के लिए राज्यों से कहा गया है। जाहिर है, सबसे पहले भाजपाशासित राज्यों से इसकी शुरुआत हो रही है। गुजरात ने एपीएमसी कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है, जिसमें एक ही लाइसेंस पर राज्य के सभी एग्रीकल्चर मार्केट में कृषि उत्पाद खरीदने की छूट होगी। जाहिर है, इसका फायदा मंडी में बैठा आढ़ती नहीं ले पाएगा और यह बड़े कॉरपोरेट के लिए कृषि उत्पाद खरीदने का रास्ता खोलने का बड़ा कदम है। इसमें कहा गया है कि इससे किसानों को उत्पाद बेचने के ज्यादा विकल्प मिलेंगे और अच्छा भाव मिलेगा। देखने में यह आदर्श लगता है। लेकिन क्या किसान को राज्य की सभी मंडियों की कीमतों की जानकारी होती है या होगी? उसके लिए क्या व्यवस्था है? कई बार किसान अपनी उपज केंद्र के तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अपने राज्य में सुविधा नहीं मिलती तो बगल के राज्य में जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि दूसरे राज्य का मार्केट उसके लिए पराया हो जाता है।

बेहतर होगा कि केंद्र सरकार राज्यों से कहे कि किसान के लिए पूरा देश एक मार्केट है। बड़े कॉरपोरेट पूरे राज्य में खरीद की व्यवस्था कर कीमतों को नियंत्रित नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इस पर निगरानी का तंत्र पहले तय होना चाहिए। वैसे तमाम एक्सपर्ट जानते हैं कि बिहार में एपीएमसी है ही नहीं, अगर उदारीकृत कानूनों से किसानों का भला होता तो बिहार का किसान सबसे समृद्ध और सुखी होता।

राज्य की एजेंसियां भी किसानों को संकट के समय सही दाम नहीं दिला पा रही हैं। यहां तीन उदाहरण उत्तर प्रदेश से हैं। अमूल दिल्ली में दूध बेचने के लिए गुजरात के किसानों को करीब 45 रुपये प्रति लीटर कीमत देता है लेकिन दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति किसान से केवल 31 रुपये लीटर में दूध खरीद रही है, जो 9 मार्च के पहले 46 रुपये प्रति लीटर था। यानी किसानों को सीधे 30 फीसदी कम दाम मिल रहा है। वह भी तब जब राज्य के डेयरी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा जिले से ही विधायक हैं।

बात केवल दूध की ही नहीं है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है लेकिन यहां चीनी मिलों की कॉरपोरेट लॉबी किसानों को कैसे संकट में डालती है, वह 11 मई तक गन्ना किसानों के 14,457 करोड़ रुपये के बकाए से जाहिर है। राज्य सरकार ने भी दो साल से गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में कोई इजाफा नहीं किया है जबकि खाद, बीज, एग्रोकेमिकल्स, डीजल और मजदूरी में बढ़ोतरी से लागत बढ़ी है।

यही मामला गेहूं का है। चालू साल में उत्तर प्रदेश में 363 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है जबकि सरकारी खरीद का लक्ष्य 55 लाख टन ही है। इसके विपरीत पंजाब में 185 लाख टन गेहूं उत्पादन में 135 लाख टन, हरियाणा में 115 लाख टन उत्पादन में 95 लाख टन, मध्य प्रदेश में 190 लाख टन उत्पादन में 100 लाख टन की खरीद का लक्ष्य है। 11 मई तक पंजाब 114.90 लाख टन, हरियाणा 57.64 लाख टन, मध्य प्रदेश 63.67 लाख टन लेकिन उत्तर प्रदेश केवल 11.85 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद ही हुई। इस साल हरियाणा सरकार 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' के तहत पंजीकरण कर रही है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को हरियाणा में गेहूं बेचना मुश्किल हो रहा है। हालांकि इस लेखक के साथ बातचीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमारे किसानों का गेहूं बिकने के बाद हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों का गेहूं खरीदने की अनुमति दे सकते हैं।

लॉकडाउन में एपीएमसी सुधारों के जरिए कॉरपोरेट को लाभ दिलाने जैसे एकतरफा फैसले किसानों के हक में कितने

उम्मीद है कि गुजरात के बाद दूसरे राज्य भी एपीएमसी सुधारों पर फैसले कर सकते हैं। लेकिन जिन किसानों के लिए सुधार की बात की जा रही है, उनकी कोई राय नहीं ली जा रही है। लॉकडाउन में इस तरह का एकतरफा फैसला लेने के पहले संबंधित पक्षों की राय ली जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन यह तो तभी हो सकता है, जब किसान के हक इन सुधारों के केंद्र में हों, अगर बाजारवाद केंद्र में है तो फिर किसान की राय की जरूरत ही कहां है।

कीटनाशक घटे तो कृषि बढ़े

कीटनाशक विधेयक में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है ताकि किसानों को संरक्षण दिया जा सके

नरेश सिरोही

देश में हरित क्रांति के बाद खाद, बीज के साथ ही कीटनाशक, खरपतवारनाशक, वनस्पतिनाशक वगैरह पर किसानों के खर्च में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर, अप्रासंगिक और निष्प्रभावी हो चुके कानूनों के चलते बाजार में धड़ल्ले से बिकते नकली खाद, बीज और कीटनाशकों ने किसानों की कमर तोड़ दी है और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। 60 के दशक के इन कानूनों में लंबे समय से बदलाव की आवश्यकता महसूस हो रही है। लगभग 12 वर्ष पहले सरकार ने संसद में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2008 पेश किया लेकिन यह अभी भी अटका है। इसे मौजूदा कीटनाशक अधिनियम, 1968 का स्थान लेना है।

कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधान अपर्याप्त हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के विवाद और मुकदमेबाजी की समस्याएं होती हैं। बदलते परिवेश को देखते हुए नए विधेयक में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के विशेष प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही राज्यों की अधिक भूमिका, मूल्य निर्धारण के नियम और दंडात्मक प्रावधान को भी कठोर किए जाने की जरूरत है। इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर कृषि मंत्रालय ने जून 2017 में कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2017 का मसौदा जारी करते हुए संबंधित मंत्रालयों, राज्यों, अन्य विभागों एवं हितधारकों से सुझाव मांगे थे। देश भर से मिले सुझावों को शामिल करते हुए कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2020 का मसौदा तैयार किया गया है। 12 फरवरी 2020 को इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है। नया विधेयक देश की कृषि, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और कीटनाशी व्यापार जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावित करेगा। इसलिए इससे जुड़े नियम-कायदों में पारदर्शिता के साथ भारतीय दृष्टिकोण "जीवो जीवस्य भोजनम्" यानी प्रकृति के सह-अस्तित्व के सिद्धांत को अपनाने की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक कृषि प्रणाली में सन्निहित समेकित कीट प्रबंधन और जैविक कीटनाशकों को प्राथमिकता देनी होगी। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम या अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए अधिक सुरक्षित और प्रभावी कीटनाशक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दुनिया में लगभग 1,175 मॉलिक्यूल्स उपलब्ध हैं, जबकि भारत में मात्र 270 मॉलिक्यूल्स रजिस्टर्ड हैं। आकार में हमसे बहुत छोटे देश वियतनाम और पाकिस्तान में लगभग 500 मॉलिक्यूल्स रजिस्टर्ड हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्राजील में 600 से 700 मॉलिक्यूल्स रजिस्टर्ड हैं। इसलिए हमें सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी मॉलिक्यूल्स पर शोध की आवश्यकता है। ऐसे नए उत्पादों के शोध को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है जो किसानों की आय बढ़ाने में मददगार हो सकें।

देश में ऐसे कीटनाशकों के विकास के लिए शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिल सके

कीटनाशकों के प्रबंधन से जुड़ी एक बड़ी चिंता कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े प्रावधानों का अभाव भी रहा है। प्रसन्नता की बात है कि सरकार मिलावटखोरी को लेकर अब बहुत गंभीर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यावरण और कृषि से जुड़े अपराधों के लिए कानून सख्त होने चाहिए। कई मामलों में अब तक दीवानी (सिविल) मुकदमे दर्ज किए जाते थे, उनकी जगह आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए कंपनी कानून के साथ अन्य कानूनों में भी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। भारत दुनिया में रासायनिक कीटनाशकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और देश में कीटनाशकों का बाजार लगभग 18 हजार करोड़ रुपये का है। इसलिए कुछ अदृश्य शक्तियां इतने बड़े बाजार को निहित स्वार्थों के चलते प्रभावित करने का प्रयास करती रही हैं।

कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक में मुआवजा कोष, सभी पंजीकृत कीटनाशकों की स्वत: समयबद्ध समीक्षा, कीटनाशकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना, विज्ञापनों का विनियमन तथा इसके उल्लंघन को अपराध और समुचित दंड के प्रावधान जैसे कुछ नए प्रावधान जोड़े, जो स्वागत योग्य कदम हैं। कई किसान और पर्यावरण संगठन लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे। सरकार विधेयक की प्रस्तावना में मुख्य रूप से इसके जोखिम निवारण पहलू पर जोर दे सकती है, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए ही कीटनाशकों के नियमन की आवश्यकता है। इसलिए प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए, "प्रस्तावित विधेयक मानव, अन्य जीवों तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य और उससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए कीटनाशकों के अनुसंधान, आयात, निर्यात, निर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण, वितरण, परिवहन, बिक्री, विज्ञापन और निपटान को विनियमित करने सहित जैव सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से है।" यहां कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, जिनको विधेयक में शामिल करके इसे पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, किसान हित के साथ-साथ व्यवसाय हितों के बीच एक ऐसा संतुलन स्थापित किया जा सकता है जो सभी हितधारकों का ध्यान रखेगा।

कीटनाशकों की परिभाषा स्पष्ट होनी चाहिए, यह भ्रम पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए क्योंकि "वर्मिन" (पीड़क जंतु) भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सूचीबद्ध है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग भ्रम पैदा कर सकता है। वनस्पतिनाशक, खरपतवारनाशक, कीटनाशक, फफूंदनाशक, चूहानाशक, घोंघानाशक, हर्बिसाइड्स, कवकनाशक, रोडेंटिसाइड्स, मोलस्किसाइड्स, एसारिसाइड्स, नेमाटोसाइड्स, एल्गीसाइड्स इत्यादि स्पष्ट तौर पर कीटनाशी के तौर पर परिभाषित किए जाने चाहिए। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीपीबी) और पंजीकरण समिति (आरसी) में

कोई भी ऐसा नामांकित सदस्य नहीं किया जाना चाहिए जिसके हित कीटनाशकों के विनियमन से टकराते हों। इस आशय का स्पष्ट प्रावधान सीपीबी तथा आरसी स्थापित करने संबंधी धाराओं में होना चाहिए। ऐसा करने से इन नियामक निकायों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

सीपीबी और आरसी, दोनों में गैर रासायनिक कीट प्रबंधन, पारिस्थितिक विज्ञान तथा उपभोक्ता अधिकार के क्षेत्रों से स्वतंत्र विशेषज्ञों (प्रत्येक से कम से कम दो) को शामिल किया जाना चाहिए। सीपीबी को केवल एक सलाहकारी निकाय नहीं होना चाहिए, अपितु इसको अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक शक्तियां दी जानी चाहिए। कीटनाशकों को पंजीकृत करने वाली समिति कीटनाशकों की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। एक स्वतंत्र समीक्षा समिति, जिसमें मुख्य रूप से जैव सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हों, अधिनियम का हिस्सा होना चाहिए। सभी पंजीकृत कीटनाशकों की स्वत: पांच साल बाद समीक्षा होनी चाहिए।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने कीट प्रबंधन के कई प्रभावी गैर रासायनिक उपाय विकसित किए हैं। इसलिए ऐसे सभी कीटनाशक, जो पहले बिना किसी डाटा या अपूर्ण जैव सुरक्षा/प्रभावशीलता जांच या सभी अवयवों (मॉलिक्यूल्स) के अवशेष की अधिकतम सीमाओं (एमआरएल) के निर्धारण के बिना पंजीकृत किए गए थे, के लिए सभी आवश्यक जानकारी और 'आवश्यकता एवं विकल्प आकलन रिपोर्ट' पुन: प्रस्तुत करने को कहा जाए। किसी भी परिस्थिति में कीटनाशकों के लिए 'पंजीकृत मान लिया जाए' या अस्थायी पंजीकरण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ऐसे किसी भी कीटनाशक के पंजीकरण की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जिसे दुनिया के दो या अधिक देशों ने प्रतिबंधित किया हो या उसके प्रयोग को सीमित किया गया हो।

केवल उन कीटनाशकों की बिक्री की अनुमति होनी चाहिए जिनका सुझाव किसी स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय ने दिया है, क्योंकि आमतौर पर निरक्षर किसान विक्रेता की सलाह पर निर्भर होता है। इसलिए इस बात की चिंता करनी होगी कि किसानों को कंपनियों के सेल्समैन गुमराह न कर पाएं। राज्य

मुआवजे के लिए प्रभावितों लोगों में प्रयोगकर्ता किसानों के अलावा पड़ोस के प्रभावित खेत और पशुओं के स्वामियों को भी शामिल किया जाए

हित संतुलन: कंपनियों की नहीं, किसानों की करें चिंता

सरकारों को न केवल कीटनाशकों की बिक्री की अनुमति देने का अधिकार होना चाहिए, बल्कि कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने का अधिकार भी होना चाहिए। राज्यों का यह अधिकार एक साल तक की अवधि के लिए सीमित नहीं होना चाहिए।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक के तहत प्रभावित लोगों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए नया कोष स्थापित करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। प्रभावित व्यक्तियों को इस तरह परिभाषित किया जाना चाहिए कि इनमें न केवल वे लोग शामिल हों जो कीटनाशकों के जहर से प्रभावित होते हैं, बल्कि उन किसानों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिनकी खेती की जैविकता पड़ोसी खेतों से आने वाले कीटनाशकों के कारण प्रभावित होती है या जिनके पशु कीटनाशक विषाक्तता से प्रभावित होते हैं। इस कोष के लिए कीटनाशक उद्योग की बिक्री पर लगाए गए विशेष उपकर से भी धन संग्रह किया जा सकता है। इसके अलावा, अप्रभावी पाए गए कीटनाशकों की भरपाई के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत मुआवजे का भी प्रावधान होना चाहिए।

नियमों का उल्लंघन करने पर मौजूदा कानून में मात्र 500 से 75 हजार रुपये तक जुर्माने और छह महीने से दो साल तक जेल या दोनों का प्रावधान है। नए विधेयक में 25 हजार से 40 लाख रुपये तक का जुर्माना या तीन साल तक जेल या दोनों का प्रावधान है। कीटनाशकों के इस्तेमाल से किसी की मृत्यु होने पर 10 से 50 लाख रुपये तक जुर्माना या पांच साल की सजा अथवा दोनों हो सकते हैं। यह भी स्वागत योग्य है। कीटनाशक उपयोगकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण देने की जिम्मेदारी निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं की होनी चाहिए। यही व्यवस्था अप्रयुक्त कीटनाशकों, प्रयोग अवधि पार कर चुके या अप्रचलित कीटनाशकों तथा कीटनाशकों के डिब्बे/लिफाफे इत्यादि के सुरक्षित निपटान के लिए भी होनी चाहिए। इस अधिनियम में भारत में कीटनाशकों का हवाई छिड़काव प्रतिबंधित होना चाहिए।

(लेखक भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

सरल-सलोनी हिंदी की बात

भावना शेखर

राजभाषा सेवा से जुड़े होने के कारण आलोचक और गीतकार डॉ. ओम निश्चल हिंदी से बहुत गहरे जुड़े रहे हैं। हिंदी की जड़ें न केवल इनकी जीविका अपितु इनके जीवन तक फैली रहीं। इसी के परिणामस्वरूप राजभाषा, भाषा और संस्कृति के ताने-बाने को केंद्र में रखकर उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर उन्होंने *भाषा की खादी* का सृजन किया है। यह पुस्तक एक प्रकार का हिंदीनामा है जो विभिन्न दृष्टिकोणों से हमारे सपनों की भाषा, हमारी कल्पना की भाषा और भारत के जनमानस की भाषा हिंदी के वर्तमान और भविष्य की पड़ताल करती है। लेखक को हिंदी के राष्ट्रभाषा न बन पाने का क्षोभ है। हालांकि इसे राजभाषा का दर्जा मिला है लेकिन बावजूद इसके प्रशासन में अंग्रेजी का ही बोलबाला है। हिंदी की यह विडंबना उनके आलेखों में यत्र-तत्र झांकती है।

प्राय: सरकारी कार्यालयों की हिंदी देख-पढ़कर लोग घबरा जाते हैं। जबकि आकाशवाणी का जादू देश के कोने-कोने में पहुंच जाता है क्योंकि इसका रिश्ता बोलचाल की हिंदी से रहा है। गांधी जी की प्रिय जबान बिलकुल खादी की तरह है जिसे हिंदुस्तानी धागे से बुना गया था, जो खादी की तरह अनगढ़ लेकिन सरल थी। जैसे सहजता खादी का पर्याय है वैसे ही सरलता हिंदुस्तानी का पर्याय है। गांधी जी ने जिस तरह खादी का जोर-शोर से प्रचार किया, ठीक वैसे ही हिंदी भाषा के प्रसार पर भी बल दिया। लेखक के अनुसार, बहुत कम हिंदी जानने के बावजूद वे हिंदी के हिमायती थे, संस्कृतनिष्ठ या उर्दूपरस्त हिंदी के बजाय उन्होंने हिंदुस्तानी को तरजीह दी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का उनका सपना नेहरूवियन मॉडल और राजनेताओं की बदनीतियों के हाथों धराशायी हो गया।

हिंदी के अलोकप्रिय होने का ठीकरा प्राय: अंग्रेजी पर फोड़ा जाता है, जबकि इसका असली कारण हिंदी की दुरूहता है। लेखक के अनुसार, राजभाषा के प्रहरी और कोशकार इसके लिए जिम्मेदार हैं। वे कहते हैं कि टॉलस्टॉय ने रूसी सीखने के लिए एक गांव में डेरा जमाया था। जबकि हम अपने गली-कूचे, मोहल्ले, गांव-देहातों में स्वत:स्फूर्त नैसर्गिक हिंदी की अनदेखी कर इसे संवैधानिक धक्के से चला रहे हैं। अभिनेताओं की तरह नेता चुनावी मौसम में जिस हिंदी के आयुध से वोटों का पिटारा लूटते हैं, सत्ता में आने के बाद उसे निर्ममता से भूल जाते हैं। यह बेहद शोचनीय है। लेखक का मानना है कि हिंदी भाषा के ताने-बाने में संस्कृति रची-बसी है, इसलिए हिंदी का हमारी संस्कृति से गहरा नाता है। जो सौंदर्य वस्त्रों में खादी का है वही सौंदर्य भाषा में हिंदी का है।

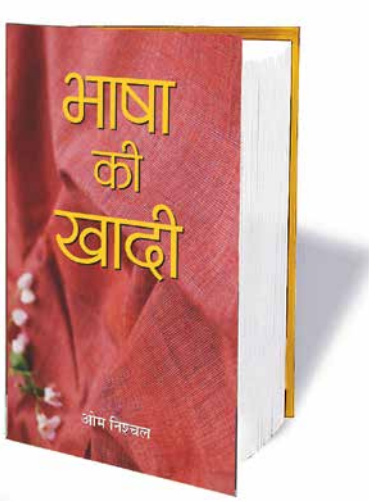

भाषा की खादी

ओम निश्चल

प्रकाशक | ज्ञानगंगा

पृष्ठ: 200 | मूल्य: 400 रुपये

हिंदी सच्चे अर्थों में संस्कृति की वाहिका है, इसी दृष्टिकोण से ओम निश्चल ने पुस्तक को दो हिस्सों में बांटा है पहला- भाषा की खादी और दूसरा- संस्कृति के धागे। पहले भाग में हिंदी भाषा को लेकर उसकी अस्मिता, उसके मार्ग के बाधा-व्यवधान, समस्या-समाधान, उसके विकास और तमाम तकनीकी बातों का वृहद लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में 'पराई मिट्टी में अपनी भाषा की क्यारी' शीर्षक के अंतर्गत प्रवासी भारतीयों द्वारा सुदूर देशों में हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी योगदान की चर्चा की है। हिंदी को वित्त से चित्त तक की भाषा बताते हुए लेखक ने बैंकों, इंटरनेट, कंप्यूटर जैसे संप्रेषण के तकनीकी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के विविध रूपों का निष्पादन किया है। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह में भारत और हिंदी की भूमिका का एक पूरे अध्याय में विस्तार से आकलन किया है। लेखक ने भाषा में खादी जैसा सौंदर्य विकसित करने का श्रेय राष्ट्रीय हिंदी के अग्रणी लेखकों को दिया है। इसमें उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, मैथिलीशरण गुप्त और दिनकर से लेकर लोक भाषाओं, बोलियों, अपभ्रंश, प्राकृत और पालि जैसी भाषाओं को भी हिंदी के विकास-विन्यास, पुष्पन, पल्लवन और परिमार्जन के महत्वपूर्ण पड़ावों के रूप में परखा है। पुस्तक का बेहद सुंदर प्रकरण है, 'मेरे युवा आम में नया बौर आया है।' इस परिच्छेद में लेखक ने ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अनुभूति प्रेम की विशद विवेचना की है। पूरे विश्व के इतिहास और संस्कृति से कालजयी प्रेम कथाओं का चयन करते हुए आदम-हव्वा से लेकर लैला-मजनू, रोमियो-जूलियट, पाओलो-फ्रेंसेस्का, सलीम-अनारकली, एंटोनी-क्लियोपैट्रा आदि की मार्मिक दास्तानों का जिक्र किया है। इसी क्रम में वे संकलित शायरों, कवियों सूफी-संतों के उद्धरण, उनके द्वारा सुलगाई प्रणय की आंच को मद्धम-मद्धम दहकाते हैं।

'संस्कृति के धागे' खंड के अंतर्गत उन्होंने ऋतुओं और त्योहारों के बहाने कविताओं, गीतों, गंगा, बनारस के घाटों, कुटीर उद्योगों तक का वर्णन किया है। लेखक ने 'फागुन का रथ कोई रोके' शीर्षक के तहत बसंत और फागुन की जुगलबंदी में प्रेम कविताओं का राग छेड़ा है। हिंदी साहित्य की तमाम प्रेम कविताओं का आश्रय बन गया है यह निबंध। भारतीय संस्कृति के संरक्षक त्योहारों में आज किस कदर सहजता का स्थान कृत्रिमता ने ले लिया है, हम 'असतो मा...ज्योतिर्गमय' के मूल्य भूलते जा रहे हैं। दीवाली के बहाने लेखक कहता है, 'कहां हैं रोशनी की फाइलें जिनमें गरीबों किसानों की झोपड़ियों में उजाले का फैसला लिखा है।' अज्ञेय की 'आंगन के पार द्वार' और गिरिजाकुमार माथुर की 'मेरे युवा आम में नया बौर आया है' जैसी काव्योक्तियों का पुस्तक में विभिन्न अध्यायों के शीर्षक के रूप में लालित्यपूर्ण इस्तेमाल एक अभिनव प्रयोग है। भाषा प्रौद्योगिकी और साहित्य के रंगों के मनोग्राही संयोजन के रूप में जिज्ञासु छात्रों, शोधार्थियों एवं हिंदी प्रेमियों के लिए यह पुस्तक उपयोगी अवदान है।

उनसे अच्छा कौन

पूर्व विश्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को फुटवेयर बनाने वाली नामी कंपनी स्टुअर्ट वेत्जमैन ने ब्रांड एंबेसडर बनाया है। इस साल कंपनी का सूत्र वाक्य है, 'महिलाएं: आशा का स्तंभ।' इसके लिए लैंगिक समानता पर मुखरता से अपनी बात रखने वाली सेरेना से अच्छा कौन होता।

कोई जल्दी नहीं

चेन्नई एक्सप्रेस में अपने डांस नंबर से उन्होंने बॉलीवुड में दस्तक दी थी। अब दक्षिण की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री प्रियामणि द *फैमिली मैन* और *अतीत* वेबसीरीज से हिंदी उद्योग का जाना-पहचाना चेहरा बन गई हैं। वह अब बॉलीवुड में बड़े अवसर की तलाश में हैं। वह कहती हैं, "मैं किसी भी रोल में फिट हो सकती हूं, लेकिन मैं जल्दबाज नहीं हूं।"

फुर्सत के पल

प्यार का पंचनामा से फिल्मी करिअर की शुरुआत करने वाली सोनाली सहगल फुर्सत में जम कर जिमिंग कर रही हैं। इसका परिणाम भी दिख रहा है। उनके खूबसूरत पैर देख कर सब यही पूछ रहे हैं, यह क्या किसी हॉलीवुड फिल्म के ऑडिशन की तैयारी है?

सुहानी कैद

मॉडल गिगी हदीद ने यह कह कर सनसनी मचा दी है कि वह और उनके बॉयफ्रेंड जायन मलिक मम्मी-पापा बनने वाले हैं। गिगी ने कहा, यह मेरे लिए अच्छा समय है जब मैं और जायन लॉकडाउन की वजह से एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं और मैं इस वक्त का आनंद ले रही हूं।